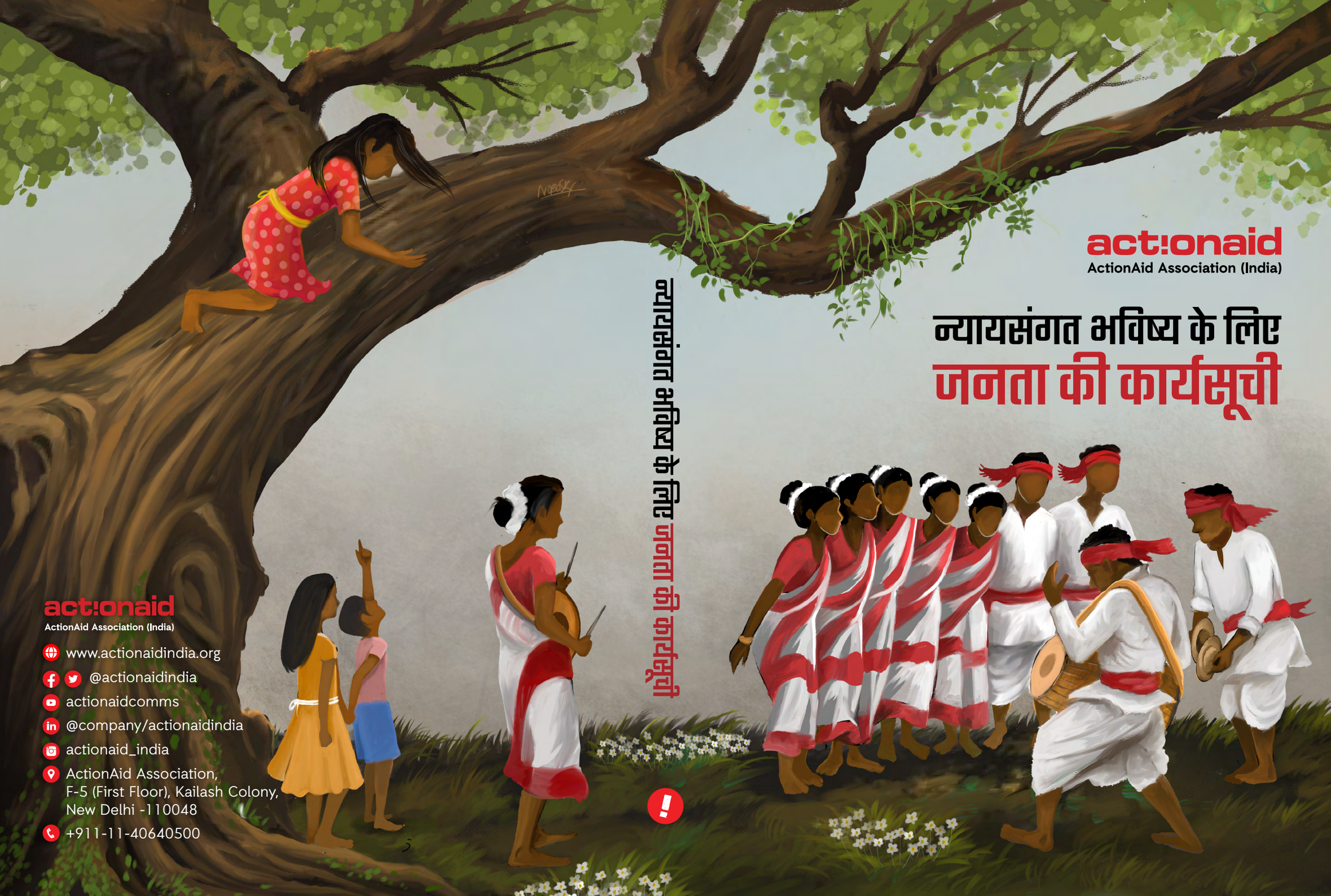

actionaid
ActionAid Association (India)

न्यायसंगत भविष्य के लिए
जनता की कार्यसूची

न्यायसंगत भविष्य के लिए जनता की कार्यसूची

actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org
@actionaidindia
actionaidcomms
@company/actionaidindia
actionaid_india
ActionAid Association,
F-5 (First Floor), Kailash Colony,
New Delhi -110048
+911-11-40640500

न्यायसंगत भविष्य के लिए
जनता की कार्यसूची

actionaid
ActionAid Association (India)

न्यायसंगत भविष्य के लिए जनता की कार्यसूची

April, 2024

CC BY NC SA

Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License. Provided they acknowledge the source, users of this content are allowed to remix, tweak, build upon and share for non-commercial purposes under the same original license terms.

actionaid
ActionAid Association (India)

.actionaidindia.org @actionaidindia

@actionaidcomms @company/actionaidindia @actionaid_india

ActionAid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.

+911-11-40640500

विषय सूची

भूमिका 02

मजदूर 04

विधायी ढाँचे की आवश्यकता 05

खेतिहर मजदूर 08

मनरेगा मजदूर 11

गन्ना श्रमिक 14

बागान कामगार 16

बीड़ी मजदूर 17

मछुआरे 19

प्रवासी श्रमिक 21

निर्माण मजदूर 24

पत्थर खदान मजदूर 27

फुटपाथ विक्रेता 29

गिग श्रमिक 35

घरेलू कामगार 40

ग्रामीण घरेलू कामगार 47

मान्यता–प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 50

चोल्टरी कामगार (शादियों और पार्टियों में काम करने वाले मजदूर) 53

सफाई कर्मचारी 57

कूड़ा बीनने वाले 59

यौनकर्मी 62

वंचित शहरी समुदाय 67
जनजातीय समुदाय 80
घुमंतू चरवाहों के न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची 84
घुमंतू और विमुक्त जनजातियाँ 92
दलित समुदाय 101
अल्पसंख्यक समुदाय 107
बच्चे 114
महिलाएँ और लड़कियाँ 118
एकल महिला 125
विकलांग लोग 130
बुजुर्ग लोग 136
अल्पसंख्यक लैंगिकताएँ 141
जलवायु न्याय के लिए 149
आपदा लचीलेपन के लिए 158
शरणार्थियों के लिए 166
मानवाधिकार रक्षक 173

भूमिका

विचारशील नीति–निर्माण की ऐसी प्रक्रिया जिसकी जड़ें इरादों में बसी हों, प्रजातांत्रिक शासन की आधारशिला होती है। इसके लिए हाशियों पर जीवन बसर करने वाले समुदायों की आवाजों को केंद्र में रखकर समावेशित करना अत्यंत आवश्यक होता है।

प्रस्तुत दस्तावेज इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे देश के 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक सामुदायिक सुनवाई और सहयोग से तैयार किया गया है। इस दस्तावेज को तैयार करने में, हमने सामुदायिक आवाजों की ताकत को पहचाना। हमने वंचित समुदायों की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर सुनिश्चित किया कि उनकी बुद्धिमत्ता तथा पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उनकी मांगों को संजीदगी से सुना जाए और उनकी वाजिब जरूरतों पर ध्यान दिया जाए, जिसके वे हकदार हैं। इस क्रम में समुदाय–आधारित, नागरिक समाज संगठनों और जन आंदोलनों सहित विभिन्न हित धारकों के साथ चर्चा की गई। हमने देश के 344 जिलों, 18,294 गाँवों, 244 शहरों और कस्बों में लगभग 24,927 सामुदायिक–स्तरीय बैठकें आयोजित कीं। हमारा अनुमान है कि यह दस्तावेज करीब 6,90,047 प्रतिभागियों के साथ किए गए विमर्श का नतीजा है।

समुदाय–आधारित विमर्श ने दलितों, आदिवासियों, घुमंतू एवं विमुक्त जनजातियों, विकलांगों, शरणार्थियों, वृद्धों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित महिलाओं, जो देश में किसानों एवं खेतिहर मजदूरों, मछुआरों, ग्रामीण और शहरी अनौपचारिक श्रमिकों (जिनमें घरेलू कामगार, यौनकर्मी, निर्माण मजदूर, गिग श्रमिक, कूड़ा बीनने वाले और कई अन्य समूह शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। उनकी अंतर्दृष्टि और महत्वपूर्ण योगदान, इस दस्तावेज की सिफारिशों में उनकी प्रमुखता सुनिश्चित करने में सहायक बने।

अपने मूल में यह दस्तावेज सामूहिक अधिकारों और आम लोगों की सुरक्षा को शामिल करने के लिए वर्तमान अधिकार ढाँचे का विस्तार करने की वकालत करता है। इस दस्तावेज में संसाधनों की सुरक्षा और जनजातीय लोगों, घुमंतू एवं विमुक्त समुदायों और महिलाओं के लिए भूमि, जंगलों और जल निकायों तक पहुँच और नियंत्रण को सुदृढ़ तथा सक्षम बनाने की सिफारिशें की गई हैं। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले और पहुँच से वंचित ये समूह अपने पारंपरिक ज्ञान से इन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह दस्तावेज कामगारों के अधिकारों से लेकर शिक्षा, भूमि सुधार, आवास, शहरी प्रशासन और आपदा लचीलेपन जैसे कई मुद्दों को संबोधित करता है। यह जलवायु परिवर्तन, निरंतर गहराती असमानताओं, बड़े पैमाने पर विस्थापन और संघर्षों के कारण बढ़े हुए सामाजिक और पारिस्थितिकीय संकटों का सामना करने की तात्कालिकता को दर्शाता है। इनके साथ–साथ, यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में शोषण की वर्चस्व वादी ताकतों को चुनौती देने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

हाशिये पर जीवन बसर करने वाले समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और नियंत्रण को प्रोत्साहित और उनकी सुरक्षा के लिए विधायी ढाँचे को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। नारीवादी सिद्धांतों और अंतर–सामुदायिक सहयोग द्वारा निर्देशित, यह दस्तावेज वंचित और उपेक्षित समूहों के प्रश्नों और नेतृत्व के लिए प्रगतिशील कार्रवाई के खाके के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य आगे की चर्चाओं और विचार–विमर्श को प्रेरित करना, तथा देश भर में गहन लोकतांत्रिक जुड़ाव और नीति–निर्माण को बढ़ावा देना है।

यह दस्तावेज सुधार और परिशोधन के लिए खुला है। हम इस विमर्श में सभी टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं। कृपया हमें **Comms-India2@actionaid-org** पर लिखें।

मजदूर

नब्बे प्रतिशत कामकाजी संख्या वाले भारत के अनौपचारिक क्षेत्र को मानवाधिकारों, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी ने प्रवासी और अनौपचारिक मजदूरों के लिए मुश्किलें पेश कीं, जिससे नौकरियों की असुरक्षित प्रकृति और अपर्याप्त मजदूरी की भयंकर स्थिति उजागर हुई। युवाओं में बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में आजीविका के अवसरों में कमी और असुरक्षित कामकाजी स्थितियाँ आज भी बरकरार हैं। सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण हर साल हजारों लोग मर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की उच्च दर बनी हुई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब आवास की स्थिति, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं तक पहुँच की समस्या जस की तस है। प्रामाणिक श्रमिक पंजीकरण, शोषण की रोकथाम और शहरी इलाकों में गिग श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

विधायी ढाँचे की आवश्यकता

काम का अधिकार अधिनियम

भारत में सभी लोगों के लिए काम पाने और काम के अधिकार की गारंटी हेतु एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है। शहरी रोजगार योजनाओं या ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिनों के काम की गारंटी पर्याप्त नहीं है। इस तरह कुछ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा योजना–आधारित प्रतिबद्धताओं के बावजूद, भारत में सभी नागरिकों के लिए पूर्ण और सम्मानजनक काम की गारंटी की दरकार है। इस तरह का कानून, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव वाले समुदाय भी शामिल हैं, भारत में सभी नागरिकों के लिए सम्मानजनक काम की जवाबदेही सुनिश्चित करने और लाखों कामकाजी लोगों, प्रवासी और अन्य, के शोषण को रोकने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

जाति-आधारित श्रम का उन्मूलन

सभी प्रकार के जाति–आधारित श्रम को समाप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि, मैला ढोना उन्मूलन, 'देवदासी' प्रथा रोकथाम, बंधुआ श्रम निषेध अधिनियम के संबंध में आंशिक प्रगति हुई है, परंतु विभिन्न व्यवसायों में जाति–आधारित श्रम कई रूपों में आज भी व्यवहार में कायम हैं, जैसे मंदिरों में पुजारियों से लेकर दफनाने/दाह–संस्कार जैसी सेवाएँ प्रदानकर्ता, कचरा हटाने वाले, भीख माँगने वाले, यौन कर्मी और अन्य रोजमर्रा की सेवाएँ प्रदान करने वालों तक। भारत में जाति–आधारित श्रम की अवधारणा को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने की सख्त आवश्यकता है। इस तरह के कानून से अधिक समता मूलक और जाति–आधारित भेदभाव मुक्त समाज निर्मित करना सुनिश्चित होगा। समाज में अंतर्निहित और सत्ता द्वारा समर्थित/उपेक्षित जाति–आधारित श्रम के सभी रूपों की निगरानी और उसे गैरकानूनी घोषित किया जाना अनिवार्य है। भविष्य में बनाए जाने वाले विधानों को भी जाति–आधारित श्रम और प्रथाओं का संज्ञान लेना होना होगा।

सेवा कार्य का पुनर्वितरण और सामाजिक पारिश्रमिक अधिनियम

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बावजूद पुरातन ढंग से परिभाषित कामकाजी दुनिया की तर्ज पर भेदभाव पहले की तरह जारी है। इस 'कामकाजी दुनिया' के अलावा हमारे देश में सामाजिक पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक सेवा कार्य (जिसे 'घरेलू कार्य' की संज्ञा दी जाती है) का एक बड़ा क्षेत्र है, जो महिलाओं के कंधों पर टिका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ औसतन चार गुना अधिक सेवा कार्य में संलग्न होती हैं, जिस कारण उनके पास अवकाश और रचनात्मकता के लिए बहुत कम समय और स्थान बचता है। हमें इस कार्य को पहचानने और पुनर्वितरित करने और सामाजिक रूप से पारिश्रमिक देने के लिए एक राष्ट्रीय कानून की दरकार है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम की भाँति, यह कानून भी सामाजिक जागरूकता जगाने और इस बुराई के उन्मूलन की शुरुआत कर सकता है।

समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु संशोधन

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के पारित होने के साथ कामकाजी दुनिया में लिंग–आधारित भेदभाव को समाप्त करने की मांग की गई थी, जिसे बाद में वेतन संहिता में शामिल कर लिया गया। लिंग–आधारित वेतन भेदभाव के चलते इस कानून को जवाबदेह और सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसके अलावा, लिंग विविधता के अन्य पहलू भी मौजूद हैं, जिन पर आधुनिक भारत में ध्यान देने की जरूरत है। लिंग कोई 'बाईनरी' नहीं है। कार्यस्थल पर भेदभाव, विविध लिंग के सदस्यों के सामने परेशानी खड़ी करते रहते हैं। जैसे समाज के वे सदस्य, जो खुद को न तो पुरुष और न ही महिला के रूप में देखते हैं। इसलिए, इस संबंध में वेतन संहिता में संशोधन जरूरी है। इसके अलावा, संशोधनों पर विचार करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वेतन भेदभाव केवल वेतन समानता तक ही सीमित नहीं है। असल में यह भेदभाव काम के मूल्यांकन, आवंटन, 'आउटसोर्सिंग' और ठेकेदारी से शुरू होता है।

वेतन संहिता में संशोधन

श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, हमें वास्तविक जीवन लागत को प्रतिबिंबित करते हुए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, न्यूनतम वेतन गणना में संशोधन करना चाहिए। मुद्रास्फीति के मद्देनजर नियमित रूप से वेतन समीक्षा की जानी चाहिए। कार्य घंटों और ओवरटाइम का नियमन श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जटिलता और समय के मद्देनजर, पीस रेट पर किए जाने वाले काम के सूत्र पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए। जोखिम वाले कामों को न्यूनतम वेतन निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। कौशल स्तर और वेतन निर्धारण के लिए एक मानक ढाँचा आवश्यक है। वेतन कटौती की सीमा और कटौतियों के 'उचित कारण' की स्पष्ट परिभाषाएँ अनिवार्य हैं। वेतन निर्धारण में पारदर्शिता और पीस रेट श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। समितियों में समान प्रतिनिधित्व, भाषा की सुगमता, नियमित समीक्षा

और भौतिक निरीक्षण महत्वपूर्ण हैं। जागरूकता अभियान और शिकायत तंत्र श्रमिकों को सशक्त बनाते हैं, जबकि एक नेशनल डैशबोर्ड वेतन अनुपालन की निगरानी करता है। वेतन प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और कानूनी उपायों तक पहुँच सुनिश्चित करना, लिंग वेतन अंतर और अनुपस्थिति के लिए अनुचित दंड जैसे विशिष्ट मुद्दों का समाधान करता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता में संशोधन

सार्वभौमिक और कुशल सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमें व्यापक कवरेज को प्राथमिकता, केंद्रीकृत व्यवस्था और सभी प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करना चाहिए। आधार कार्ड–आधारित पंजीकरण के माध्यम और मौजूदा बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाने से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से सामाजिक सुरक्षा पहुँच में वृद्धि होगी। मौजूदा लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसके लिए योजनाओं के परिवर्तन और निरंतरता के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य बोर्डों के लिए अंतरराज्यीय समन्वय और वित्तीय सहायता जरूरी है। पंजीकरण और संक्रमण, स्पष्ट निर्देश और दिशानिर्देश एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। श्रमिकों के कल्याण को बनाए रखने के लिए नियोक्ता के योगदान को अनिवार्य बनाना आवश्यक है। ये उपाय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत तथा सभी श्रमिकों के लिए समान पहुँच और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता में संशोधन

स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों को बढ़ाने के लिए नियोक्ताओं द्वारा कम से कम 30 दिनों के नोटिस के साथ संचालन विवरण पारदर्शिता के साथ संचारित किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी श्रमिकों को इस संबंध में सूचित और तैयार किया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए दुर्घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग और जाँच 24 घंटे के भीतर अनिवार्य की जानी चाहिए। नियोक्ताओं को सार्वजनिक रूप से सभी दुर्घटनाओं और शारीरिक क्षति का खुलासा करना चाहिए, ताकि श्रमिकों को परिणाम की परवाह किए बगैर जोखिम भरे काम से इंकार करने का अधिकार मिल सके। कार्यकर्ता सशक्तिकरण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुखबिर सुरक्षा और सुरक्षा रिकॉर्ड तक बिना रोकटोक पहुँच महत्वपूर्ण है। सेक्टर–विशिष्ट सुरक्षा मानकों को लागू किया जाना चाहिए। गिग और अनौपचारिक श्रमिकों को समान सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कमजोर समूहों, प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं के रोजगार अधिकारों, उचित उपचार और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान आवश्यक हैं। श्रमिक कल्याण और सुरक्षा के लिए अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योगदान, कार्य घंटों और ओवरटाइम वेतन सहित मुआवजे पर स्पष्ट नियम बनाया जाना आवश्यक हैं। नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए भारी दंड का प्रावधान नियोक्ता को अपराध करने से रोकता है, तथा, नियमों के अनुपालन और कर्मचारी सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

औद्योगिक संबंध संहिता में संशोधन

ट्रेड यूनियनों की प्रभावशीलता और श्रमिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बिना शर्त पंजीकरण, कम सीमा वाली सदस्यता और उसे पारदर्शी होना चाहिए। ट्रेड यूनियनों के संचालन में स्वायत्तता सुनिश्चित करती है कि यूनियनें अपने सदस्यों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें।

लचीली सदस्यता होने से घटती–बढ़ती सदस्य संख्याओं को संभालना सुगम होता है। मैनेजमेंट से सौदेबाजी या मोल तोल का प्रतिनिधित्व सार्वभौमिक होना चाहिए। एकमात्र मोल तोल करने वाली यूनियनों के लिए कम सदस्य प्रतिनिधित्व सीमा होने का प्रावधान होनी चाहिए। समझौता परिषदों में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व समावेशिता को बढ़ावा देता है। पारदर्शी समझौता प्रक्रियाएँ और अनिश्चितकालीन मान्यता, निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। कानूनी सुरक्षा यूनियनों और सदस्यों को जवाबदेही से बचाती है। उचित प्रक्रिया का अनुपालन, मनमाने ढंग से पंजीकरण रद्द करने या वापस लेने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

हड़तालों और तालाबंदी के संबंध में, बिना किसी नोटिस अवधि के तत्काल अधिकार आवश्यक हैं, प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा के साथ। रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और तालाबंदी के दौरान निष्पक्ष व्यवहार श्रमिकों के अधिकारों को बरकरार रखता है। नौकरी से बर्खास्त कर्मचारी पूर्ण वेतन मुआवजा, बिना शर्त मुआवजा और पुनः रोजगार में प्राथमिकता के पात्र हैं। नोटिस अवधि और मुआवजे में वृद्धि के साथ छंटनी प्रक्रियाएँ पारदर्शी होनी चाहिए। तालाबंदी की सूरत में छूट में सख्त मानदंडों का पालन किया जाना और प्रभावित श्रमिकों के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा शामिल है।

खेतिहर मजदूर

भारत का कृषि क्षेत्र देश के आधे से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर भूमिहीन और छोटे किसान शामिल हैं। इस क्षेत्र में संलग्न कई लोग दलित और आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं, जो कम दिहाड़ी और सामाजिक भेदता का शिकार हैं। कोविड–19 के कारण बड़े पैमाने पर 'रिवर्स माइग्रेशन', अर्थात महानगरों से गाँव की तरफ पलायन ने उनकी दुर्दशा को उजागर किया, जिसमें कठोर कामकाजी परिस्थितियों, आय की असुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच ने उनके संघर्ष को और अधिक बढ़ा दिया।

खेतिहर मजदूरों को किसानों का दर्जा दिया जाए

सभी खेतिहर मजदूरों को किसानों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उन्हें पंजीकृत कर किसान पहचान पत्र प्रदान किए जाने चाहिए। बशर्ते वे देश के किसी भी हिस्से में कृषि श्रमिकों के रूप में संलग्नता की उपयुक्त अवधि दिखा सके, चाहे उनका स्थायी निवास कुछ भी हो। किसानों के रूप में इस पहचान से खेतिहर मजदूरों को किसानों के लिए घोषित सभी मुआवजों,

अनुदानों और सब्सिडी तक पहुँच की अनुमति मिलनी चाहिए।

भूमिहीनों को भूमि

विद्वानों की मानें तो स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भूमि जोत असमानताओं में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसलिए आधे–अधूरे भूमि सुधार एजेंडे को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सभी उपलब्ध अधिशेष भूमि को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को वितरित कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की भूमि में आवासीय और खेती के लिए भूमि शामिल है।

उचित वेतन सुनिश्चित करें

आठ घंटे के काम के लिए न्यूनतम वेतन दोगुना, यानि, कम से कम 600 रुपये प्रति दिन किया जाना चाहिए, विश्राम समय के प्रावधान के साथ। चूंकि कृषि कार्य में कौशल मुख्य रूप से अनुभव से आता है, इसलिए 3 वर्ष से अधिक अनुभव वाले श्रमिकों को कुशल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

मनरेगा को मजबूत किया जाए

कृषि का काम मौसमी है और अक्सर खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से काफी कम मजदूरी पर काम करने के लिए विवश किया जाता है। इसलिए, मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजनाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और मांग के आधार पर उनका बजट आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत, कार्य दिवसों को बढ़ाकर 200 दिन किया जाना चाहिए; प्रति दिन 8 घंटे के काम के लिए न्यूनतम मजदूरी 800 रुपये होनी चाहिए; तथा, मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए (अधिक जानकारी के लिए मनरेगा श्रमिकों पर अनुभाग के तहत देखें)।

श्रम कानूनों के तहत खेतिहर मजदूरों का कवरेज सुनिश्चित करने हेतु एक अधिक मजबूत विधायी ढाँचा बनाया जाए

हाल ही में पारित श्रम कोड में कृषि श्रम का उल्लेख तो मिलता है, परंतु इसमें इस व्यावसायिक समूह के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग (1991) ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि कानूनी ढाँचे और संविधान में आवश्यक संशोधन करके, हमें एक ऐसा कानूनी ढाँचा बनाना चाहिए जो आठ घंटे के कार्य दिवस, न्यूनतम मजदूरी, दोगुनी दर पर ओवरटाइम, कर्मचारी राज्य बीमा (**ESI**), पेंशन और भविष्य निधि प्रदान करे। हमें इसे और 'राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग' की अन्य सिफारिशों को तुरंत लागू करना चाहिए।

महिला खेतिहर मजदूरों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए

किसानों के रूप में महिलाओं का काम, अंदर और बाहर दोनों जगह, पितृसत्तात्मक मूल्यों और खेतिहर मजदूरों की सामान्य उपेक्षा के चलते अदृश्य कर दिया जाता है। महिला खेतिहर मजदूरों को चिन्हित और उनका समर्थन करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। समान वेतन, 55 वर्ष के बाद पेंशन प्रावधान और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा इन पहलों में शामिल की जानी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित दाइयों, पृथक शौचालय और मातृत्व लाभ जैसी पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

न्यूनतम वेतन और श्रम कानूनों के लिए प्रवर्तन तंत्र बनाए जाएँ

खेतिहर मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानून अनुपालन की निगरानी के लिए विविध प्रतिनिधित्व वाले निरीक्षणालय बनाए जाने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए ग्रामीण मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों को कीटनाशकों के संपर्क से बचाने के लिए नीतियाँ लागू की जाएँ। महिला श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी को प्राथमिकता दी जाए।

सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित की जाए

सरकारी योगदान के साथ भूमि मालिकों, ठेकेदारों और ग्रामीण उद्योगों द्वारा वित्त पोषित, जिला स्तर पर ग्रामीण मजदूर कल्याण कोषों की स्थापना की जाए। फंडिंग, जवाबदेही और पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान के अप्रभावी 'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना' में सुधार किया जाए। गरीबी उन्मूलन के लिए खेतिहर मजदूरों के परिवारों के लिए शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास हेतु विशेष प्रावधान प्रदान किए जाएँ।

सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए

किसान उत्पादक संगठनों (**FPO**) जैसी सहकारी कृषि के माध्यम से सामूहिक खेती को प्रोत्साहित किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए। किसान सहकारी समितियों को उचित मूल्य निर्धारण के लिए सरकार–विनियमित बाजार स्थापित करने की अनुमति दी जाए। सिंचाई के लिए दिन के उजाले में बिजली उपलब्ध करवाई जाए। खेती में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए और बेहतर फसल योजना के लिए मिट्टी परीक्षण लागू किया जाए।

जलवायु-अनुकूल, स्वदेशी और जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाए

कृषि में जलवायु के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत है, और कृषि में जल कुशलता

पहला कदम है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए फसल विविधीकरण और जलवायु–अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों को टिकाऊ प्रथाओं और सौर–संचालित सिंचाई में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जैविक खेती, स्वदेशी बीजों को बढ़ावा देने और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। जैविक उत्पादों के लिए बाजार स्थापित किए जाने चाहिए, बीज बैंकों का समर्थन और महिलाओं के नेतृत्व वाली जैविक पहल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मनरेगा मजदूर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। यह आर्थिक मंदी के दौरान महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है तथा आधारभूत ढाँचे के विकास और गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है। लेकिन, इसे भुगतान में देरी और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा के प्रभाव को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की 37वीं रिपोर्ट के अनुसार सिफारिशों को लागू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अधिक बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, वेतन दिवस के साथ वेतन बढ़ाए जाएँ तथा आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति रिकॉर्डिंग का संवेदनशील कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

मनरेगा मजदूरों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए

आठ घंटे के काम के लिए प्रति दिन 800 रुपये का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। वर्तमान मजदूरी दर बुनियादी वस्तुओं की लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

गारंटीशुदा रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन की जाए

बेरोजगारी भत्ते का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाए

बेरोजगारी भत्ते का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। मनरेगा एक मांग–आधारित सार्वजनिक कार्यक्रम है। काम की मांग पूरी न होने पर भत्ते का भुगतान न करना

अधिनियम के उद्देश्यों के खिलाफ है।

यात्रा भत्ता बढ़ाया जाए

मनरेगा मजदूरों को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित कार्यस्थल पर पहुँचने के लिए मिलने वाला यात्रा भत्ता 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए।

मनरेगा मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए

सभी राज्यों में मनरेगा मजदूरों की भलाई सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किए जाएँ। साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने से श्रमिकों को आराम करने और अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के जरिए उपस्थिति दर्ज करने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाया जाए

स्मार्ट फोन की अनुपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, उपस्थिति दर्ज करने हेतु काम पूरा होने के बाद भी साइट पर बने रहने की मजबूरी और अन्य व्यक्ति के स्मार्ट फोन पर निर्भरता से मनरेगा मजदूरों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में बाधा उत्पन्न होती है और दिहाड़ी भुगतान में देरी का कारण बनती है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शिता और त्वरित वितरण में सहायक हो सकती है, लेकिन प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में अंतराल के कारण ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के इरादे से समझौता नहीं किया जा सकता। लिहाजा, जब तक सभी मनरेगा मजदूरों को छडडै तकनीक का उपयोग करने के लिए जागरूक और सक्षम नहीं बनाया जाता, तब तक उपस्थिति दर्ज करने के वैकल्पिक तरीकों को बनाए रखा जाना चाहिए।

आधार कार्ड-आधारित भुगतान प्रणाली को वापस लिया जाए

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की 37वीं रिपोर्ट के अनुसार, 21 नवंबर 2023 तक, कुल जॉब कार्ड धारकों में से 14.12 प्रतिशत मनरेगा के तहत आधार सक्षम नहीं थे। मनरेगा मजदूरों को कई व्यावहारिक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उनके आधार कार्ड नंबर का काम न करना, KYC अनुपालन और उनके बैंक खातों के साथ आधार का लिंक न होना। इसलिए, जब तक ABPS प्रौद्योगिकी से जुड़ी सभी प्रमुख अड़चनों से तसल्ली पूर्वक निपटा नहीं जाता, जिसमें मनरेगा मजदूरों के बीच जागरूकता पैदा करना भी शामिल है, तब तक इस प्रणाली को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और वैकल्पिक भुगतान के तरीके जारी रहने चाहिए।

मनरेगा कार्य के लिए ऑनलाइन मांग की सुविधा प्रदान करना

वर्तमान ऑफलाइन पद्धति को सक्रिय रखते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मनरेगा के तहत काम की मांग के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान की जाए।

दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाए

काम से संबंधित दुर्घटनाओं की स्थिति में मनरेगा मजदूरों को प्रदान किए जाने वाले बीमा कवर में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है। मनरेगा जॉब कार्ड वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाए और योजना के सभी लाभ प्रदान किए जाएँ।

पर्याप्त कार्यस्थल सुविधाएँ प्रदान की जाएँ

स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित पेयजल, क्रेच और अन्य स्वच्छता सुविधाओं सहित कार्यस्थल सुविधाओं के प्रावधान का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकटों जैसे लू, सूखा और अत्यधिक वर्षा में मनरेगा मजदूरों के लिए सुरक्षा मानकों की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

मनरेगा कार्य सूची के तहत पंचायत कमीशन कार्य को मान्यता दी जाए

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायत द्वारा शुरू किया गया विकास कार्य, जो मनरेगा कार्य सूची का हिस्सा है, पूरी तरह से मनरेगा मजदूरों के माध्यम से किया जाए और इसके लिए निजी व्यक्तियों को अनुबंधित न किया जाए।

मशीनों का उपयोग विनियमित किया जाए

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मनरेगा कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें काम की मांग करने वाले मानव श्रमिकों की जगह न लें और श्रम और पूंजी अनुपात पर खर्च का सख्ती से कार्यान्वयन बनाए रखा जाए।

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए

मनरेगा कार्य के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिनियम और नियमों में दिए गए प्रावधानों के गैर–अनुपालन और विलंबित कार्यान्वयन के लिए दंडित किया जाए।

रोजगार गारंटी को शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाए

राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए मनरेगा योजना के प्रावधानों को शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाए।

गन्ना श्रमिक

भारत में गन्ना उत्पादन गहन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का पता देता है। इन चुनौतियों में श्रम अधिकारों का उल्लंघन, असमानता, लिंग भेदभाव और पानी की कमी शामिल हैं। इस क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को दरिद्रता बढ़ाने वाले शोषण, कर्ज के मकड़जाल और रोजगार की तलाश में पलायन का सामना करना पड़ता है। गन्ना श्रमिकों के लिए एजेंडे का उद्देश्य, इन तमाम मुद्दों को संबोधित करना, मुनासिब श्रम प्रथाओं, बेहतर स्थितियों और टिकाऊ आजीविका की वकालत करना है।

न्यायसंगत श्रम प्रथाओं और कामगारों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाये

श्रमिकों के बीच आपसी सहमति सुनिश्चित करते हुए, ठेकेदारों द्वारा मनमाने ढंग से समूह गठन को रोकने के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया स्थापित की जाए। सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप मजदूरी की दरें लागू की जाएँ। इसके अलावा, काम के घंटों का विनियमन, छुट्टी का अधिकार, और बेजा कटौतियों को रोकने के लिए पारदर्शी वेतन निपटान को अनिवार्य बनाया जाए। चीनी मिलों द्वारा भुगतान की निगरानी की जाए। एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र द्वारा श्रमिकों के मुद्दों एवं चिंताओं का समाधान किया जाए। श्रमिक कल्याण और आजीविका प्रगति हेतु कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा लाभ और ऋण राहत कार्यक्रम पेश किए जाएँ।

कार्य स्थितियों और सुरक्षा में सुधार

गन्ना कटाई के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा हेतु गमबूट और गर्म कपड़ों जैसे सुरक्षात्मक गियर की आपूर्ति की जाए। निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। मजबूत दुर्घटना और मवेशी बीमा कवरेज लागू किया जाए। महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएँ, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियाँ सुनिश्चित की जाएँ और बाल श्रम पर रोक लगाई जाए। दुर्घटना से निपटने के लिए एक पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जाए। निगरानी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए सुरक्षा मानकों को लागू किया जाए। कुशल विवाद समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाए।

आजीविका स्थिरता सुनिश्चित की जाए

ई–श्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गन्ना श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण

महत्वपूर्ण है। यह सरकारी लाभों और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करता है। मनरेगा को मौसमी बेरोजगारी को कम करने के लिए ऑफ–सीजन रोजगार की पेशकश करनी चाहिए, जिससे श्रमिकों के लिए साल भर की आय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण का विस्तार किया जाए

प्रवासन की स्थिति की परवाह किए बगैर, गन्ना श्रमिकों के परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा लाभ सुनिश्चित की जाए। साथ ही **PMAY** और घरकुल जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें विशेष आवास सहायता प्रदान की जाए। गन्ना श्रमिकों के समग्र कल्याण में वृद्धि हेतु स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा सहित उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाए।

गन्ना श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ तैयार किए जाएँ

सभी गन्ना श्रमिकों के लिए **EPF** और **ESIC** कवरेज सुनिश्चित किया जाए। सरकार और उद्योग के योगदान से समर्थित, फंडिंग संबंधी सरोकारों से निपटने के लिए एक समर्पित कल्याण कोष की स्थापना की जाए। प्रवासी बस्तियों और कार्य स्थलों पर स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। प्रवासी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले विधायी ढाँचे मजबूत किए जाएँ, जिनमें शिक्षा तक पहुँच और बाल श्रम पर रोक लगाना शामिल है।

प्रवासियों के बच्चों की शिक्षा और अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ

प्रवासी बच्चों के लिए तमाम आवश्यक सुविधाओं से लैस शखर शालाओं और फार्म साइट स्कूलों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। इन पर निगरानी रखी जानी चाहिए और चीनी मिलों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुचारू रूप से स्कूल पुनर्एकीकरण और बाल श्रम रोकथाम के लिए सख्त नीतियाँ लागू की जाएँ। विशेष शिक्षा कार्यक्रम विकसित किए जाएँ, लैंगिक असमानताओं को दूर किया जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंच बढ़ाई जाए। 8वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति के अवसरों के साथ–साथ निरंतर स्कूली शिक्षा और आवासीय विद्यालय तक पहुँच की गारंटी दी जाए।

गन्ना फार्म्स में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए

कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए विशेष स्वच्छता सुविधाओं के साथ–साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली गन्ना श्रमिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए। ऑन–साइट क्रेच सुविधाओं के साथ बाल देखभाल सहायता प्रदान की जाए। जागरूकता और प्रवर्तन के माध्यम से यौन उत्पीड़न रोका जाए। महिलाओं के लिए समान वेतन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएँ। गन्ने के खेतों के पास पारदर्शी दिहाड़ी वितरण और बाल देखभाल

सुविधाएँ स्थापित की जाएँ।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दे

सुरक्षा और गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्रोत गावों और श्रमिक कॉलोनियों में स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ। मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम और जागरूकता अभियान लागू किए जाएँ। प्रजनन स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन सहित चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए। स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं को विनियमित किया जाए। चिकित्सा व्यय के लिए पोषण संबंधी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ प्रदान किया जाए

गन्ना उद्योग में संलग्न महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रसव के बाद पर्याप्त रिकवरी समय सुनिश्चित करने के लिए सभी महिला श्रमिकों के लिए पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह का न्यूनतम मातृत्व अवकाश अनिवार्य किया जाए।

स्रोत गाँवों में स्थायी आजीविका और आर्थिक लचीलापन प्रदान किया जाए

गन्ना श्रमिक कृषि संकट, वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की कमी और व्यापक ऋण ग्रस्तता का सामना करने वाले क्षेत्रों से पलायन करते हैं। इन चुनौतियों को कम करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है:

खेती योग्य भूमि वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हाशिए पर जीवन बसर करने वाले समुदायों के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित किया जाए। समुदायों को शामिल करते हुए जल तक पहुँच और प्रबंधन में सुधार किया जाए। भूमि और जल अधिकारों के लिए कानूनी सुरक्षा और निवारण तंत्र को मजबूत किया जाए। व्यापक कवरेज के लिए फसल बीमा को संशोधित किया जाए। मनरेगा का विस्तार हो, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम शुरू हों, तथा ऋण राहत उपाय लागू हों। वित्तीय ज्ञान में वृद्धि की जाए, प्रवासी श्रमिकों का समर्थन किया जाए, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए।

बागान कामगार

बागान कामगारों का सर्वेक्षण

भारत में बागान कामगारों का व्यापक सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण, उनके लिए कल्याणकारी नीतियों को समय अनुकूल बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। इन नीतियों के अंतर्गत राज्यों में उचित

वेतन एकरूपता सुनिश्चित करना और वेतन के साथ–साथ लाभ प्रदर्शित करना शामिल होगा। नियोक्ताओं के साथ पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अनिवार्य, बंधुआ मजदूरी को संबोधित करने के उपायों के साथ–साथ, जबरन काम से मुक्ति सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।

बागानों में सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ

बागानों में पानी, स्वच्छता और बाल देखभाल सहित तमाम सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए विकसित **SOPs** के साथ, आवास अधिकारों का आकलन महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी, बागान स्कूलों और माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच के लिए परिवहन आवश्यक है। वजीफे में संशोधन और स्कूली शिक्षा में समावेशिता को प्राथमिकता दिया जाना जरूरी है।

स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित की जाए

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच महत्वपूर्ण है। इसमें इलाज के लिए आने–जाने का खर्च एवं अवकाश और नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा गियर शामिल हैं। बागानों में महिलाओं अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें वेतन समानता, प्रतिनिधित्व और **ASH** समितियों जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं। प्रवासी और आदिवासी श्रमिकों के अधिकारों, विशेष रूप से दस्तावेजीकरण और अधिकारों तक पहुँच के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और अंतरविभागीय सहयोग की आवश्यकता है।

बागान कामगारों के लिए स्वामित्व और लाभ साझाकरण का अन्वेषण किया जाए

श्रमिक सहकारी समितियों पर विचार करते हुए ताला लगे बागानों में स्वामित्व और लाभ के बंटवारे का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। श्रमिकों के स्वामित्व वाले बागानों के सफल होने के लिए कल्याण बोर्डों के जरिए सरकारी मदद आवश्यक है। यह समग्र दृष्टिकोण बागान श्रमिकों के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करेगा और इस प्रकार न्यायसंगत उपचार और टिकाऊ आजीविका का लक्ष्य रखा जाएगा।

बीड़ी मजदूर

भारत के बीड़ी उद्योग में लगभग 44 लाख पूर्णकालिक मजदूर काम करते हैं। इस उद्योग से संबंधित अतिरिक्त 40 लाख नौकरियाँ हैं। कुल बीड़ी मजदूरों में से लगभग 96 प्रतिशत घर से कम करने वाले हैं। केवल 4 प्रतिशत ही कारखानों में काम करते हैं। घर–आधारित मजदूरों में 84 प्रतिशत महिलाएँ हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत घरेलू बीड़ी मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। बचे हुए 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। बीड़ी मजदूरों की संख्या

1993–94 में 44.7 लाख से बढ़कर 2018 में लगभग 48 लाख हो गई। ये आंकड़े उन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण संख्या को उजागर करते हैं जिनकी आजीविका इस उद्योग पर निर्भर करती है। बीड़ी मजदूर कम दिहाड़ी, खतरनाक कार्य वातावरण, व्यवस्था–जनित शोषण, अनिश्चित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के अभाव और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित पहुँच के कारण असुरक्षित जीवन बसर करते हैं।

विधायी और नीति ढाँचा

प्रभावी कामकाज और पारदर्शिता के लिए त्रिपक्षीय समितियों (केंद्रीय और राज्य स्तर) का गठन और सक्रिय करके बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष को पुनर्जीवित किया जाए।

बीड़ी के लिए निर्धारित **GST** में कमी (बीड़ी पत्ती पर 18 प्रतिशत **GST;** और, बीड़ी पर 28 प्रतिशत **GST**, जो उच्च स्लैब में आता है)।

सभी बीड़ी मजदूरों का पंजीकरण एवं विनियमन

विभिन्न राज्यों में बीड़ी उद्योगों का विस्तृत सर्वेक्षणय और, बीड़ी मजदूरों के परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विवरण का मानचित्रण किया जाए।

बीड़ी मजदूर कल्याण बोर्ड के तहत सभी बीड़ी मजदूरों का अनिवार्य पंजीकरण और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में शामिल करने हेतु पहचान पत्र जारी किए जाएँ।

महिला बीड़ी मजदूरों के लिए ठेका–आधारित कार्य की व्यवस्था समाप्त की जाए। कंपनी/फैक्ट्री को सीधे महिलाओं को रोजगार दे।

बाल श्रम को खत्म करने और बीड़ी बनाने वालों के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु बीड़ी उद्योग में सख्त नियम लागू किए जाएँ।

वेतन और कार्य स्थितियाँ

हर 6 महीने में मुद्रास्फीति समायोजन किया जाए। प्रति 1,000 बीड़ी पर 700 रुपये का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। मजदूरों को कारखाना मालिक के रिकॉर्ड से जुड़ी वेतन रसीदें दी जाएँ। अनुचित प्रथाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता, 2020 का सख्ती से पालन किया जाए। बीमारियों से बचाव के लिए दस्ताने और मास्क प्रदान किए जाएँ। अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों सहित क्रेच और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएँ। श्रमिकों के अधिकारों पर शैक्षिक कार्यक्रम भी आवश्यक हैं।

सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा

बीड़ी मजदूरों को जीवन और स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और शैक्षिक सहायता सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा दी जाए। उन्हें मातृत्व लाभ के साथ भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा कवर किया जाए। समुदायों और स्वास्थ्य शिविरों के पास स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ महत्वपूर्ण हैं, खासकर महिलाओं की जरूरतों के लिए। सार्वजनिक योजनाओं के तहत शैक्षिक सहायता और आवास भी आवश्यक हैं।

वैकल्पिक आजीविका और श्रमिकों के उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए

बीड़ी मजदूरों को नए अवसरों से लैस करने और स्थानीय संसाधनों के अनुकूल वैकल्पिक आजीविका का पता लगाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश किया जाए, जैसे छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन या नए उद्योगों के लिए प्रशिक्षण। कैरियर परिवर्तन के दौरान वित्तीय और तार्किक सहायता प्रदान की जाए। बीड़ी श्रमिकों को सशक्त बनाने और उचित लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए।

मछुआरे

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 1.09 प्रतिशत योगदान देता है और 1.6 करोड़ मछुआरों और तीन करोड़ श्रमिकों का भरण–पोषण करता है। 2020 में शुरू की गई प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। हालाँकि, छोटे स्तर के मछुआरों को वैश्वीकरण, पारिस्थितिकी क्षरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्थायी प्रथाओं और नीति सुधारों की वकालत करते हुए देश भर में मछली श्रमिकों और मछुआरे समुदायों का समर्थन करने की आवश्यकता है।

विधायी और नीति ढाँचा

अंतर्देशीय मछुआरों और छोटे पैमाने के मछली श्रमिकों के लिए एक कानून बनाया जाए

राज्य मत्स्य पालन विभागों द्वारा चिन्हित छोटे पैमाने के मछली श्रमिकों के पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून लागू किया जाए। तटीय जल सहित मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान की जाए। महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए, इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक मछली पकड़ने का विनियमन किया जाए। निर्दिष्ट जल निकायों में छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए कराधान और लाइसेंस शुल्क समाप्त की जाए। जहर देने और नीचे से मछली पकड़ने जैसी विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं पर रोक लगाई जाए। बिहार की 1991–92 की कर छूट को देशभर में लागू किया जाए। इस कानून का उद्देश्य जलीय

पारिस्थितिकी तंत्र को हानिकारक प्रथाओं से बचाते हुए छोटे पैमाने के मछली श्रमिकों की आजीविका और परंपराओं की रक्षा करना है।

तटीय मछुआरों और छोटे पैमाने के मछली श्रमिकों के लिए एक कानून बनाया जाए

तटीय मछली श्रमिकों को जलवायु आपदाओं से बचाने के लिए एक कानून बने, जिसमें आवास, उपयोगिताओं और तटीय जल तक पहुँच के साथ उचित पुनर्वास की पेशकश की जाए। नुकसान का मुआवजा, आपातकालीन राहत और आपदा तैयारी सुनिश्चित की जाए। लचीले बुनियादी ढाँचे और मैंग्रोव बहाली जैसी समुदाय–आधारित अनुकूलन रणनीतियों में निवेश किया जाए। मछुआरों को जलवायु प्रभावों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया जाए।

तटीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया जाए

मनरेगा की तर्ज पर, एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो जल संसाधनों के पुनरुद्धार और मैंग्रोव सहित तटीय और समुद्री जैव–विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करे; तथा, जो अन्य बातों के साथ–साथ छोटे पैमाने और पारंपरिक मछली श्रमिकों की अधिमान्य पहुँच की रक्षा करे।

तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की समीक्षा की जाए

तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि तटीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने के मछली श्रमिकों की आजीविका की रक्षा के साथ–साथ तटीय पारिस्थितिकी की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए गहन तटीय जलीय कृषि गतिविधियों का विनियमन हो सकेय तथा, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और भूजल प्रदूषण को रोका जा सके।

मछुआरों की सुरक्षित और समय पर वापसी सुनिश्चित करने हेतु पड़ोसी देशों के साथ एक व्यापक नीति बनाई जाए

इन देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कारण पड़ोसी देशों के सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरों की सुरक्षित और समय पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ संधियों को शामिल करते हुए एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए।

आजीविका सुनिश्चित करना और आगे बढ़ाना

सभी मछली श्रमिकों के लिए सरकारी पहचान पत्र सुनिश्चित किए जाएँ, फसल पूर्व और बाद की गतिविधियों के लिए भूमि तक पहुँच प्रदान की जाए और सरकारी स्वामित्व वाले जल

निकायों में मछली पकड़ने का अधिकार प्रदान किया जाए। विक्रेताओं को बेदखली से बचाया जाए, उन्हें बाजार प्रबंधन में शामिल किया जाए, और सहकारी समितियों के गठन की सुविधा प्रदान की जाए। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलेपन के लिए आजीविका के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा सहायता प्रदान की जा।

सामाजिक सुरक्षा और मुआवजा

छोटे स्तर के मछली श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य बीमा, नावें, जाल, वाहन, पेंशन और शैक्षिक सहायता शामिल है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब्सिडी और प्रावधानों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। छोटे पैमाने के मछली श्रमिकों को किसान सम्मान निधि या मछुआरा सम्मान निधि के लिए पात्र होना चाहिए। मछली प्रजनन के समय आजीविका सहायता, संभवतः मनरेगा के जरिए, इस अवधि के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के कारण यह सहायता आवश्यक है।

महिला मछली श्रमिकों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

मछली पकड़ने में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और अभियानों की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं की आरक्षित जल निकायों और जहाजों तक पहुँच मुमकिन हो। प्रोसेसिंग के लिए तटीय भूमि तक पहुँच की गारंटी दी जानी चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत वेंडिंग जोन शामिल हों। मछली वेंडिंग और केकड़ा संग्रह जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी सुविधाएँ और महिला–केंद्रित सहकारी समितियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।

प्रवासी मजदूर

भारत में प्रवासी मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनौपचारिक रोजगार, खराब आवास स्थितियाँ और उनकी डांवाडोल स्थिति के कारण सामाजिक सेवाओं तक सीमित पहूँच शामिल है। भेदभाव और वित्तीय बोझ उनके संघर्ष को और बढ़ा देते हैं, जिसके लिए निष्पक्ष श्रम प्रथाओं, सामाजिक सुरक्षा उपायों और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच जैसे व्यापक समाधान की आवश्यकता है।

कानूनी प्रावधान

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता, 2020 में अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक अनुभाग की समीक्षा की जाए, ताकि पंजीकरण, यात्रा भत्ते, छुट्टी और चोटों या मृत्यु के लिए मुआवजे सहित अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए कोड के प्रावधानों का विस्तार किया जा सके।

प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण एवं निरीक्षण

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता, 2020 प्रवासी श्रमिकों को आधार कार्ड आधारित पहचान पर जोर देते हुए एक केंद्रीय डेटाबेस के माध्यम से स्व–पंजीकरण करने की अनुमति देता है। व्यापक जागरूकता अभियान के साथ राज्यों में इसके तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों को समानांतर पंजीकरण प्रणाली बरकरार रखनी चाहिए। श्रम विभागों को डेटाबेस की निगरानी करनी चाहिए, और सतर्कता समितियों को ब्लॉक स्तर पर निष्पक्ष श्रम प्रथाओं की निगरानी करनी चाहिए। प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्डों को उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिए।

प्रवासी मजदूरों के साथ समान व्यवहार

सुनिश्चित करें कि प्रवासी मजदूरों को बिना किसी भेदभाव के समान या समान कार्य के लिए स्थानीय श्रमिकों के समान वेतन, लाभ और कामकाजी स्थितियाँ प्राप्त हों। साथ ही सुनिश्चित करें कि प्रवासी मजदूरों को श्रमिक समितियों और सुरक्षा समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, जिससे उन्हें स्थानीय श्रमिकों के बराबर, उनके कल्याण और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति मिल सके।

प्रवासी मजदूरों के लिए आवास

- प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा सब्सिडी वाले सामाजिक किराये के आवास विकल्प प्रदान किए जाएँ। अस्थायी प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए श्रमिक छात्रावास बनाए जाएँ।

- महिला प्रवासी श्रमिकों की आजीविका को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग आवास सुविधाओं का निर्माण और प्रावधान किया जाए।

- प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं में निर्बाध बिजली कनेक्शन, पेजल और सामान्य उपयोग के पानी का नियमित कनेक्शन, रसोई और उचित स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच शामिल की जाए।

- प्रवासी श्रमिकों के लिए कॉलोनियों को आंगनवाड़ी और पोषण अभियान सेवाओं, PDS, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा सेवा प्रदान की जाए।

- प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास उपलब्ध कराने वाले नियोक्ताओं की प्रभावी निगरानी श्रम निरीक्षकों द्वारा की जाए और प्रस्तावित सतर्कता समितियों को सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आवास सुरक्षा, सुरक्षा और मानवीय गरिमा की शर्तों को पूरा करते हों।

प्रवासी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा

- प्रवासी मजदूरों को एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए, जिसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर; वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशनय बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता शामिल हो और, जो सभी राज्यों में पोर्टेबल हो।

- अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य राज्यों में भी कुछ व्यवसायों के लिए लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाए।

- प्रवासी मजदूरों के स्कूली बच्चों को श्रम बल में प्रवेश करने से रोका जाए और स्रोत और गंतव्य राज्यों में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में शैक्षिक सुविधाएँ सुलभ बनाई जाएँ।

- सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी मजदूरों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज तक पहुँच प्राप्त हो, जिसमें निवारक देखभाल, व्यावसायिक बीमारियों और चोटों के लिए उपचार और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हों।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवासी मजदूर अपने गंतव्य क्षेत्रों में PDS का लाभ उठा सकें, वन नेशन वन राशन कार्ड के संचालन में तेजी लाई जाए।

प्रवासी मजदूरों के लिए सेवा विस्तार

- सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी मजदूरों को उनके अधिकारों को समझने और गंतव्य क्षेत्रों में कानूनी प्रक्रियाओं को समझने में मदद करने के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध हो।

- अलग–अलग राज्यों में बसे प्रवासी मजदूरों के पते में विसंगतियों के कारण बैंक खाते खोलने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का, उनके वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए समाधान की आवश्यकता है।

- प्रवासी मजदूरों के लिए मतदान के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

संकट प्रवासन की रोकथाम

प्रवासन क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें सुनिश्चित करें कि काम की तलाश में बाहर जाने वाले श्रमिकों को संकट के कारण बाहर न जाना पड़े। संकटपूर्ण प्रवासन से प्रभावित किसी भी परिवार को

प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा या अन्य सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के विकल्प प्रदान किए जाएँ।

निर्माण मजदूर

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) 2022–23 के अनुसार, निर्माण क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। निर्माण क्षेत्र में देश के कुल कार्यबल का 13 प्रतिशत हिस्सा काम करता है। ग्रामीण भारत में, यह 19 प्रतिशत पुरुष और 4.2 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। जबकि, शहरी भारत में यह 12.6 प्रतिशत पुरुष और 3.1 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। अधिकांश अन्य क्षेत्रों की तरह निर्माण क्षेत्र मुख्य रूप से असंगठित श्रम पर निर्भर है। देश के सभी निर्माण मजदूरों में से 83 प्रतिशत से अधिक आकस्मिक श्रमिक हैं, 12 प्रतिशत स्व–रोजगार में संलग्न हैं, और 5 प्रतिशत से कम नियमित रूप से कार्यरत हैं।

भारत में निर्माण मजदूरों को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी आजीविका, सुरक्षा और समग्र कल्याण को प्रभावित करती हैं। कई कर्मचारी अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। इस कारण कम वेतन, नौकरी में असुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा और सवैतनिक अवकाश जैसे लाभों तक उनकी सीमित पहुँच होती है। निर्माण स्थलों पर अपर्याप्त सुरक्षा मानकों के कारण असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियाँ उनकी स्थिति को बदतर बनाती हैं। इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं और व्यावसायिक खतरों का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा, पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी के कारण बीमारी या चोट के समय श्रमिकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

खतरनाक सामग्रियों के संपर्क और शारीरिक तनाव के कारण उन्हें स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण और भी बढ़ गए हैं। मौसमी रोजगार उनकी अस्थिरता में इजाफा करता है। मजदूरों को कम अवधि के दौरान अनियमित आय और नौकरी में असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। कई निर्माण मजदूरों के पास कौशल विकास के लिए औपचारिक प्रशिक्षण और अवसरों का अभाव है, जिससे उद्योग में उनकी कमाई की क्षमता और नौकरी की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

भारत में, इस स्थिति में सुधार के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें निर्माण मजदूरों को उचित वेतन, सुरक्षा नियम, सामाजिक सुरक्षा लाभ, कौशल विकास कार्यक्रम, औपचारिक रोजगार के अवसर, निर्माण मजदूरों की भलाई और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों को लागू करना शामिल है। निर्माण मजदूरों का एजेंडा, व्यापक उपायों की रूपरेखा तैयार करने का एक प्रयास है जिसका उद्देश्य एक नियामक ढाँचा स्थापित करना है जो निर्माण श्रमिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता हो और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच

प्रदान करता हो।

निर्माण मजदूरों की परिभाषा

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 में निर्माण मजदूरों की परिभाषा को निर्माण जगत में आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं के अनुरूप संशोधित और विस्तारित किया जाए। इसमें ईंट–भट्ठा और पत्थर–खदान श्रमिकों को शामिल किया जाए।

निर्माण मजदूरों का पंजीकरण और उनकी निगरानी

- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण मजदूरों की पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिनियम के तहत लाभ और सुरक्षा का लाभ उठा सकें। श्रम विभागों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कड़े कदम उठाए जाएँ। पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन सबमिशन तक सीमित न हो। जो लोग पंजीकृत नहीं हैं उन तक पहुँचने के लिए यूनियनों और नागरिक समाज समूहों की सहायता ली जाए। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि पुरुष सदस्यों के साथ काम करने वाली सभी महिलाओं का भी पंजीकरण हो।

- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 और उसके बाद के नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो। सरकार के श्रम विभाग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन को तुरंत संबोधित करने के लिए समर्पित निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति करके निर्माण स्थलों पर BOCW अधिनियम और इसके नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी हो।

- निर्माण मजदूरों के लिए प्रत्येक केंद्रीय स्थान पर सहायता केंद्र चालू किए जाएँ।

कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा, सावधानियाँ और सुविधाएँ

- कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं से निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता, 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो।

- सभी निर्माण मजदूरों को काम शुरू करने से पहले व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, खतरों की पहचान, सामग्रियों को सुरक्षित रूप से संभालने और आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का प्रशिक्षण शामिल है।

- नियोक्ताओं को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, सुरक्षा चश्मा, दस्ताने,

स्टील–पैर वाले जूते और उच्च दृश्यता वाले जैकेट प्रदान किए जाएँ। मजदूरों को PPI के सही उपयोग और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाए।

- श्रम विभाग द्वारा सुरक्षा खतरों की पहचान और समाधान के लिए निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाए।

- अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अग्निशामक यंत्र लगाए जाएँ। निर्माण स्थलों पर निकासी योजनाएँ स्थापित की जाएँ। सुनिश्चित किया जाए कि आग के खतरों को रोकने के लिए विद्युत प्रणालियाँ ठीक से स्थापित की गई हों और उनका रखरखाव ठीक से किया जाता हो।

- खतरनाक सामग्रियों के संपर्क में आने वाले या शारीरिक रूप से कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच हो। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की तुरंत निगरानी और समाधान हो।

- कार्यस्थल पर स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित पेयजल और अन्य स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ और इसमें किसी भी किस्म की कोताही के मामले में नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाए।

निर्माण क्षेत्र में महिलाएँ

- निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के श्रम को कुशल श्रमिक नहीं माना जाता है। इस कारण उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता। निर्माण कार्य के सभी पहलुओं में महिलाओं की भूमिका के लिए सक्रिय समर्थन सुनिश्चित करने हेतु निर्माण क्षेत्र में श्रम के लिंग–विभाजन को तोड़ने के लिए नीतियाँ, सार्वजनिक अभियान और समर्थन तंत्र बनाया जाए।

- स्थानीय नागरिक समाज समूहों के सहयोग से स्टॉक लेने वाली समिति का गठन किया जाए। इस क्षेत्र में महिला श्रमिकों की स्थिति का आकलन करने के लिए वार्ड स्तर का सर्वेक्षण किया जाए। यह कदम निर्माण कार्य में लगी महिलाओं की शिकायतों और यौन उत्पीड़न के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्थानीय समितियों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान किया जा सके।

- महिलाओं के सम्मानजनक रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए निर्माण स्थलों पर क्रेच सुविधाएँ, पृथक और स्वच्छ शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों सहित पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

- सभी महिला निर्माण श्रमिकों को 26 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाए।

निर्माण पर प्रतिबंध के कारण सामाजिक सुरक्षा और मुआवजा

- सभी निर्माण मजदूरों को एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए, जिसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर, वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन और बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता शामिल हो।

- सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण मजदूरों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज तक पहुँच प्राप्त हो, जिसमें निवारक देखभाल, व्यावसायिक बीमारियों और चोटों के लिए उपचार और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं। ESI योजना सभी निर्माण मजदूरों को उपलब्ध की जाए।

- प्रदूषण, गर्मी या ऐसे अन्य कारकों के कारण निर्माण कार्य रुकने पर पूर्ण मुआवजा दिया जाए। प्रभावित निर्माण मजदूरों को तत्काल नकद भुगतान किया जाए।

पत्थर-खदान मजदूर

CAG रिपोर्ट 2019 ने एक बार फिर इस क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन और उल्लंघन के मुद्दे को उजागर किया। अनुमति के साथ संचालित होने वाली खदानों के अलावा, खान और भूविज्ञान विभाग और भारतीय विज्ञान संस्थान ने 2019 में अनुमान लगाया कि 500 से अधिक अवैध पत्थर खदानें चालू थीं।

पत्थर खदानों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति नाजुक है। पत्थर खदानों का आसपास के लोगों के जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। सुरक्षित क्षेत्र नियमों (आवास और अन्य से 500 मीटर) का नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है। पर्यावरणविदों और नागरिक समाज के निरंतर दबाव के बावजूद, इस तरह के अनियमित उत्खनन से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय नुकसान बेरोकटोक जारी हैं।

सर्वेक्षण करके सभी अनधिकृत खदानों को बंद किया जाए

ताजा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन के आधार पर सभी अनाधिकृत एवं अवैध पत्थर खदानों को बंद किए जाने की आवश्यकता है। इन खदानों में मजदूरों को पंजीकृत करने और राज्य संचालित उद्यमों में पर्याप्त मुआवजा और वैकल्पिक रोजगार विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है।

BOCW के तहत पत्थर-खदान मजदूरों पर विचार और खनिक कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाए

पत्थर की खदानें भवन और निर्माण कार्य मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। BOCW योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खदान श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण तत्काल आवश्यक है।

जिला खनिज ट्रस्ट (जिला खनिज निधि से) के लिए निर्धारित संसाधनों से, प्रत्येक लाइसेंसी पत्थर–खदान को पत्थर खदान मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और परिवारों की अन्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु एक कल्याण योजना विकसित करने की आवश्यकता है।

राज्यों में खदान श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाने की जरूरत है.

पत्थर खदान मजदूरों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित की जाए

पत्थर खदान मजदूरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा नीतियाँ लागू की जाएँ। इसमें सुरक्षात्मक गियर (जैसे हेलमेट, ईयर प्लग, मास्क, दस्ताने और सुरक्षा जूते) प्रदान करना, उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना और नियमित स्वास्थ्य जांच करना जैसे उपाय शामिल हैं। श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए SOP विकसित करने, सभी खनन श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य निदान और दवा तक पहुँच में सुधार लाने, ठोस कार्रवाई को सक्षम करने हेतु राज्य स्तर पर डॉक्टरों, सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस विषय पर तत्काल परामर्श आयोजित किए जाएँ। खदान मालिकों को व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अपेक्षित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसे सभी खदानों के लिए सुनिश्चित किया जाए। इसमें गर्मी की स्थिति से बचाने के लिए 2 घंटे के नियमित अंतराल पर विश्राम, साइट पर सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग विश्राम कक्ष, क्रेच और चाइल्ड केयर केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और नियमित चिकित्सा जांच शामिल है। इस लिस्ट में और भी सुझाव शामिल किए जा सकते हैं।

सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूरों के लिए विशेष देखभाल का प्रावधान

सिलिकोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है, जो क्रिस्टल युक्त सिलिका धूल, रेत, क्वार्ट्ज और अन्य चट्टानों, में साँस लेने से होती है। ऐसी खदानों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, जहाँ श्रमिक सिलिकोसिस से प्रभावित हैं। इनका जारी रहना श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सरोकार की कमी को दर्शाता है। सिलिकोसिस पीड़ितों को राहत देने के लिए दी जाने वाली पेंशन, उनकी न्यूनतम मजदूरी से आधी निर्धारित की जायेय प्रभावित खनन श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए वैकल्पिक आजीविका की योजना बनाई जाएय पीड़ितों को उनकी

स्वास्थ्य दक्षता के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा जाए; कार्यस्थलों पर प्रभावित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएय रोगियों को आहार में पौष्टिक आहार दिया जाएय तथा पीड़ित परिवारों को मनरेगाध्शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 दिन का काम दिया जाए।

बीमा कवरेज

पत्थर खनन मजदूरों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य समस्याओं और टीबी और सिलिकोसिस जैसी व्यावसायिक बीमारियों के मामले में मुआवजा शामिल हो।

महिला श्रमिकों की सुरक्षा

स्थानीय शिकायत समितियों को सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। खदान स्तर पर यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों के गठन सहित सभी उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

श्रमिक स्वामित्व वाली पत्थर खदानें

आगे की नीति के रूप में सभी नए खदान लाइसेंस केवल सहकारी समितियों और खदान श्रमिकों के समूहों को दिए जाएँ। वे खदानें जो लाइसेंसी और अवैध नहीं हैं, और जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समझी जाती हैं, ऐसी खदानों के लाइसेंस को खदान के संचालन और प्रबंधन के लिए विकसित श्रमिकों के समूह के नाम पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इन्हें सफल बनाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण, सहायता और तकनीकी एवं वित्तीय आवश्यकताओं सहित सभी सहायता दी जाए।

फुटपाथ विक्रेता

स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात फुटपाथ विक्रेता शहरी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं, जो शहरों की जीवंतता और सांस्कृतिक विविधता में रंग भरते हुए किफायती सामान और सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे अक्सर अवैधानिक और सामाजिक रूप से अस्पष्ट क्षेत्र में काम करते हैं। उन्हें औपचारिक मान्यता के अभाव, अधिकारियों के उत्पीड़न और शोषण के प्रति असंवेदनशील माहौल में काम करना पड़ता है। एक स्पष्ट विधायी ढाँचे की अनुपस्थिति इसमें और इजाफा करती है, जिससे फुटपाथ विक्रेताओं को असुरक्षित वातावरण में अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में जीवन जीना पड़ता है।

स्ट्रीट वेंडर संरक्षण और समर्थन के लिए तैयार की गई किए कार्यसूची में उजागर माँगें, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन, व्यापक विक्रेता सर्वेक्षण और वेंडिंग जोन की स्थापना, स्ट्रीट वेंडरों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने के

लिए महत्वपूर्ण हैं। ये उपाय न केवल व्यवसायों को वैध बनाने बल्कि उन्हें सुरक्षित और स्थायी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सुरक्षा लाभों से लैस करने में सहायक होंगें। इसके अतिरिक्त, शहरी नियोजन में स्ट्रीट वेंडिंग को एकीकृत करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिला विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से नीतिगत चर्चाओं में उनकी बात सुनी जाएगी। इससे अधिक जानकारी पूर्ण और प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगें, जिससे विक्रेताओं और व्यापक समुदाय दोनों को लाभ होगा।

इन उपायों को लागू करना फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें शहरी अर्थव्यवस्थाओं के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकेगी।

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का प्रभावी एवं तत्काल कार्यान्वयन

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 का तत्काल कार्यान्वयन स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों की सुरक्षा और विनियमन को कानूनी जामा पहनाने के लिए आवश्यक है। यह सड़क विक्रेताओं के अधिकारों की मान्यता की गारंटी देता है और वेंडिंग जोन आवंटित करने और लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

सर्वेक्षण और पहचान

- व्यापक विक्रेता सर्वेक्षण : सरकारी अधिकारियों को स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों के दायरे और पैमाने को समझने के लिए सभी मौजूदा स्ट्रीट विक्रेताओं का गहन सर्वेक्षण करना चाहिए। इस तरह के सर्वेक्षण से विक्रेताओं की पहचान करने और वेंडिंग जोन की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

- वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करना : सर्वेक्षण के बाद, सभी सर्वेक्षण किए गए विक्रेताओं को वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी किए जाने चाहिए, जिससे उनके व्यवसायों को वैध बनाया जा सके और उन्हें निर्दिष्ट वेंडिंग जोन के भीतर काम करने में सक्षम बनाया जा सके।

लाइसेंसिंग और पहचान सत्यापन

- सरलीकृत परमिट प्रक्रिया : विक्रेता परमिट और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाया जाए। अनुपालन को प्रोत्साहित करने और इच्छुक विक्रेताओं के लिए प्रवेश में बाधाओं को कम करने के लिए सस्ती लागत पर परमिट प्रदान किए जाएँ।

- पहचान पत्र और लाइसेंस का प्रावधान : सभी स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र और वेंडिंग लाइसेंस प्रदान किए जाएँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कानूनी रूप से काम

करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुँचने के लिए आवश्यक दस्तावेज हों।

जोनिंग और बुनियादी ढाँचे का विकास

- वेंडिंग जोन का चुनाव : स्ट्रीट वेंडरों की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर वेंडिंग जोन के रूप में नामित किया जाए, जिससे वेंडिंग गतिविधियों के लिए एक संरचित स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

- सुविधाओं से लैस वेंडिंग जोन की स्थापना : वेंडिंग गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु वेंडिंग जोन को आवश्यक बुनियादी ढांचे और बिजली, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सुविधाओं से लैस किया जा सके।

- वेंडिंग जोन में सुविधाएँ : स्पष्ट रूप से चिह्नित वेंडिंग क्षेत्रों को उचित सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाए, जिसमें अच्छी रोशनी वाले स्थान, स्वच्छ एवं निर्मित सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षित भंडारण विकल्प, जिम्मेदार निपटान पर प्रशिक्षण के साथ कचरा डिब्बे, और जनता तक आसान पहुँच के लिए परिवहन शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- सामाजिक सुरक्षा नामांकन : स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और भविष्य निधि (PF) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया जाए।

- सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच : सड़क विक्रेताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं, मातृत्व अवकाश प्रावधानों और पेंशन योजनाओं सहित सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच सुनिश्चित की जाए, ताकि सुरक्षा जाल और उनके समग्र कल्याण में सुधार किया जा सके।

- आवास का प्रावधान : प्रवासी विक्रेताओं के लिए अतिरिक्त किराये के आवास विकल्पों के साथ, फुटपाथ विक्रेताओं के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक आवास आवंटित किए जाएँ, ताकि उनके लिए किफायती आवास सुनिश्चित किया जा सके।

- स्ट्रीट वेंडर कल्याण बोर्डों की स्थापना : स्ट्रीट वेंडरों के कल्याण के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाएँ।

बाजार नियमितीकरण और व्यवसाय समर्थन

- साप्ताहिक बाजारों का नियमितीकरण : सभी साप्ताहिक बाजारों को नियमित किया जाए, जिससे सड़क विक्रेताओं को मुख्य बाजारों में अपना सामान बेचने की अनुमति मिल सके और सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँच हो।

- ई–कॉमर्स नीति विकास : डिजिटल बाजार में स्ट्रीट वेंडरों के हितों की रक्षा करने और बढ़ते ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए एक ई–कॉमर्स नीति विकसित की जाए।

- डिजिटल कॉमर्स में एकीकरण : स्ट्रीट वेंडरों सहित छोटे व्यवसायों को ई–कॉमर्स में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और उनकी बाजार पहुँच का विस्तार करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) में एकीकृत किया जाए।

क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण

- प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन : स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय कौशल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएँ, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सशक्त बनाया जा सके।

- आजीविका के लिए सहायता : वित्तीय स्थिरता के लिए उन्हें सूक्ष्म ऋण, व्यवसाय विकास योजनाएँ और बैंक खातों तक पहुँच प्रदान की जाए। स्ट्रीट वेंडरों के लिए व्यावसायिक कौशल, स्वच्छता प्रथाओं और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार समर्थित कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। स्ट्रीट फूड संस्कृति को बढ़ावा देने और स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक ब्रांड पहचान बनाने की पहल की जाए।

- क्रेडिट तक पहुँच : स्ट्रीट वेंडरों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट सुविधाएँ शुरू की जाएँ, जिससे उन्हें अपने व्यवसायों में निवेश करने और प्रगति करने में सक्षम बनाया जा सके।

- डिजिटल साक्षरता और भुगतान प्लेटफॉर्म : स्ट्रीट वेंडरों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा और कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाए। विक्रेताओं और ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुँच आसान की जाए।

- शिकायत निवारण तंत्र : फुटपाथ विक्रेताओं की चिंताओं और विवादों को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए, जिससे टकराव की स्थिति में समाधान की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशिता

पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना : फुटपाथ विक्रेताओं को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे स्वच्छ, हरित शहरी वातावरण में योगदान दिया जा सके।

हाशिए पर जीवन बसर करने वाले समूहों के लिए समावेशी नीतियाँ : नीतियाँ समावेशी होनी चाहिए, जो स्ट्रीट वेंडिंग समुदाय में महिलाओं, विकलांगों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित, समान अवसर और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करती हों।

शहरी नियोजन और शासन

- शहरी नियोजन में एकीकरण : शहरी परिदृश्य में वेंडिंग गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु स्ट्रीट वेंडिंग को शहरी नियोजन और डिजाइन में एकीकृत किया जाए, जिसमें वेंडिंग जोन रणनीतिक रूप से स्थित और सर्व सुलभ हों।

- शासन में प्रतिनिधित्व : स्ट्रीट वेंडरों को स्थानीय शासन और निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नीति निर्माण में उनकी आवाज सुनी जाए और उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

- नगर पालिकाओं के साथ साझेदारी : शहर के परिदृश्य में स्ट्रीट वेंडिंग को एकीकृत करने हेतु स्थानीय नगर पालिकाओं और शहरी योजनाकारों के साथ साझेदारी विकसित की जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वेंडिंग गतिविधियों को शहरी विकास योजनाओं में सामंजस्यपूर्ण रूप से शामिल किया गया हो।

- विक्रेता संघों का गठन : सामूहिक मोल तोल की शक्ति को मजबूत करने तथा वकालत एवं बातचीत को एकीकृत आवाज प्रदान करने हेतु स्ट्रीट विक्रेता संघों, यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाए।

- शहरी विकास में स्थानों का आवंटन : विस्थापन रोकने और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए नव विकसित शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए निर्दिष्ट स्थान आवंटित किए जाएँ।

- बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच : सुनिश्चित किया जाए कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन में स्वच्छ पानी, स्वच्छता सुविधाएँ और अपशिष्ट निपटान सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच हो, जिससे उनकी कामकाजी परिस्थितियों के साथ–साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में

भी सुधार हो।

- नीतिगत चर्चाओं में शामिल करना : शहरी नीति चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्ट्रीट वेंडरों को शामिल किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी विकास रणनीतियों के निर्माण में उनके दृष्टिकोण और जरूरतों पर विचार हो।

- वेंडिंग समितियों को सक्रिय बनाना : स्ट्रीट वेंडरों, स्थानीय अधिकारियों और संबंधित हित धारकों के बीच संवाद की सुविधा के लिए निष्क्रिय वेंडिंग समितियों को सक्रिय बनाया जाए, जिससे उन्हें उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाली चर्चाओं और निर्णयों में स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों को शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके।

संरक्षण और सुरक्षा

- उत्पीड़न से सुरक्षा : अधिकारियों और ग्राहकों द्वारा उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और मनमाने ढंग से जब्ती से उनके सामान और गाड़ियों को बचाने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट नियमों और दिशानिर्देशों को लागू करने में सहयोग करना चाहिए।

- शोषण को कम करने के उपाय : प्रमुख वेंडिंग स्थानों तक पहुँच को नियंत्रित करने वाले बिचौलियों द्वारा सड़क विक्रेताओं के शोषण को कम करने के उपायों को अपना और लागू करके, सभी विक्रेताओं के लिए वेंडिंग स्थानों तक उचित पहुँच सुनिश्चित की जाए।

- स्थानांतरण के लिए दिशानिर्देशः बुनियादी ढाँचे के विकास के मामले में प्रभावित विक्रेताओं के लिए उचित मुआवजे के साथ स्थानांतरण हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए जाएँ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

- स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश : सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने, स्वच्छ वेंडिंग प्रथाओं और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश पेश किए जाएँ।

- साफ और स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छता : शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करते हुए, बाजार स्थानों में साफ और स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल सुविधाओं को बनाए रखने का निर्देश दिया जाए।

लिंग-संवेदनशील नीतियाँ

- लिंग–संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम : महिला फुटपाथ विक्रेताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू किया जाए, जिसमें व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता और कानूनी अधिकारों जैसे विषयों को शामिल किया जाएँ, ताकि महिला फुटपाथ विक्रेताओं को उनके उद्यमशीलता प्रयासों में सशक्त बनाया जा सके।

- महिला विक्रेताओं के लिए सुरक्षा उपाय : पर्याप्त रोशनी, CCTV निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति सहित महिला फुटपाथ विक्रेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वेंडिंग जोन में सुरक्षा उपायों को विकसित और लागू किया जाए।

- चाइल्ड केयर सहायता : महिला विक्रेताओं, जो प्राथमिक देखभालकर्ता भी हैं, की सहायता के लिए वेंडिंग जोन में या उसके निकट चाइल्ड केयर सुविधाएँ या सहायता सेवाएँ प्रदान की जाएँ, जिससे उन्हें अपने बच्चों की देखभाल से समझौता किए बगैर काम करने में सक्षम बनाया जा सके।

- स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच : स्वच्छता और गोपनीयता बनाए रखने हेतु महिला स्ट्रीट वेंडरों के लिए अलग शौचालय और चेंजिंग रूम सहित स्वच्छ और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।

- निर्णय लेने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व : उनकी अनूठी चुनौतियों और जरूरतों को संबोधित करने वाली नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत करने हेतु वेंडिंग समितियों और अन्य निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिला फुटपाथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- नीतियों में लिंग को मुख्य धारा में लाना : स्ट्रीट वेंडिंग संबंधी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग संबंधी विचारों को मुख्यधारा में लाया जाए, यह सुनिश्चित के लिए कि पहल की योजना और कार्यान्वयन में महिला विक्रेताओं की जरूरतों को एकीकृत किया गया है।

गिग श्रमिक

गिग श्रमिक असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे विभिन्न उद्योगों में नए विचारो और लचीलेपन को बढ़ावा देकर आधुनिक अर्थव्यवस्था में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, गिग श्रमिकों को नौकरी में असुरक्षा, वित्तीय अस्थिरता और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच के अभाव सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गिग श्रमिक अक्सर पारंपरिक श्रम कानूनों के तहत पारंपरिक कर्मचारियों द्वारा भोगी जा रही समान सुरक्षा और अधिकारों से खुद को वंचित

पाता है।

अल्पकालिक अनुबंधों या काम की फ्रीलांस प्रकृति वाली गिग अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से परिवहन, खाद्य वितरण और ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में। इस विस्तार ने गिग श्रमिकों की भलाई के लिए नियामक ढाँचे की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। नियामक ढाँचे की अनुपस्थिति गिग श्रमिकों के संभावित शोषण और उनकी शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने हेतु तंत्र की अनुपस्थिति के बारे में चिंता पैदा करने वाली है।

गिग श्रमिकों की इस कार्यसूची में एक नियामक ढाँचा स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापक उपायों की रूपरेखा रखी जाएगी, जो उन्हें उनके अधिकारों की गारंटी देने वाला और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच प्रदान करने वाला होगा। इस ढाँचे में विधायी सुरक्षा, शासन और कल्याण संरचनाएँ, उनकी कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ाने के उपायय तथा, कार्यकर्ता सशक्तिकरण, नियामक निरीक्षण और वित्तीय विचार शामिल किए जाएँगे। गिग श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के लिए इन उपायों का कार्यान्वयन अनिवार्य है।

मूलभूत कानूनी ढाँचा

- गिग श्रमिकों के लिए विधायी संरक्षण : एक व्यापक केंद्रीय कानून बने, जो गिग श्रमिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित, उचित उपचार और सुरक्षा सुनिश्चित करता हो। कानून कार्य स्थिति और मुआवजे के लिए स्पष्ट मानकों को परिभाषित करे। कानून विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर को बढ़ावा देने वाला हो, ताकि सभी गिग श्रमिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण से लाभान्वित हो सकें।

- समान व्यवहार और गैर–भेदभाव : गिग श्रमिकों को जाति, लिंग, उम्र, धर्म या ऐसी किसी अन्य विशेषता के आधार पर भेदभाव से बचाया जाए। उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन सहित समान व्यवहार और अवसर का अधिकार प्राप्त हो।

- सामूहिक मोल तोल का अधिकार : गिग श्रमिकों को एसोसिएशन या यूनियन बनाने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, वेतन और लाभों के लिए मोल तोल करने हेतु 'एग्रीगेटर्स' या 'प्लेटफार्मों' के साथ सामूहिक मोल तोल की बातचीत में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो।

- गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँच : सभी गिग श्रमिकों को उनके योगदान के आधार पर सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त हो।

- अनुचित बर्खास्तगी से सुरक्षाः गिग श्रमिकों को प्लेटफार्मों से अनुचित बर्खास्तगी या निष्क्रियता से संरक्षित किया जाए। प्रदर्शन संबंधी मुद्दों या विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और उचित प्रक्रिया का पालन हो।

शासन और कल्याण संरचनाएँ

- गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना : इस प्रस्तावित बोर्ड को गिग श्रमिकों के कल्याण के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक नियामक और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके कार्यों में नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, श्रम कानूनों के अनुपालन की निगरानी और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए।

- गिग वर्कर्स बोर्ड की स्थापना : गिग श्रमिकों के लिए एक त्रिपक्षीय बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें एग्रीगेटर गिग श्रमिक संगठनों, प्लेटफॉर्म आधारित ई–कॉमर्स संचालन और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों।

- गिग श्रमिकों के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना : गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित कल्याण कोष की स्थापना हो, जिसे एग्रीगेटर्स पर लगाए गए लेवी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। इस फंड को बेरोजगारी या आपात स्थिति के दौरान गिग श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित हो सके।

कार्य स्थितियाँ और श्रमिक सशक्तिकरण

- स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण : गिग श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए नियमों के साथ एक सुरक्षित कार्य वातावरण मुहैय्या कराया जाए। इसमें आवश्यक सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण का प्रावधान, साथ ही काम संबंधी चोटों और बीमारियों के लिए मुआवजा शामिल किया जाए।

- उचित मुआवजा और यात्रा भत्ता : गिग श्रमिकों को उनके काम के घंटों के लिए न्यूनतम वेतन मिले, जिससे उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, गिग श्रमिकों को परिवहन लागत और कार्य स्थानों तक पहुँच के लिए यात्रा भत्ता प्रदान किया जाए।

- प्रशिक्षण और कौशल विकास तक पहुँच : गिग श्रमिकों को अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने और बदलती बाजार माँगों के अनुकूल ढलने हेतु प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित की जाए। ये कार्यक्रम सुलभ और किफायती हों, जिससे यह सुनिश्चित हो

सके कि गिग श्रमिक अपने कौशल को लगातार उन्नत कर सकें।

» निर्णय लेने में भागीदारी : सभी गिग श्रमिकों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देकर उनके कल्याण से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो।

विनियामक उपाय और वित्तीय पहलू

» एग्रीगेटर्स का विनियमन और निरीक्षण : गिग श्रमिकों से की गई प्रतिबद्धताओं के पालन का मूल्यांकन करने, उनकी गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एग्रीगेटर्स का व्यापक ऑडिट किया जाए।

» एग्रीगेटर्स का अनिवार्य पंजीकरण : प्रत्येक एग्रीगेटर को सरकार के साथ पंजीकृत किया जाए। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और गिग इकॉनमी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य बनाया जाए।

» गिग श्रमिक कल्याण शुल्क : एक गिग श्रमिक कल्याण शुल्क स्थापित किया जाए। यह शुल्क उन कंपनियों (एग्रीगेटर्स) से लिया जाए जो गिग वर्कर्स को ग्राहकों से जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं।

पंजीकरण और डेटाबेस प्रबंधन

» प्लेटफॉर्म–आधारित गिग श्रमिकों के लिए पंजीकरण और विशिष्ट पहचान : यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक गिग कार्यकर्ता को अपने काम की अवधि की परवाह किए बिना, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने पर सरकार के साथ पंजीकृत होने का अधिकार प्राप्त हो। एक अद्वितीय ID जारी किया जाए, जिसे सभी प्लेटफार्मों पर मान्यता प्राप्त हो।

» गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का डेटाबेस : एक या अधिक एग्रीगेटर्स के साथ उनके रोजगार विवरण सहित सभी गिग श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस रखा जाए। इस डेटाबेस में गिग श्रमिकों को शामिल किया जाए, प्लेटफॉर्म से उनकी संलग्नता की अवधि की परवाह किए बगैर। इसके अधिकार क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी एग्रीगेटर्स का रिकॉर्ड रखा जाए।

» गिग श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एग्रीगेटर्स की जिम्मेदारी : एग्रीगेटर्स राज्य सरकारों को उन गिग श्रमिकों का एक डेटाबेस प्रदान करें जो उनके साथ जुड़े या पंजीकृत हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक गिग कार्यकर्ता किसी भी मंच के साथ जुड़ने पर सरकार के साथ उचित रूप से पंजीकृत है।

पहुँच और डिजिटल सशक्तिकरण

- डिजिटल साक्षरता और पहुँच : सरकार और एग्रीगेटर्स यह सुनिश्चित करें कि गिग श्रमिकों के पास गिग अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और आवश्यक तकनीक तक पहुँच संभव हो।

- वित्तीय सेवाओं तक पहुँच : गिग श्रमिकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और कामकाजी पैटर्न के अनुरूप बैंकिंग, क्रेडिट और बीमा सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाए।

- एल्गोरिथम प्रबंधन में पारदर्शिता : एग्रीगेटर्स गिग श्रमिकों के प्रबंधन के लिए एल्गोरिदम के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, जिसमें स्पष्ट संचार सहित कार्य आवंटन और प्रदर्शन के मूल्यांकन की प्रक्रिया का पता लग सके।

कार्य-जीवन संतुलन और स्थिरता

- सतत कार्यभार और कार्य घंटे : अत्यधिक कार्यभार को रोकने और गिग श्रमिकों के लिए उचित काम के घंटे सुनिश्चित करने, कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देने और 'बर्नआउट' को रोकने के लिए नियम बनाए जाएँ।

लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा

- लिंग–संवेदनशील नीतियाँ : ऐसी नीतियों को लागू किया जाए जो महिला गिग श्रमिकों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों, जैसे लिंग–आधारित वेतन अंतर, सुरक्षा चिंताओं और देखभाल की जिम्मेदारियों को पहचानती हों। सुनिश्चित किया जाए कि ये नीतियाँ लैंगिक समानता को बढ़ावा और गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली हों।

- महिला गिग श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय : एग्रीगेटर्स महिला गिग श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, विशेषकर, जो महिलाएँ देर तक या अलग–थलग क्षेत्रों में काम करती हों। इसमें सुरक्षा प्रशिक्षण, आपातकालीन सहायता सेवाएँ और सुरक्षित परिवहन विकल्प प्रदान करना शामिल है।

- मातृत्व और शिशु देखभाल लाभ : महिला गिग श्रमिकों को मातृत्व लाभ और शिशु देखभाल सहायता तक पहुँच प्रदान की जाए, जिससे वे अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने में सक्षम हो सकें। इसमें सवैतनिक मातृत्व अवकाश, किफायती बाल देखभाल सेवाओं तक पहुँच और लचीली कार्य व्यवस्था शामिल है।

- यौन उत्पीड़न को संबोधित करना : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और संबोधित

करने के लिए स्पष्ट नीतियाँ और तंत्र स्थापित किए जाएँ। महिला गिग श्रमिकों को उत्पीड़न की रिपोर्ट करने और निवारण पाने के लिए सुरक्षित और गोपनीय चौनलों तक पहुँच दी जाए।

- महिलाओं के लिए कौशल विकास : महिला गिग श्रमिकों के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाएँ। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है या उच्च कमाई की संभावना है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य महिलाओं की रोजगार क्षमता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना होना चाहिए।

- भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा : लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा लागू की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला गिग श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें गिग अर्थव्यवस्था में समान अवसर दिए जा रहे हैं।

शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायतों को सुनने और निवारण तंत्र तक पहुँच का अधिकार : प्रत्येक गिग श्रमिक को अपनी शिकायतों को सुनने और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त हो।

- गिग श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र : गिग श्रमिकों के लिए एक पारदर्शी और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए, जो एक नामित प्राधिकारी के माध्यम से शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करे। इस तंत्र को कानूनी सहायता प्रदान की जाए और ऑनलाइन और भौतिक प्लेटफार्मों के माध्यम से पहुँच बनाए रखी जाए।

घरेलू कामगार

विधायी कार्रवाई

एक ऐसा कानून लाने की सख्त जरूरत है जो घरेलू कामगारों को श्रमिक के रूप में मान्यता दे, उन्हें शोषण से बचाए, घरेलू काम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करे। प्रस्तावित कानून बनते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है :

- घरेलू कामगार को एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग में लाई गई अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, किसी घर या घरों में किसी एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अस्थायी या स्थायी, अंशकालिक या पूर्ण रूप से नकद

पारिश्रमिक के लिए समय के आधार पर घरेलू काम हेतु नियुक्त किया गया हो, नियोक्ता के रिश्तेदार सहित।

- घरेलू कामगारों के मामले में कार्य के घंटों और रोजगार की प्रकृति को, नियोक्ता–कर्मचारी संबंध को परिभाषित किया जाए। उन्हें अंशकालिक, पूर्णकालिक और लिव–इन के रूप में अलग किया जाए। हालाँकि, काम के क्षेत्र और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य को उन्हें काम के घंटों के आधार पर अंशकालिक, पूर्णकालिक और लिव–इन श्रमिकों के रूप में परिभाषित करना चाहिए। उनका वेतन 'राप्टाकोस' मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर निर्धारित किया जाए।

- नियोक्ता की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या एक से अधिक घरेलू कामगारों को नियोजित करने वाले व्यक्ति के रूप में समझा जाए। यदि नियोक्ता की प्रकृति अप्रत्यक्ष है तो यह परिभाषित किया जाए कि घरेलू कामगार को (उसकी मर्जी अनुसार) पारिश्रमिक भुगतान चेक के माध्यम से होगा या नकदी में। इसकी भी स्पष्ट परिभाषा की जाए कि कामगार पूर्णकालिक है या आंशिक। इसमें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नियुक्त घरेलू कामगारों की कितनी संख्या है या कि रोजगार की प्रकृति या समयावधि क्या है।

- पंजीकरण : श्रमिक के पंजीकरण के साथ–साथ, नियोक्ता और प्लेसमेंट एजेंसियाँ जो घरेलू श्रमिकों को विशिष्ट निजी आवासों में रखती हैं, उन्हें स्थानीय निकायों के साथ एक निर्धारित शुल्क लगाकर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाए, विशेषकर, लिव–इन श्रमिकों के मामले में जो आम तौर पर प्रवासी होते हैं।

- निर्धारित शुल्क के साथ प्लेसमेंट एजेंसियों का 'दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम' के तहत पंजीकरण किया जाए। उनका शासन नियामक तंत्र के अधीन हो, बगैर इस बात की परवाह किए कि भर्ती और प्लेसमेंट उनका मुख्य व्यवसाय है या नहीं।

- जहाँ घरेलू कामगार संगठनों की एजेंसियों को मान्यता प्राप्त है, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और अन्य कानूनों में घरेलू कामगार संगठनों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाए। यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि घरेलू कामगार संगठनों को महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में लिया जाए और सभी नीतिगत स्तर के मामलों में उनके विचार लिए जाएँ। संघ बनाने के उनके अधिकार की रक्षा की जाए।

- पंजीकरण के समय कामगारों को 'स्व–घोषणा' करने की अनुमति दी जाए और उन्हें एक पहचान पत्र प्रदान किया जाए। ऑनलाइन पंजीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाए।

- श्रम विभागों में प्लेसमेंट एजेंसियों की सूची पारदर्शी हो, ताकि प्रवासी श्रमिकों की भेद्यता सुरक्षित रहे और नियोक्ता सूचित भर्तियाँ की जा सके।

- इस अधिनियम के तहत आयु निर्धारण किया जाए। 16 से 18 वर्ष के बच्चों को 'युवा' घरेलू कामगार माना जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।

- बच्चों को घरेलू कामगार के रूप में और प्रवासी मजदूरों को बंधुआ घरेलू कामगार के रूप में नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो और घरेलू कामगारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएँ।

मौजूदा कानून में संशोधन

- मौजूदा कानून के रहते, घरेलू कामगार संबंधी संशोधनों में नई नीतियों को स्थान मिले।

- घरेलू कामगारों को समावेशी बनाने के लिए कुछ श्रम संहिताओं में उपयुक्त संशोधन किए जाएँ। उदाहरण के लिए, खाना पकाने के कार्य, बूढ़े एवं बच्चों की देखरेख, जानवरों की देखभाल और घरेलू कामगारों को जीवनयापन योग्य वेतन प्रदान करने जैसे पहलुओं को सम्मिलित किया जाए। निम्नलिखित कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता है :

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक सूची, (बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2016)

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000

- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

न्यूनतम मजदूरी

- केंद्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के स्तर में एकरूपता लाई जाए, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान हो।

- घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए, और प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि वेतन संहिता की अनुसूची के तहत ऐसे वेतन का भुगतान उनके कौशल सेट के अनुसार हो।

- न्यूनतम मजदूरी की दर जीवन निर्वाह मजदूरी जितनी हो। वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए निकाली जाए। एक माह का वेतन बोनस के रूप में दिया जाए।

- घरेलू कामगारों के संदर्भ में ओवरटाइम और काम के सामान्य घंटों का मुआवजा लागू किया जाए।

- केंद्र और राज्य स्तर पर वेतन का निर्धारण करते समय, अधिकारियों को 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के राप्टाकोस आदेश का पालन हो।

- वेतन कर्मचारी की जरूरतें, खर्च, स्थान और काम के घंटे, घर का आकार, परिवार के सदस्यों की संख्या और किए गए कार्यों की संख्या पर आधारित हो।

- मजदूरी का भुगतान बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाए ताकि भुगतान की गई राशि दर्ज की जा सके। यदि कुछ दिनों के लिए काम किया जाता है, तो भी भुगतान किया जाए। इस प्रक्रिया की स्थानीय स्तर पर निगरानी की जाए।

- न्यूनतम वेतन प्रति घंटे के आधार पर तय किया जाए और यह काम की प्रकृति के अनुसार हो न कि समय अनुसार।

शिकायत / विवाद निवारण

- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा घरेलू कामगारों के अधिकारों के उल्लंघन के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण और विवाद समाधान तंत्र स्थापित किए जाएँ।

- तंत्र सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, हिंसा, अस्पृश्यता और दुर्व्यवहार (यौन और मानसिक) से सुरक्षा (इस मामले में, निजी घराने), और श्रमिकों के क्षेत्र में अन्य विवादों से संबंधित अधिकारों को संबोधित करे।

- विवादों से संबंधित सभी मामलों के लिए श्रम विभाग एकमात्र प्राधिकारी हो।

- सुनिश्चित किया जाए कि तस्करी, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और विवादों की शिकायतें प्राधिकारी

द्वारा सुनी जाएँ और जाँच हो। घरेलू कामगार संगठनों के प्रतिनिधित्व वाले एक त्रिपक्षीय निकाय का गठन हो।

- जबरन श्रम और दासता के लिए तस्करी किए जाने वाले घरेलू कामगारों के मामलों में, शामिल प्लेसमेंट एजेंसी को IPC या CRPC की प्रासंगिक धारा (धाराओं) के अनुसार दंडित किया जाए।

- अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास केंद्र स्थापित करके प्रवासी और अन्य घरेलू कामगारों की शिकायतों और सहायता के लिए 24•7 हेल्पलाइन स्थापित की जाए।

- पुलिस द्वारा विवाद समाधान प्रक्रिया में हस्तक्षेप न किया जाए (आपराधिक मामलों में, दुरुस्त जाँच प्रक्रिया का पालन हो और निष्पक्ष निपटान एवं न्याय तक निष्पक्ष पहुँच प्रदान की जाए)।

संस्थागत तंत्र की स्थापना

- श्रमिक सुविधा केंद्र और घरेलू कामगार कल्याण बोर्ड या स्थानीयकृत वार्ड/पंचायत पड़ोस समितियों जैसे त्रिपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाए, जो रोजगार की उचित शर्तें, सामाजिक सुरक्षा कवर, सामाजिक सुरक्षा लाभ और शिकायत निवारण और विवाद समाधान प्रदान करते हों। इन्हें श्रमिकों के लिए आसानी से उपलब्ध किया जाए।

- स्थानीय महिला संगठनों, घरेलू कामगार संगठनों और यूनियनों की भागीदारी के साथ–साथ निरीक्षण और प्रवर्तन एजेंसियों को विस्तृत पूछताछ करने की स्वायत्तता दी जाए।

विश्राम अंतराल और अवकाश

- घरेलू कामगारों के लिए साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए।

- घरेलू कामगारों को वेतन और बीमारी की छुट्टी दी जाए।

सामाजिक सुरक्षा

- कार्यबल के इस क्षेत्र को मातृत्व सुरक्षा से अधिकतर वंचित रखा गया है। इसलिए, उन्हें मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन (50 वर्ष की आयु से) सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ और भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाए। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन लाया जाए।

- सार्वजनिक संस्थानों में पर्याप्त आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अधिकार और अन्य श्रेणियों के श्रमिकों के लिए उपलब्ध योजनाओं और लाभों तक पहुँच घरेलू श्रमिकों के साथ–साथ उनके बच्चों को भी उपलब्ध कराई जाए।

- उचित कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देने हेतु जो घरेलू कामगार काम के दौरान बच्चों को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते उनके लिए क्रेच बनाए जाएँ।

- घरेलू काम और घरेलू कामगार संगठनों के लिए रोजगार के मॉडल अनुबंध की स्थापना के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए और घरेलू कामगारों, नियोक्ताओं और प्रतिनिधि संगठनों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

- घरेलू कामगारों को राज्य द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए।

- जाति, पंथ या धर्म आधारित भेदभाव के मामलों में रिपोर्टिंग पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

- घरेलू कामगार को शौचालय उपलब्ध कराना नियोक्ता की जिम्मेदारी हो।

- इस क्षेत्र में तीसरे लिंग के व्यक्ति भी काम करते हैं। नीति उनके साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार पर मौन है। थर्ड जेंडर के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएँ।

- सेवाओं को रद्द करने से पहले नियोक्ता द्वारा घरेलू कामगार को एक महीने का नोटिस दिया जाए। यह सुविधा सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी पर भी लागू हो।

- प्रति कर्मचारी 2 लाख रुपये तक के चिकित्सा बीमा का सुझाव दिया जाता है।

- लिव–इन कामगारों के मामले में, जिन्हें नियोक्ता द्वारा आवास प्रदान किया जाता है, उस आवास के संबंध में पारिश्रमिक से कोई कटौती नहीं की जा सकती, जब तक कि कर्मचारी अन्यथा सहमत न होय चूँकि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच शक्ति समीकरण होता है, इसलिए पारिश्रमिक हमेशा नकद में हो।

नियोक्ताओं / **RWA** *के लिए निर्देश*

- सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और नियोक्ताओं को लक्षित करते हुए एक निर्देश प्रकाशित किया जाए कि वे घर में रहने वाले घरेलू कामगारों, उनके स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करें।

- घरेलू कामगारों को सामूहिक मोल तोल का अधिकार दिया जाए।

- संबंधित राज्य सरकारों को घरेलू कामगारों के लिए सुरक्षा और स्थिर आजीविका सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित अनुभाग में सिफारिशों का पालन करने के लिए RWA को निर्देश जारी करना चाहिए।

- घरेलू कामगार, किसी भी अन्य कामगार की तरह, सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका के हकदार हैं। कर्मचारी प्रतिधारण पर सरकारी सलाह के अनुसार, बिना–सूचना–बिना–कारण बर्खास्तगी के खिलाफ मानदंड स्थापित किए जाएँ और ऐसी स्थिति में उन्हें बिना शर्त वापस लिया जाए। किसी को भी नौकरी या स्थगन के बारे में अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में, अगले तीन महीनों के लिए उन्हें पर्याप्त वेतन मुआवजा दिया जाए।

- घरेलू कामगारों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव न किया जाए या उन्हें 'उच्च जोखिम' वाले व्यक्तियों के रूप में देखा जाए। उन्हें 'लिफ्ट न लेने' की सलाह न दी जाए या इस जैसा कोई भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाए।

- गार्डों और फेसिलिटी मैनेजरों को घरेलू कामगारों के साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। घरेलू कामगारों को भेदभाव, शोषण या गरिमा उल्लंघन संबंधी किसी भी मामले की शिकायत करने के लिए आंतरिक/बाह्य शिकायत समिति के सदस्य का संपर्क नंबर दिया जाए।

कौशल प्रशिक्षण

- घरेलू काम को पेशेवर बनाने, मजदूरी में वृद्धि करने और घरेलू कामगारों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने हेतु बुनियादी और साथ ही अत्यधिक विशिष्ट कौशल प्रदान करने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।

- कामगारों को अपने खाली समय में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण/अध्ययन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता दी जाए।

- इस संदर्भ में, कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित संबंधित निकायों के साथ पंजीकृत किया जाए।

बजटीय एवं वित्तीय प्रावधान

- केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संबंधित मंत्रालय और विभाग, श्रमिक संगठन और नागरिक समाज जैसे हितधारक जो घरेलू कामगारों पर नीति को लागू करने के लिए सीधे जिम्मेदार

हैं, उन्हें वित्त के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु बजट में उचित आवंटन दिया जाए।

- घरेलू श्रमिकों के हितों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय प्रावधान निर्दिष्ट किया जाए। श्रमिकों के कल्याण के लिए आय के स्रोत पर कर लगाकर धन उत्पन्न किया जाए (जैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए उपकर लगाकर किया जाता है)

ग्रामीण घरेलू कामगार

ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में, घरेलू कामगारों को घरों में काम करते समय अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में वे बंधुआ मजदूर के रूप में ऐसा करते पाए जाते हैं। पंजाब में, महिला घरेलू कामगार गाय के गोबर और कचरा एकत्रित करने जैसे कठिन कार्य करती हैं। अनुसूचित जाति जैसी निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली ये महिलाएँ वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की कमी के कारण खुद को इस व्यवसाय में पाती हैं। उनका काम न केवल शारीरिक रूप से कठिन और अस्वास्थ्यकर है ,बल्कि सामाजिक रूप से भी कलंकित है। उन्हें शोषण, बंधुआ मजदूरी और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके पास अपने और अपने बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक बहुत सीमित पहुँच है। उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ उन्हें आजीवन गरीबी और हाशिए पर जीवन बसर करने के चक्र को कायम रखती हैं।

गोबर और कूड़े–कचरे में काम करने वाली ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों की माँगों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने जाने चाहिए :

बंधुआ मजदूरी से मुक्ति संबंधी नीतियाँ लागू की जाएँ

बंधुआ मजदूरी से मुक्ति संबंधी नीतियाँ लागू की जाएँ : ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों के बीच बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए नीतियाँ बनाई और लागू की जाएँ। श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने और बंधुआ मजदूरी के मामलों में तत्काल हस्तक्षेप प्रदान करने हेतु निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएँ। मुक्त किए गए श्रमिकों को कानूनी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित पुनर्वास सहायता की पेशकश की जाए। जागरूकता अभियानों को श्रमिकों और नियोक्ताओं को बंधुआ मजदूरी के कानूनी और मानवाधिकारों के प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाए।

उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए

ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करना, उनकी गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार वेतन अनिवार्य और अनुपालन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ऋण मुक्ति अभियान शुरू किया जाए :

ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाए। इस अभियान का उद्देश्य ऋण के उस बोझ को कम करना होना चाहिए, जो इनमें से कई श्रमिकों को अक्सर उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने के परिणामस्वरूप उठाना पड़ता है।

ऋण मूल्यांकन और निपटान कार्यक्रम

श्रमिकों के बीच ऋण भयावहता को समझने और मदद की गुहार लगाने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए गहन मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। श्रमिकों और लेनदारों के बीच बातचीत से तत्काल राहत देने वाला ऋण निपटान कार्यक्रम लागू किया जाए।

माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से बचाव

ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों को निजी अवैध माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए सरकारी कार्रवाई महत्वपूर्ण है। ये कंपनियाँ अक्सर श्रमिकों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें उच्च–ब्याज ऋण के चक्र में फंसाकर वित्तीय संकट में धकेल देती हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी कंपनियाँ निष्पक्ष और पारदर्शी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए कानूनी ढाँचे के भीतर काम करें।

वित्तीय समावेशन बढ़ाया जाए

श्रमिकों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने और अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता कम करने के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं, कम ब्याज वाले ऋण और बचत योजनाओं तक पहुँच सुगम बनाई जाए।

औपचारिक ऋण तक पहुँच

वनियमित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने वाले औपचारिक ऋण स्रोतों, जैसे कि बैंक और माइक्रोफाइनेंस संस्थान तक पहुँच को सुविधाजनक बनाया जाए। इससे अनौपचारिक उधारदाताओं पर निर्भरता कम होगी।

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण

श्रमिकों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्हें ऋण प्रबंधन, बचत, बजट और अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाए।

कानूनी सहायता और समर्थन

ऋण शिकारियों के शिकार श्रमिकों को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान किया जाए। उचित शर्तों पर बातचीत करने या शोषणकारी अनुबंधों को चुनौती देने में उनकी मदद की जाए।

पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाए

ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों के योगदान को पहचानने और उनकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंजीकरण की सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक है। एक सरल और सुलभ पंजीकरण प्रणाली की स्थापना से, सरकार को इन श्रमिकों के बारे में महत्वपूर्ण आँकड़े एकत्रित करने में आसानी होगी और जिससे अनुरूप नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे। पंजीकरण पर, रोजगार के प्रमाण के रूप में एक आधिकारिक पहचान पत्र जारी करने से इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और कानूनी सहायता तक पहुँच मिलेगी।

कल्याण बोर्ड की स्थापना

ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों को व्यापक सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। यह बोर्ड इन श्रमिकों के समक्ष आने वाली बहुमुखी चुनौतियों के समाधान में एक केंद्रीकृत निकाय के रूप में काम करेगा, जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और कानूनी सुरक्षा संबंधी मुद्दे शामिल हैं। बोर्ड इन श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिसके वे हकदार हैं।

आवास एवं शौचालय सुविधाएँ प्रदान की जाएँ

ग्रामीण महिला घरेलू कामगारों को आवास और स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जाए। इन कामगारों में लगभग सभी के पास न तो कृषि–योग्य भूमि है और न ही आवास–योग्य भूमि।

पेंशन व्यवस्था प्रदान की जाए

गोबर और कूड़ा–करकट उठाने वाली ग्रामीण महिलाओं की वृद्ध अवस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए पेंशन प्रणाली स्थापित की जाए। ऐसा कदम उनको सम्मानजनक जीवन जीने में मददगार साबित होगा। इससे उनकी कड़ी मेहनत और योगदान को भी स्वीकार्यता मिलेगी। यह उनकी भलाई के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाला और वित्तीय अस्थिरता की आशंकाओं को कम करने वाला साबित हो सकता है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बढ़ाई जाए

श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक गियर और उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण तक पहुँच सहित सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए नियम विकसित एवं लागू किए जाएँ।

शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना

श्रमिकों को मुद्दों की रिपोर्ट करने, सहायता लेने और वेतन, कार्य स्थिति और अधिकारों के उल्लंघन संबंधी विवादों को हल करने हेतु समर्पित चैनल स्थापित किए जाएँ।

कौशल विकास को प्रोत्साहन

श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, जिससे उन्हें अधिक सम्मानजनक और टिकाऊ नौकरियों में संक्रमण के लिए सशक्त बनाया जा सके।

मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

मान्यता–प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ASHA कार्यकर्ताओं को सन् 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत लाया गया था; जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सन् 1970 के दशक से एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) का हिस्सा रही हैं। ये कार्यकर्ता जमीनी स्तर के पदाधिकारी हैं। इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

ASHA कार्यकर्ता समुदायों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बीच एक सेतु का काम करती हैं। वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, टीकाकरण अभियान प्रदान करने, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करने का काम करती हैं। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, पूर्व स्कूली शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद, ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अग्रणी कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता की कमी है। इसके परिणामस्वरूप, ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक वेतन, समयबद्ध काम के घंटे, प्रभावी सामाजिक सुरक्षा या सम्मानजनक कार्य से जुड़े अन्य अधिकार

प्रदान नहीं किए जाते हैं। ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अक्सर उचित मुआवजे या लाभ के बिना लंबे समय तक काम करती हैं, जिससे वे थक और हतोत्साहित हो जाती हैं।

कई श्रमिकों को न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त होता है और जटिल स्वास्थ्य या शैक्षिक मुद्दों से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और आपूर्ति गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधित होती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें सामाजिक कलंक और कभी–कभी समुदायों से प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ता है। खासकर, स्वास्थ्य प्रथाओं या शिक्षा संबंधी सांस्कृतिक मान्यताओं के संबंध में।

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रणालियों के अभिन्न स्तंभ हैं। उनके सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे मान्यता की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और कार्यभार के मुद्दों को संबोधित करना उनकी सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार और ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यसूची में बताया गया है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है।

नियमित रोजगार की स्थिति

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवक या अंशकालिक कार्यकर्ता माना जाता है। इससे उनकी रोजगार की स्थिति अस्थिर हो जाती है। उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं बाल देखभाल में उनके अमूल्य योगदान के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना आवश्यक है।

जीवनयापन मजदूरी और प्रोत्साहन

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक निश्चित मासिक वेतन प्रदान करने की आवश्यकता है। इसे कुशल श्रमिकों के वेतन के बराबर उनके काम की प्रकृति और उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाने वाला बनाया जाए। वेतन को मुद्रास्फीति सूचकांकों से जोड़ा जाए और हर 6 महीने में अद्यतन किया जाए। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके प्रयासों को प्रेरित और पुरस्कृत करने के लिए उन्हें प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन दिया जाए।

वेतन एवं प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्सर वेतन और प्रोत्साहन भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है। सुनिश्चित किया जाए कि सभी वेतन और प्रोत्साहनों का भुगतान हर महीने समय पर किया जाए। सभी प्रोत्साहनों को एक ही मासिक भुगतान में समेकित किया जाए।

रात्रि कार्य के मुआवजे का भुगतान

जिन ASHA कार्यकर्ताओं को रात के दौरान किसी आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं की देखभाल करनी होती है या रात में प्रसव के लिए अस्पताल प्रवेश के लिए उनके साथ जाना होता है, उन्हें अतिरिक्त मुआवजा और सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

निश्चित काम के घंटे और ओवरटाइम मुआवजा

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे तय किए जाने की जरूरत है। किसी आपात स्थिति के कारण काम के घंटों से परे किसी भी काम के लिए वेतन संहिता, 2019 द्वारा निर्धारित दर पर उचित मुआवजा दिया जाए।

वैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतनित अवकाश और सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे की ईपीएफ, पेंशन, ग्रेचुएटी, स्वास्थ्य बीमा, और मातृत्व अवकाश देना चाहिए, जो सहायक नर्सिंग और मिडवाइफ्स को प्रदान किया जाता है।

रिपोर्टिंग और मोबाइल एप्लिकेशन

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दैनिक रिपोर्ट संकलित करने और पोषण ट्रैकर ऐप जैसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा फीड करने में महत्वपूर्ण समय बिताना पड़ता है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने में लगने वाले समय को उनके दैनिक कार्य घंटों में शामिल किया जाए और उन्हें मोबाइल फोन और इंटरनेट शुल्क से संबंधित खर्चों के लिए भत्ता प्रदान किया जाए।

अतिरिक्त कार्य के लिए मुआवजा

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्सर जिला और ब्लॉक अधिकारियों द्वारा सरकार प्रायोजित सर्वेक्षण करने या सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों, जागरूकता और नामांकन शिविरों और परीक्षा हॉलों में अपनी सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा जाता है। उनके द्वारा ऐसा कार्य किये जाने की स्थिति में उन्हें दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता प्रदान किया जाये।

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं, बाल विकास, पोषण और सामुदायिक सहभागिता रणनीतियों पर नियमित और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

बेहतर बुनियादी ढाँचा और संसाधन

प्रभावी सेवा वितरण के लिए सुविधाओं से लैस स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और आंगनवाड़ी सुविधाओं सहित पर्याप्त बुनियादी ढाँचा महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाओं, शैक्षिक सामग्री, पोषण संबंधी पूरक और सहायक उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।

मान्यता और सम्मान

समुदाय की विश्वास प्रणाली के विपरीत हस्तक्षेप करने पर ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्सर उन समुदायों से प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में, स्थानीय सरकारी पदाधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों को बेहतर बनाने में अग्रणी कार्यकर्ताओं और सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ावा देने और स्वीकार करने के लिए स्थानीय स्तर पर अभियान चलाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकी का सामना न करना पड़े, बल्कि समाज में उनके योगदान का सम्मान किया जाए।

चोल्टरी कामगार (शादियों और पार्टियों में काम करने वाले मजदूर)

चोल्टरी कामगार साफ सफाई का काम करने वालों को कहा जाता है। वे विवाह हॉलों या पंडालों में खाना पकाने के काम में भी सहायता करते हैं। उन्हें धार्मिक और सामाजिक समारोहों में भी कार्यों के लिए किराए पर लिया जाता है। चोल्टरी कामगार घरेलू कामगारों या स्व–रोजगार गृह–आधारित कामगारों के एक उप–वर्ग का गठन करते हैं और जिस तरह इन क्षेत्रों में कार्यरत कामगार संख्या के मामले में महिलाओं का दबदबा है, उसी प्रकार चोल्टरी कामगारों में भी अधिकांशतः महिलाएँ हैं। चोल्टरी में काम करने जाने वाली अधिकांश महिलाएँ शहरी स्लम समुदायों और सबसे अधिक दबे–कुचले सामाजिक और आर्थिक वर्ग से आती हैं।

एक्शनएड एसोसिएशन के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि कर्नाटक में चोल्टरी कामगारों की औसत आय 2 दिनों के लिए 500 से 700 रुपये के बीच थी और उन्हें महीने में अधिकतम 15 दिन काम मिलता था। इसमें मोल–भाव की कोई गुंजाईश नहीं थी। नियोक्ता/कर्मचारी संबंध अस्पष्ट हैं और ठेकेदारों के 2 या 3 स्तरों के माध्यम से स्थापित होते हैं। इस कारण, जवाबदेही स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी और नियोक्ता के बीच किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होता है। कामगारों के लिए श्रमिक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने का कोई आधार नहीं है, जो उन्हें असंगठित मजदूरों के रूप में अपने बुनियादी

अधिकारों और सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बना सके। उनके काम की असुरक्षित, अनौपचारिक और गैर–विनियमित प्रकृति उन्हें लिंग, वर्ग और जाति–आधारित शोषण और भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। उनके श्रम की गरिमा को बहाल करने और बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें पेश की जाती हैं :

गणना

इस कार्य को पहचानने और स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम प्रशासन और श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों के लिए होगा कि वे चोल्टरी और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की वार्डवार/पंचायतवार गणना करें।

पंजीकरण

दूसरा कदम, जिला प्रशासन के माध्यम से अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना है ताकि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 या नए सामाजिक सुरक्षा कोड के प्रावधानों के तहत जिनके नियम अभी तैयार किए जाने बाकी हैं, उन्हें पहचान पत्र जारी किए जा सकें। इससे उन्हें कानून के तहत मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कार्य अनुबंध /रोजगार पत्र

प्रत्येक ठेकेदार द्वारा उप–ठेकेदार को रोजगार पत्र जारी किया जाए जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के नाम और वेतन निर्दिष्ट हों, जिसके आधार पर वे सभी असंगठित श्रमिकों के लिए उपलब्ध लाभों तक पहुँचने के लिए श्रमिक पहचान पत्र भी प्राप्त कर सकें।

ठेकेदारों का पंजीकरण

सभी ठेकेदारों को वार्डवार या पंचायतों या नगर पालिकाओं में पंजीकृत किया जाए ताकि उन्हें चोल्टरी कामगारों के लिए सभ्य कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जा सके।

श्रमिक सुविधा केंद्र

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 4 के 9वें खंड के तहत अनिवार्य श्रमिक सुविधा केंद्र, उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने, सभी पंजीकरण चरणों के माध्यम से असंगठित श्रमिकों की सहायता करने और उपयुक्त योजनाओं के लिए नामांकन में मदद करने के लिए स्थापित किए जाएँ।

चोल्टरी, विवाह हॉल और अन्य समान संस्थानों को कार्य स्थान के रूप में पंजीकृत करना :

मुजरई, श्रम और अन्य संबंधित विभागों द्वारा न केवल ऐसे सभी चोल्टरी और विवाह हॉलों को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी ली जाए, जो उनके दायरे में आते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम मजदूरी और उचित कामकाजी परिस्थितियों सहित किसी किस्म का उल्लंघन न हो।

न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और बोनस बैंक खाते

चोल्टरी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। घरेलू काम के समान दर लागू की जाए। ओवरटाइम के साथ इस राशि को निर्दिष्ट किया जाए। इसका भुगतान ओवरटाइम तथा बोनस के साथ किया जाए। ओवरटाइम और बोनस के अलावा उनके द्वारा किए जाने वाले 2 दिनों के काम के लिए न्यूनतम वेतन लगभग 1,000 रुपये किया जाए। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया जाए, न कि उप–ठेकेदारों को भुगतान सौंपा जाए। उप ठेकेदारों का भुगतान स्वतंत्र रूप से किया जाए।

कार्य स्थितियाँ

सभी चोल्टरी कामगारों को वर्दी और दस्ताने जैसे अन्य सुरक्षात्मक उपकरण दिए जाएँ। उनके लिए बाथरूम सहित निजी कमरे उपलब्ध कराए जाएँ। क्रेच का प्रावधान किया जाए, या, कम से कम यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाएँ अपने बच्चों को निकटतम सरकारी सामुदायिक क्रेच में छोड़ने में सक्षम हों।

परिवहन का प्रावधान

काम खत्म करके देर रात वापस लौटने वाली महिलाओं की असुरक्षा के मद्देनजर, ठेकेदार/चोल्टरी मालिक उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करे।

सामाजिक सुरक्षा एवं कौशल विकास

SC/ST आयोग, सामाजिक कल्याण विभाग, महिला आयोग और श्रम विभागों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा, जाति–आधारित भेदभाव और उल्लंघनों की निगरानी, वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य, आवास, अधिक कमाई के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ उचित सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएँ। विशेष रूप से चोल्टरी कामगारों के बच्चों को प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाए, ताकि वे गरीबी के कुचलने वाले चक्र से बाहर निकलने में सक्षम हो सकें।

कौशल उन्नति

कैटरर्स और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों के बढ़ने से इन क्षेत्रों की युवा महिलाओं को बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के साथ नियोजित किया जा रहा है। इसमें वर्दी पहनाना भी शामिल है, जो उनके श्रम को कदाचित अधिक सम्मानजनक बनाता है। युवा महिलाओं को अधिक व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर इसका दायरा बढ़ाया जाए ताकि वे स्वयं और अपने काम को अधिक आत्मविश्वास और पेशेवर तरीके से कर सकें।

भेदभाव पर रोक लगाने वाली सार्वजनिक सूचनाएँ

सभी चोल्टरियों और इस तरह के कार्यस्थलों पर सार्वजनिक नोटिस लगाया जाए, जिसमें यौन उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव को एक अपराध के रूप में और कानून के तहत दंडनीय बताया जाए। ऐसी कोई घटना होने पर चोल्टरी मालिकों को जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराया जाए।

स्थानीय शिकायत समितियों तक पहुँच

POSH अधिनियम के प्रावधान के तहत, जिला अधिकारी द्वारा संबंधित जिले के लिए स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाए। यह प्रस्तावित समिति अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों से यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त कर उनने निवारण का काम करेगी। महिलाओं को LCC के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाए। यदि वे अपने स्वयं के या स्थानीय ठेकेदारों और चोल्टरी मालिकों के उल्लंघन कर्ताओं को चुनौती देने के प्रयासों के बावजूद उत्पीड़न से पीड़ित रहती हैं, तो उन्हें निवारण के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

श्रम विभाग द्वारा निगरानी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभ्य और मानवीय कामकाजी परिस्थितियों सहित बुनियादी श्रम अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो, संबंधित श्रम अधिकारियों द्वारा इन स्थानों का नियमित दौरा किया जाए।

सामूहीकरण

नागरिक समाज संगठनों और ट्रेड यूनियनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे विशिष्ट क्षेत्रों में इन श्रमिकों का सामूहिकीकरण सुनिश्चित करें। नागरिक समाज संगठनों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होय श्रमिकों के रूप में उनके पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाए; तथा, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष खुद को सामने लाने में मदद के लिए उनमें आवश्यक आत्मविश्वास पैदा किया जाए।

कल्याण समिति

इस प्रकार के कार्य के विभिन्न आयामों पर (लिंग, जाति और सांस्कृतिक) गौर करने के लिए श्रम, सामाजिक कल्याण, मुजरई, महिला और SC/ST आयोग के विभागों के सदस्यों के साथ–साथ शहरी और ग्रामीण गरीबों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और यूनियनों की एक समिति गठित की जाए। उन्हें इस कार्य में जुड़े लैंगिक और जातिगत शोषण के प्रतिबंधित, संस्थागत और भेदभावपूर्ण मानदंडों के संबंध में ऐसे कार्यस्थलों में पालन किए जाने वाले कोड स्थापित करने चाहिए, और, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्हें व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाए कि इन कार्य स्थानों पर इन संहिताओं का समुचित पालन और कार्यान्वयन हो। समिति श्रमिकों की गरिमा और अधिकारों को बहाल करने, उनके कौशल के उन्नयन की सुविधा प्रदान करने और उनके बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने में मदद करने के प्रणालीगत तरीकों पर भी गौर करे।

सफाई कर्मचारी

जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की प्रथा से जुड़ी पवित्रता और प्रदूषण की धारणाएँ, भारतीय समाज में अस्वच्छ प्रथाओं का आधार हैं। 'प्रदूषित जातियों' के उत्पीड़न को, ये मान्यताएँ बनाए रखती हैं। इन जातियों को सर पे मैला ढोने, बंद गटर खोलने और दूसरों की गंदगी साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। आधुनिक कचरा और सीवेज प्रबंधन प्रणालियों की लगातार उपेक्षा का एक कारण, इस तरह के अमानवीय कार्यों के लिए दलित श्रमिकों की सस्ती उपलब्धता है। इस तथ्य को पहचानने की जरूरत है कि जाति और स्वच्छता के बीच संबंध के कारण ही यह शोषणकारी प्रथा आज तक निर्बाध जारी है। देश की संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब के अनुसार साल 2018–23 में सेप्टिक टैंक साफ करते समय 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि हकीकत में ये मौतें बताई गई इस संख्या से कई गुना ज्यादा हैं।

हर साल कम से कम 22,327 दलित स्वच्छता कार्य करते हुए मर जाते हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सफाई कामगार विकास संघ ने साल 2006 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस संबंध में आँकड़ा मांगा था। इस जानकारी के अनुसार अपने काम को अंजाम देने के दौरान साल 2004–05 में 288, साल 2003–04 में 316 और 320 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई। साल 2002–03 में, BMC के 24 वार्डों में से केवल 14 में या हर महीने लगभग 25 मौतें हुईं। इन आँकड़ों में नागरिक अस्पताल कर्मचारी, गटर सफाई कर्मचारी या अनुबंध पर सफाई कर्मचारी शामिल नहीं हैं। एक गटर साफ करने वाले कर्मचारी का औसत जीवन काल केवल 45 वर्ष है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग या सर पे मैला ढोने के कारण मौतों के मुआवजे में इजाफा

अक्टूबर 2023 में जारी सुप्रीम कोर्ट के 14 निर्देशों को लागू करने की आवश्यकता है। इन निर्देशों में सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता या चोट के लिए 20 लाख रुपए और विकलांगता के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी ।

सीवर सफाई का मशीनीकरण

अनुमान है कि भारत में हर 5 दिनों में 3 सफाई कर्मचारी मरते हैं। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें सेप्टिक टैंक और सीवर में जमा हो जाती हैं। इनसे कर्मचारी बेहोश हो सकते हैं या मर सकते हैं। लिहाजा, सीवर सफाई का काम पूरी तरह से मशीनीकृत किया जाए। सर पर मैला ढोने में शामिल श्रमिकों का उचित पुनर्वास किया जाए और उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ। सीवेज निपटान में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए नवीनतम तकनीक प्रदान की जाए। इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की हो कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(E) के साथ पठित अनुच्छेद 266(3) और अनुच्छेद 256 के तहत मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएँ।

कुशल और पर्यावरण-अनुकूल ठोस अपशिष्ट संग्रहण विधियों को प्राथमिकता देना

स्रोत पर पृथक्करण को शामिल करना, मैन्युअल हैंडलिंग को रोकने, कंटेनरीकृत भंडारण, बायोडिग्रेडेबल कचरे के स्थानीय प्रसंस्करण, सूखे कचरे के पुनर्चक्रण और वन और पर्यावरण मंत्रालय के नियम, 2016 में उल्लिखित अस्वीकृत कचरे के वैज्ञानिक रूप से निपटान के लिए बंद वाहनों का उपयोग करके मशीनीकृत पृथक्करण संग्रह को शामिल करना।

सफाई कर्मचारियों के रोजगार को औपचारिक बनाना

सफाई कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान किए जाएँ। इनमें स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच, सेवानिवृत्ति लाभ और नौकरी सुरक्षा शामिल हैं।

सुरक्षा उपाय

सफाई कर्मचारियों को उचित उपकरण उपलब्ध कराये जाएँ। इसके अलावा, नगर पालिकाओं द्वारा 6 महीने में एक बार नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाए।

अपशिष्ट एकत्र करने वाली महिलाओं के लिए मान्यता और समर्थन :

कचरा संग्रहण में शामिल महिलाओं (जैसे कि महाराष्ट्र में कचरा वेचक महिलाएँ) को कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएँ।

मिशन-आधारित कार्यक्रम के रूप में मैनुअल स्कैवेंजर्स का पुनर्वास

मिशन–उन्मुख आधार पर मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए पुनर्वास प्रयास, कौशल के अवसर और निश्चित समय–सीमा के भीतर वैकल्पिक रोजगार प्रदान किए जाएँ।

आवास

राज्य तंत्र के आदेश पर सहकारी समितियों का गठन किया जाए और सफाई कर्मचारियों के लिए आवास परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाए।

मुक्ति और पुनर्वास

सीवर कर्मचारियों की मुक्ति तभी संभव होगी जब आवश्यक तकनीकी परिवर्तन लाए जाएँगे। यह तकनीकी व्यवसाय को मानवीय, सम्मानजनक और सुरक्षित बनाएगी, जिससे मलमूत्र के साथ किसी भी सीधे मानव संपर्क से पूरी तरह से बचा जा सकेगा। इन कर्मचारियों की मुक्ति की कल्पना अलग से नहीं की जा सकती क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए प्रस्तावित उनके सार्थक पुनर्वास के लिए एक सावधानीपूर्वक रोड मैप के बिना वे अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो देंगे। नियमित या अनुबंध रोजगार में कार्यरत श्रमिकों को हटाया नहीं जाना चाहिएय बल्कि उन सभी को नियमित रोजगार दिया जाना चाहिए।

कूड़ा बीनने वाले

कूड़ा बीनने वाले, जिन्हें अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिक (IWWs), कहा जाता है, समाज का एक अभिन्न अंग हैं। यह हाशिए पर रहने वाला वर्ग हैं, जो चुपचाप दुनिया भर में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का भार उठाता है। रीसाइक्लिंग और कचरा संग्रहण में उनकी अपरिहार्य भूमिका के बावजूद, कूड़ा बीनने वालों को सामाजिक कलंक और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों में निहित बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनका काम सड़क का कूड़ा–कचरा छांटने से लेकर निपटान स्थलों को तक फैला है। उन्हें मानसिक विकारों, श्वसन संक्रमण, मस्कुलोस्केलेटल मुद्दों और पेट के संक्रमण सहित असंख्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कचरा बीनने वालों की श्रेणी में जानवरों के कचरा निपटने का काम करने वाले लोग सबसे निचले पायदान पर आते हैं। इस कारण उन्हें सबसे निचले दर्जे का माना जाता है। जैसे–जैसे शहरों में कूड़ा–कचरा बढ़ रहा है, कचरा बीनने वालों के अधिकारों को पहचानने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इसमें उनके काम को औपचारिक बनाने, सामाजिक सुरक्षा उपायों की पेशकश करने और अपशिष्ट प्रबंधन ढाँचे के भीतर समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक आदर्श बदलाव शामिल है।

उनके स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, उचित मुआवजा सुनिश्चित करने और सामाजिक पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं। तथा कचरा बीनने वालों को उचित रूप से पर्यावरण न्याय रक्षकों के रूप में स्वीकार किया जाए, जो सम्मान, और सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए न्यायसंगत अवसरों के पात्र हैं।

संरक्षण और मान्यता :

- कामकाजी परिस्थितियों की पहचान और उनका आकलन करने के लिए शहर–आधारित सर्वेक्षण आयोजित किया जाए, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय कचरा बीनने वालों की औपचारिकता और एकीकरण के लिए भागीदारी प्रथाओं का नेतृत्व करें।

- कचरा बीनने वालों को पहचान पत्र उपलब्ध कराये जाएँ और उनका प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाए।

- अनौपचारिक क्षेत्र के मैला ढोने के स्थान पर नगरपालिका अधिकारियों द्वारा प्रबंधित संगठित पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति केंद्रों को स्थापित किया जाए।

- कचरा बीनने वालों को पर्यावरण न्याय रक्षकों के रूप में मान्यता दी जाए और कचरा स्थलों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान की जाए।

- वार्ड–स्तरीय रीसाइक्लिंग और रिकवरी केंद्रों का निर्माण और ULBs द्वारा प्रबंधन किया जाए।

- सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को कूड़ा बीनने का हिस्सा न बनाया जाए।

- इस पहल को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा जाए।

- जैव–खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सामाजिक सुरक्षा उपाय :

- सम्मानजनक जीवनयापन मजदूरी, वित्तीय प्रणालियों तक पहुँच और भविष्य निधि जैसी सामाजिक कल्याण सेवाएँ प्रदान के जाएँ।

- काम के दौरान लगी चोटों के लिए मुआवजा प्रदान किया जाए और सहायता तथा स्थानांतरण के लिए राज्य योजनाओं को लागू किया जाए।

- शोषण और तस्करी के खिलाफ कानून लागू किया जाए, खासकर कचरा बीनने वाली कमजोर महिलाओं के लिए।

- मौजूदा विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को सख्ती से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है। इस तरह के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से कचरा बीनने वालों की सेवा करने और उन्हें पेशेवर बनाने और भुगतान करने के लिए एक कोष बनाया जाए।

व्यावसायिक खतरों से सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पहुँच :

- व्यावसायिक खतरों को कम करने के लिए वर्दी, सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, टोपी, जूते और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान।

- शौचालय, पेयजल, रसोई और प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ निर्दिष्ट विश्राम स्थल प्रदान की जाएँ।

- स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों जैसे मानसिक विकार, श्वसन संक्रमण, मस्कुलोस्केलेटल समस्याएँ और पेट के संक्रमण का समाधान किया जाए।

- कचरा बीनने वालों की अनधिकृत बस्तियों के पास 24/7 क्लिनिक सेवाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

- कचरा बीनने वाली महिलाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इन क्लीनिकों में समर्पित महिला और बच्चों के स्वास्थ्य पेशेवर मौजूद होने चाहिए।

शिक्षा और सशक्तिकरण :

- कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जाए और सख्त निगरानी के जरिए कचरा बीनने में उनकी भागीदारी को रोका जाए।

- कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल, ट्यूशन कक्षाएँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए जाएँ।

- कचरा बीनने वालों की महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों का समर्थन किया जाए।

यह समझना जरूरी है कि कूड़ा बीनने के काम से बाहर निकलने के लिए व्यापक समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जो इस अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल व्यक्तियों को व्यवहार्य विकल्प और विकल्प प्रदान करती हैं। इसमें प्रधानमंत्री दक्षता योजना जैसे कौशल विकास

कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन कौशल प्रशिक्षण से परे वैकल्पिक आजीविका के लिए स्पष्ट मार्ग प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है। कुछ अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं के मशीनीकरण से कचरा बीनने वालों के लिए सुरक्षित और अधिक टिकाऊ व्यवसायों में स्थानांतरित होने के अवसर पैदा हो सकते हैं। हालाँकि, यह परिवर्तन कचरा बीनने वालों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं से प्रेरित होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके भविष्य को आकार देने में उनकी भी हिस्सेदारी हो। विकल्पों की एक श्रृंखला की पेशकश करके और व्यक्तियों को सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाकर, राज्य योजनाएँ कचरा बीनने के काम से निजात पाने के लिए एक सहज और अधिक सम्मानजनक बदलाव की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, जिससे अंततः इन श्रमिकों की समग्र भलाई और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

यौनकर्मी

एक अनुमान के मुताबिक भारत में 30 लाख से अधिक व्यावसायिक यौनकर्मी रहते हैं। इनमें लगभग 29 लाख महिलाएँ या 1.1 प्रतिशत वयस्क महिलाएँ व्यावसायिक यौनकर्मी हैं। देश की शेष यौनकर्मी आबादी में पुरुष और ट्रांसजेंडर यौनकर्मी शामिल हैं। देश में महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यावसायिक यौनकर्मी अक्सर रेड–लाइट जिले की सीमा के भीतर रहकर अपना व्यापार करते हैं, या, वे 'फ्लाइंग' यौनकर्मी होते हैं। देश का अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITA) वेश्यावृत्ति को 'व्यावसायिक उद्देश्यों, या, पैसे के लिए, या, किसी अन्य प्रकार से व्यक्तियों का यौन शोषण या दुरुपयोग' के रूप में परिभाषित करता है। ITA, 1956 भी यौनकर्मियों की कमाई से जीवन यापन करने को अपराध मानता है। परिणामस्वरूप, एक यौनकर्मी के बच्चों और परिवार के सदस्यों को उसकी आय पर गुजारा करने के लिए कैद किया जा सकता है।

भारत में यौनकर्मी आबादी एक गंभीर रूप से वंचित वर्ग है, जिसके पास स्वास्थ्य क्षेत्र से सेवाओं और सहायता तक पहुँच का अभाव है। यौन कार्य को आपराधिक दर्जा देने से अक्सर उन यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि होती है, जिनके पास आक्रामकता के ऐसे कृत्यों से बचाव का उपाय नहीं होता।

भारत में यौन कार्य का मुद्दा बहुआयामी है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी जटिलताएँ शामिल हैं। हालाँकि शोषण, तस्करी और यौनकर्मियों की असुरक्षा के बारे में वैध चिंताएँ बनी हुई हैं, लेकिन उनके अधिकारों, स्वास्थ्य और सुरक्षा को पहचानना और उनका समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। अर्थात ऐसी व्यापक नीतियों को लागू करना जो गैर–अपराधीकरण, विनाशकीकरण को प्राथमिकता, यौनकर्मियों को समर्थन एवं विकल्प प्रदान करती हों, उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और उनकी भलाई की रक्षा करने में अधिक प्रभावी साबित हो सकें। इसके

अलावा, व्यापक सामाजिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना इस मुद्दे पर अधिक दयालु और सूचित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो अंततः एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज में योगदान देगा।

हालाँकि, भारत में यौन कार्य तकनीकी रूप से कानूनी है, फिर भी यौनकर्मियों को, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन के हाथों, कलंक, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए यौनकर्मी समूह उभरे हैं, जो यौन कार्य को पूरी तरह से अपराधमुक्त करने और उनके श्रम को सुरक्षा और अधिकारों के योग्य मानने की वकालत कर रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यौनकर्मियों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

ऐसी शब्दावली का उपयोग करने से बचना अनिवार्य है जो मानव तस्करी, यौन शोषण और सहमति से यौन कार्य को जोड़ती है। इस तरह का घालमेल गलत है। यौन शोषण सहित जबरन या जबरन यौन कार्य के लिए व्यक्तियों की मानव तस्करी को सहमति से किए गए यौन कार्य के बराबर नहीं माना जा सकता। यह गलतबयानी न केवल यौनकर्मियों के अधिकारों को कमजोर बनाती है, बल्कि मानव तस्करी के 'पीड़ित' के रूप में गलत तरीके से चित्रित किए जाने के बावजूद, उनके खिलाफ पुलिस व्यवस्था और दुर्व्यवहार को भी बढ़ावा देती है।

महिलाओं और लड़कियों के बीच एक अलग अलगाव सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्हें वयस्क महिलाओं के साथ समूहीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, भारतीय संदर्भ में, 'वेश्यावृत्ति' और 'वेश्या' जैसे शब्द उचित नहीं हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SCI) ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर अपनी हैंडबुक के जरिए हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता के उपयोग के खिलाफ सलाह देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया है। 'वेश्या' के स्थान पर 'सेक्स वर्कर' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

राज्य मशीनरी को 'वेश्या' जैसे शब्दों का उपयोग करने और नाबालिगों को 'यौनकर्मियों' के साथ समूहित करने से बचना चाहिए, जो आम तौर पर सहमति से यौन कार्य में लगे वयस्कों को संदर्भित करता है। इसके अतिरिक्त, मानव तस्करी और यौन कार्य में स्वैच्छिक भागीदारी के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। यौन कार्य को सभ्य कार्य के रूप में प्रतिष्ठित और सुरक्षित अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित आधारित दृष्टिकोण के बजाय अधिकार–आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

विधायी कार्रवाई

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की समीक्षा

अपने वर्तमान स्वरूप में, अधिनियम मानता है कि सभी तस्करी, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से की जाती है। तस्करी की रोकथाम को प्राथमिकता देने के बजाय, यह कानून इसकी अंतर्निहित प्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव तस्करी के पीछे के विविध कारणों को संबोधित करने के बजाय, यह इस बहुआयामी मुद्दे के केवल एक पहलू को संबोधित करने तक ही सीमित है।

कानून की धारा 3(1) और 3(2) वेश्यालयों के संचालन और प्रावधान को अपराध घोषित करती है, जो एक विरोधाभासी स्थिति को उजागर करता है। हालाँकि भारत स्वयं वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं मानता है, यह उन साधनों को लक्षित करता है जिनके माध्यम से वेश्याएँ अपनी आजीविका कमाती हैं। वेश्यालयों को गैरकानूनी घोषित करके, कानून उन्हें सहमति से यौन कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए आय के संभावित स्रोतों के रूप में पहचानने में विफल रहता है।

यह निरीक्षण इस पेशे को भूमिगत कर देता है, जिससे यौनकर्मियों को अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के वैध रास्ते से वंचित कर दिया जाता है। वेश्यालयों के अपराधीकरण से अवैध वेश्यालयों की स्थापना, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सहमति देने वाले यौनकर्मियों के अधिकारों को कमजोर करने का भी जोखिम है।

कानून की धारा 4 और 6 उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जो जानबूझकर वेश्याओं की कमाई से लाभ उठाते हैं, जिसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति को सुविधाजनक बनाने वाले दलालों या दलालों को दंडित करना है। हालाँकि, यह स्वैच्छिक यौनकर्मियों की सहायता करने वालों और वास्तविक तस्करों के बीच अंतर करने में विफल रहता है। परिणामस्वरूप, तस्कर सजा से बच सकते हैं जबकि यौनकर्मियों के बच्चों जैसे व्यक्तियों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ता है।

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITPA) की धारा 4 में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जो यौनकर्मी की कमाई पर निर्भर हैं, उन्हें 2 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि, यह प्रावधान उन यौनकर्मियों के बच्चों की परिस्थितियों पर विचार करने में विफल है, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अधिनियम के तहत, इन व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से खुद का समर्थन करने या अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, अन्य व्यवसायों में माता–पिता के बच्चों के विपरीत, जिन्हें अधिक समर्थन मिल सकता है। यह भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के यौनकर्मियों के बच्चों को सामान्य जीवन जीने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर से वंचित करता है। वे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह समान अधिकार और अवसर के हकदार हैं।

इसके अलावा, कानून प्रवर्तन प्रथाओं के परिणामस्वरूप अक्सर वेश्यालय पर छापेमारी के दौरान सभी यौनकर्मियों को अंधाधुंध हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह न केवल वेश्यावृत्ति में धकेले गए तस्करी के शिकार व्यक्तियों को फिर से शिकार बनाने को बढ़ावा देता है, बल्कि जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, विशेष रूप से अपनी एजेंसी का प्रयोग करने वाली स्वेच्छा से सहमति देने वाली यौनकर्मियों के लिए।

संरक्षण एवं पुनर्वास

- तस्करी की रोकथाम : यौन कार्य के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने हेतु गंभीर प्रयास किए जाएँ।

- वैकल्पिक रोजगार के अवसर : इस पेशे को छोड़ने की इच्छा रखने वाले यौनकर्मियों के लिए वैकल्पिक रोजगार विकल्प प्रदान करने हेतु कार्यक्रम विकसित किए जाएँ। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी प्लेसमेंट सहायता और उद्यमिता पहल के लिए समर्थन शामिल हो सकता है।

- पुलिस का संवेदनशील होना : पुलिस अक्सर यौनकर्मियों को परेशान करती है और उनकी भलाई के लिए खतरा पैदा करती है। उन्हें संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाए और यौनकर्मियों को परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

- हिंसा का सामना करने वाले यौनकर्मी भी उत्पीड़न और गिरफ्तारी के डर से शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास नहीं जाते हैं, जिससे वे और भी असुरक्षित हो जाते हैं। पुलिस को यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा की स्थिति में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा

- यौनकर्मियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाने और गणना का प्रावधान रखा जाए।

- स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की शिक्षा और नौकरी के अवसरों सहित सार्वजनिक कल्याण सेवाओं तक पहुँचने में यौनकर्मियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए उपाय किए जाएँ।

- यौनकर्मियों के कल्याण के लिए धन आवंटित किया जाए।

- 45 वर्ष की आयु के बाद पेंशन : 45 वर्ष या उससे अधिक आयु तक पहुँचने वाले यौनकर्मियों

को पेंशन का पात्र बनाया जाए।

» व्यवसाय से जुड़े कलंक के कारण अक्सर स्वास्थ्य तक पहुँच पहुंच बाधित होती है। यौनकर्मियों के पास सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच न होने के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी और अन्य दिक्कतें सामने आती है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।

यौनकर्मियों के बच्चे

» वेश्यावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें सामाजिक कलंक, वित्तीय असुरक्षा और असुरक्षित या शोषणकारी परिस्थितियों के संपर्क में आने का जोखिम शामिल है। इन चुनौतियों को कम करने, उनके कल्याण और संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सहायता, शिक्षा और संसाधन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकारी पहलों, समुदाय–आधारित कार्यक्रमों और सामाजिक सेवाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक अभियानों और नीति सुधारों के जरिए वेश्यावृत्ति की माँग को कम करने के प्रयास इन कमजोर बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

» बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति : कल्याण बोर्ड को यौनकर्मियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन के लिए छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता कार्यक्रम की पेशकश की जाए।

» सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का सुरक्षित अधिकार : यौनकर्मियों के बच्चे मनोवैज्ञानिक आघात, उत्पीड़न और भेदभाव सहते हैं, खासकर स्कूली माहौल में।

» स्कूलों में मजबूत धमकाने–विरोधी और भेदभाव–विरोधी नीतियाँ स्थापित की जाएँ।

» आघात और उत्पीड़न से जूझ रहे बच्चों की सहायता के लिए सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँ।

वंचित शहरी समुदाय

भारत की शहरी आबादी 1971 में 11.4 करोड़ से बढ़कर 2021 में अनुमानित 47 करोड़ हो गई है, और 2050 तक इसके 50 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। इस तेजी से होता शहरीकरण, चुनौतियाँ पेश करता है, जैसा कि 2015 में विश्व बैंक ने नोट किया था। इन चुनौतियों में प्रमुख शहरों के आसपास 'अव्यवस्थित शहरीकरण' भी शामिल है। शहरीकरण के कारकों में आजादी के बाद के प्रवास से लेकर वर्तमान समय में सीमित ग्रामीण अवसरों और शहरों में बेहतर आर्थिक संभावनाओं के चलते गाँवों से शहरों और शहरों से शहरों की तरफ पलायन भी शामिल है। हालाँकि, शहरों को बुनियादी ढाँचे के अभाव, अपर्याप्त सेवा प्रावधान और विशाल सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। शहरों में रहने वाले गरीब अक्सर कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जिनमें बुनियादी सुविधाओं और आवास अधिकारों का अभाव होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं और हाशिए पर रहने वाले शहरी निवासियों के लिए आवास, नौकरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है।

शहर को बनाने वाले सभी निर्माताओं के लिए शहर पर अधिकार को वास्तविक बनाने के प्रयास किये जाने चाहिए। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शहरी की पृष्ठभूमि या सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर, शहरी पर्यावरण को आकार देने में उसके सार्थक पहुँच और भागीदारी हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ऐसी नीतियों और पहलों को लागू करना होगा जो शहरी संसाधनों, निर्णय प्रक्रियाओं और शहरी विकास के लाभों तक समान पहुँच को प्राथमिकता देने वाली हों। समावेशी शहरी नियोजन, किफायती आवास पहल, सुलभ सार्वजनिक सेवाओं और शासन में सार्थक भागीदारी के माध्यम से, हम ऐसे शहरों का निर्माण कर सकते हैं जहाँ प्रत्येक शहर–निर्माता के लिए सफल होने के अवसर हों और वह एक जीवंत, समावेशी शहरी परिदृश्य में अपना योगदान दे सके।

समावेशी शहरी नियोजन

- क्षेत्रीय नियोजन दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण इलाकों के अद्वितीय चरित्र और संसाधनों की सुरक्षा करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाए। संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और गैर–औद्योगिक क्षेत्रों को समायोजित करने वाले शहरी विकास के दोहरे मॉडल को अपनाया जाए।

- पर्यावरण–औद्योगिक पार्क जैसी टिकाऊ प्रथाओं को लागू किया जाए। परिपत्र अर्थव्यवस्था की सुविधा प्रदान करने वाले बुनियादी ढाँचे में निवेश, और, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण–अनुकूल और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक सहजीवन को प्रोत्साहित किया जाए।

- शहरी हरित स्थानों का संरक्षण और संवर्धन : आवश्यक मनोरंजक और सामाजिक संपत्तियों के रूप में पार्क, क्रीड़ा स्थलों, जंगलों, झीलों और जल निकायों सहित शहरी हरित इलाकों की रक्षा और उनका संवर्धन किया जाए।

- शहरी नियोजन और विकास प्रक्रियाओं में आपदा लचीलेपन संबंधी विचारों को शामिल किया जाए। इसमें जलवायु संबंधी खतरों के प्रति लचीलेपन को प्राथमिकता देने वाले जोनिंग नियम, बिल्डिंग कोड और बुनियादी ढाँचे के विकास शामिल हैं। अत्यधिक गर्मी और बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए शहरी पार्कों और हरी छतों जैसे हरित बुनियादी ढाँचे को एकीकृत किया जाए।

- कमजोर समुदायों, विशेषकर शहरी अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले समुदायों की सुरक्षा के लिए जलवायु लचीलेपन को प्राथमिकता दी जाए। शहर–निर्माताओं को शहरी बाढ़, ताप द्वीप प्रभाव और मरुस्थलीकरण जैसी चरम मौसम की घटनाओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है। सीमित भौतिक क्षमताओं के कारण, उन्हें अत्यधिक जोखिमों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के सामने उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने हेतु इन समुदायों के लिए आवास, नौकरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

- शहरों को अधिक लिंग–अनुकूल बनाने के लिए समावेशिता के अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे को शामिल किया जाए।

आश्रय और किफायती आवास तक पहुँच

- बेघर कामकाजियों को अस्थाई आश्रयों से अंतिम आवास मालिक बनाने के सफर के दौरान आवास कार्यक्रम को आवास अधिकार सातत्य (आबाध क्रम) के भीतर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

- सभी के लिए आश्रय की गारंटी : प्रत्येक व्यक्ति के लिए आश्रय का बिना शर्त अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

सामाजिक आवास :

- झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों का प्रसार रोकने और शहरी गरीबों के लिए पर्याप्त आवास तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध आवास हेतु शहर का 25% आरक्षित किया जाए।

- बेघर व्यक्तियों को खाली संपत्तियों को पट्टे पर देकर खाली निजी आवास स्टॉक का उपयोग

किया जाए, जिससे आवास संसाधनों को अधिकतम किया जा सके।

- आवास पहल के लिए उपलब्ध बुनियादी ढाँचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए, सामाजिक आवास उद्देश्यों के लिए अतिक्रमित भूमि पर निर्मित भवनों का पुनः उपयोग किया जाए।

- किराया सब्सिडी : किफायती आवास तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए कम आय वाले व्यक्तियों और परिवारों के लिए किराये पर सब्सिडी की शुरुआत की जाए।

- किफायती किराये की आवास योजना (ARHS) के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए। ARHS को श्रमिकों, विशेषकर उद्योगों और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने के व्यापक ढाँचे के भीतर देखा जाए। उद्यमों के अपने विकास के साथ, उन्हें अपने कार्यबल के लिए किफायती आवास विकल्प प्रदान करने के लिए ARHS के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

- हॉस्टल और आश्रय : शहर निर्माताओं के लिए, श्रमिकों के हॉस्टल और स्थायी 24–घंटे आश्रय जैसे पर्याप्त आश्रयों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। ऐसे हॉस्टल और आश्रयों को सरकार द्वारा चालू किया जाए, जिन्हें बाद में गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। ऐसे हॉस्टल और आश्रयों के उपयोग पर न्यूनतम प्रवेश शुल्क भी लगाया जा सकता है।

- बेघरों के लिए आश्रयों की क्षमता शहरी बेघरों के लिए आश्रयों की राष्ट्रीय योजना के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक एक लाख शहरी आबादी पर न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए स्थायी सामुदायिक आश्रयों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

- कमजोर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त कवरेज और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बढ़ती शहरी आबादी के अनुरूप बेघर आश्रयों की संख्या बढ़ाई जाए।

- सर्दियों और गर्मियों के दौरान कमजोर आबादी की सुरक्षा हेतु बेघरों के आश्रयों की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को लागू किया जाए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए, बेघर व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थायी, सभी मौसम के आश्रयों का निर्माण किया जाए।

- पहुँच और सुविधा बढ़ाने के लिए हॉस्टल को रणनीतिक रूप से परिवहन केंद्रों और रोजगार केंद्रों के पास बनाया किया जाए।

- इन सुविधाओं को किफायती, स्वच्छ और रहने योग्य होनी चाहिए, जो स्वच्छता और आराम

के बुनियादी मानकों को पूरा करती हों।

- श्रमिकों के हॉस्टल में कपड़े धोने और खाना पकाने जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

- महिला हॉस्टल में सुरक्षा एवं पर्याप्तता को प्राथमिकता दी जाए।

बस्तियों को औपचारिक बनाना :

- अनधिकृत बस्तियों में किराये की भूमि पर रहने वाले निवासियों के लिए भूमि कार्यकाल और भूमि उपयोग को नियमित किया जाए।

- निवासियों को टाइटल डीड मुहैय्या करवाई जाए और इसे अधिकार दस्तावेजों के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि जबरन बेदखली कार्रवाईयों को कम से कम किया जाएगा और केवल सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा हेतु असाधारण परिस्थितियों में ही इसका सहारा लिया जाएगा, सभी जबरन बेदखली की कार्रवाईयों पर रोक लागू की जाए।

यथा-स्थान पुनर्विकास :

- झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों का यथा–स्थान उन्नयन सुनिश्चित किया जाए।

- इस संबंध में प्रभावित समुदायों के साथ समावेशी तरीके से परामर्श के जरिए निर्णय लिए जाएँ।

- स्थानांतरण : स्थानांतरण के सवाल पर केवल उन लोगों के लिए विचार किया जाना चाहिए, जो गैर–जोतदार और खतरनाक भूमि जैसे अपशिष्ट निपटान मैदान, नदी–तल क्षेत्र और बाढ़ग्रस्त नालों के मुहानों पर बसे हुए हैं।

- पूर्व परामर्श और पुनर्वास योजना की तैयारी के बिना कोई भी विस्थापन नहीं होना चाहिए।

- जब स्थानांतरण आवश्यक हो, तो निवासियों के वर्तमान कार्य स्थलों और आजीविका को ध्यान में रखते हुए, पुनर्वास स्थल सुविधाजनक रूप से उसी वार्ड क्षेत्र या आसपास के क्षेत्रों में स्थित होने चाहिए।

आवास योजना तैयार करते समय उठाए जाने वाले कदम :

- प्रत्येक झुग्गी–झोपड़ी के लिए आवास कार्य योजनाओं के विकास में टिकाऊ और अस्थिर (खतरनाक) भूमि पर झुग्गीवासियों के साथ अनिवार्य परामर्श किया जाए। UBL द्वारा निर्देशित व्यक्तिगत झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में कम से कम 90% झुग्गी निवासियों के साथ एक अनिवार्य परामर्श विकसित किया जाए, जहाँ उपयुक्त प्राधिकारी आवास और सामुदायिक सुविधाओं और सार्वजनिक सेवा योजना की रूपरेखा पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ऐसी योजनाओं को व्यापक परामर्श के लिए स्थानीय साइटों पर प्रकाशित किया जाए।

- झुग्गीवासियों से परामर्श के बाद आवास योजनाओं का पुनर्विकास और समग्र योजना के लिए कम से कम 70% झुग्गीवासियों की सूचित सहमति लेना, जिसमें आवास और सामान्य सुविधाओं और अन्य नगरपालिका सुविधाओं और सामान्य स्थानों के लिए एक योजना शामिल है।

- यदि नए आवास स्थलों पर स्थानांतरण आवश्यक हो तो प्रत्येक परिवार के लिए योजना पर व्यक्तिगत परिवारों के साथ लिखित समझौते, जिसमें समय सीमा और स्थानांतरण के तरीके भी शामिल हैं।

- प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) दिशानिर्देशों में संशोधन : यह अनुशंसा की जाती है कि आवास में सामर्थ्य की व्यक्तिपरक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए PMAY-U के दिशानिर्देशों को उन्नत किया जाए।

- विभिन्न कमजोर समुदायों के अनुरूप सब्सिडी के लिए मानदंड और अलग–अलग सब्सिडी स्तरों के साथ स्पष्ट मानदंड विकसित किए जाएँ।

- अधिक एकीकृत शहरी परिदृश्य के लिए नियोजित आवास, मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं पर जोर दिया जाए।

- कम से कम 600 वर्ग फुट का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। यह मानकीकृत आकार रहने वालों के लिए पर्याप्त रहने की जगह सुनिश्चित करता है और सम्मानजनक आवास स्थितियों को बढ़ावा देता है।

- भू–माफिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि की पहचान की जाए और उसे पुनः प्राप्त किया जाए। इससे आवास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता में विस्तार होगा।

- प्राकृतिक आपदा प्रभावित घरों के लिए आश्रय और सरकारी सहायता :

- शहरी क्षेत्रों में इमारतों को चक्रवात और बाढ़ आश्रयों के रूप में चिन्हित और नामित किया जाए, विशेष रूप से झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। जहाँ ऐसी इमारतों की कमी है, वहाँ आपदाओं के दौरान सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए स्लम क्षेत्रों के पास नए चक्रवात आश्रयों का निर्माण किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि निर्दिष्ट आश्रय जनरेटर, खाद्य आपूर्ति और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस हों।

- बारिश, बाढ़, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन के कारण आवास क्षति को संबोधित करने के लिए एक उत्तरदायी प्रणाली स्थापित की जाए, जिससे प्रभावित निवासियों को तुरंत आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान की जा सके।

- क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए समय पर और पर्याप्त मुआवजा या सहायता सुनिश्चित की जाए। प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से उबरने में सहायता दी जाए।

- EWS के लिए जीर्ण–शीर्ण शहर प्रशासन आवास का नवीनीकरण : यथा–स्थान पुनर्विकास/स्थानांतरण पहल के तहत निर्मित घर कई स्थानों पर जीर्ण–शीर्ण हो गए हैं। यहाँ नए घरों के निर्माण की आवश्यकता है

शहरी गतिशीलता

- शहरी गतिशीलता के लिए एक बहु–मॉडल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें रीढ़ की हड्डी के रूप में सार्वजनिक परिवहन के साथ–साथ पैदल यात्री और साइकिल चालन के आधारभूत ढाँचे और उसके बाद परिवहन के निजी साधन शामिल हों।

- शहरी नियोजन में पैदल यात्रियों के अनुकूल आधारभूत ढाँचे और साइक्लिंग नेटवर्क को प्राथमिकता दी जाए, जिससे गैर–मोटर चालित परिवहन के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प सुनिश्चित किए जा सकें।

- निजी वाहनों को प्राथमिकता देने वाले फ्लाईओवरों के निर्माण और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं पर पुनर्विचार किया जाए।

- निजी वाहन उपयोग के लिए कुशल और विश्वसनीय विकल्प प्रदान करने हेतु बस और रेल नेटवर्क के विस्तार सहित सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाया जाए। ट्रेनों में जनरल डिब्बे की बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए।

- निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने और टिकाऊ परिवहन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रगतिशील कराधान उपायों को लागू किया जाए।

- सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के लिए बाइक–शेयरिंग कार्यक्रम, ई–रिक्शा और फीडर सेवाओं जैसे अंतिम–मील कनेक्टिविटी विकल्प बढ़ाए जाएँ, जिससे लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच आसान की जा सके।

- विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए परिवहन सेवाओं तक समान पहुँच को प्राथमिकता दी जाए। निर्माण मजदूरों, घरेलू कामगारों और दैनिक वेतन भोगी सहित अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बसों, मेट्रो और लोकल ट्रेनों सहित मुफ्त या रियायती सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान प्रदान किए जाएँ। यह सुनिश्चित करेगा कि किफायती और सुलभ विकल्पों की कमी के कारण कोई भी पीछे न रहे।

- स्थायी गतिशीलता व्यवहार, जैसे कारपूलिंग, राइड–शेयरिंग और सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना और पैदल चलने की ओर मोड शिफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान और शैक्षिक पहलें शुरू के जाएँ।

- सुनिश्चित किया जाए कि शहरी गतिशीलता बुनियादी ढाँचे को व्हीलचेयर रैंप, स्पर्शनीय फर्श और सुलभ सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसी सुविधाओं के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी और सुलभ बनाया गया है।

- शहरी गतिशीलता नीतियों को पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसका लक्ष्य परिवहन के कम कार्बन वाले तरीकों को बढ़ावा देकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और भीड़भाड़ को कम करना है।

सुलभ सार्वजनिक सेवाएँ

सार्वजनिक नियंत्रण और न्यायसंगत पहुँच

- सुनिश्चित किया जाए कि शहरी समुदाय सार्वजनिक नियंत्रण में रहें। सभी निवासियों, विशेषकर हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लोगों के लिए समान पहुँच की गारंटी दी जाए। हाउसिंग सोसाइटियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा पार्कों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के किसी भी प्रयास की अनुमति न दी जाए।

- अनधिकृत बस्तियों में सरकार द्वारा स्थापित नलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

- कम आय वाले परिवारों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और उससे अधिक कम दर का प्रावधान किया जाए।

- बच्चों और बुजुर्ग देखभाल सुविधा जैसी सेवाओं में निवेश लिया जाए।

सुलभ सार्वजनिक शौचालय

अनधिकृत बस्तियों और बेघर आबादी पर विशेष ध्यान देने के साथ 24 घंटे निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करना। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए शुल्क वसूलना, साथ ही रात में खुले सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की कमी के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सार्वजनिक आधारभूत संरचना की मरम्मत और नवीनीकरण किया जाए

आधारभूत संरचना का निर्माण एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए। तारकोल वाली सड़कों का निर्माण और सड़कों का नवीनीकरण किया जाए। सड़क के गड्ढों को भी भरने की जरूरत है।

ऐसी तकनीक में निवेश किया जाए जो उपयोगिता प्रावधानों, सेवा वितरण और विभिन्न कारणों से संभावित जोखिम मूल्यांकन की चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित कर सके।

स्वास्थ्य और कल्याण

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य प्रावधान को तर्कसंगत और मानकीकृत करने के लिए व्यापक उपाय लागू किए जाएँ।

- सभी इलाकों में मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएँ। उदाहरण के लिए, दिल्ली में मोहल्ला या सामुदायिक क्लीनिकों का उद्देश्य शहरी सेटिंग में वंचित आबादी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

- मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच बनाने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मनोचिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक आपातकालीन हेल्पलाइन बनाई जाए।

- सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी रोगियों को आवश्यक दवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएँ।

- सभी निजी अस्पतालों में EWS श्रेणी के व्यक्तियों के मुफ्त इलाज हेतु रोगी विभाग क्षमता

और OPD का 25 प्रतिशत आरक्षित किया जाए।

» खाद्य बाजारों में साफ–सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित की जाए, विशेष रूप से ताजा माँस, मछली और उत्पाद बेचने वाले खुले खाद्य बाजार में।

» कार–मुक्त क्षेत्रों को नामित किया जाए ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों का उपयोग शारीरिक गतिविधियों और सामुदायिक सभा के स्थान के रूप बढ़ाया जा सके।

आजीविका के साधनों तक पहुँच

» शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम का अधिनियमन : इस अधिनियम को न केवल रोजगार सृजन सुनिश्चित करना चाहिए बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों को शामिल करके एक व्यापक सामाजिक उद्देश्य भी पूरा करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

» सार्वजनिक कार्य : सड़कों, फुटपाथों, पुलों, सार्वजनिक आवास, स्मारकों और केबल बिछाने जैसे नागरिक आधारभूत ढाँचों का निर्माण, रखरखाव और वृद्धि में गारंटीकृत रोजगार के अवसर प्रदान करना।

» हरित नौकरियाँ : शहरी सार्वजनिक क्षेत्रों, हरित स्थानों, पार्कों और वन क्षेत्रों के निर्माण, पुनर्स्थापन और रखरखाव को बढ़ावा देना। इसमें बंजर भूमि का पुनरोद्धार, जल निकायों की सफाई, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और शहरी कृषि को जीवनयापन के लिए सक्षम बनाने जैसे कार्य शामिल हैं।

» निगरानी और सर्वेक्षण कार्य : पर्यावरणीय गुणवत्ता और सार्वजनिक वस्तुओं पर जानकारी एकत्र करने, वर्गीकरण और भंडारण में रोजगार प्रदान करना। यह आँकड़ा आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने और वर्तमान में इन कार्यों को करने वाले शिक्षण या चिकित्सा कर्मचारियों को राहत देने में मदद कर सकता है।

» देखभाल कार्य : बाल देखभाल सेवाओं में सहायता करने, बुजुर्गों की देखभाल करने और विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के अवसर प्रदान करना, जिसमें दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ना या चलने–फिरने में अक्षम लोगों की सहायता करना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

» अनौपचारिक क्षेत्र और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के लोगों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए।

» नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों और सूक्ष्म उद्यमियों को बड़े बाजारों और बड़ी मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए।

- वर्तमान और उभरती माँगों के अनुसार कौशल विकास और पुनः कौशल कार्यक्रमों में बेरोजगारों को नामांकित किया जाए।

- शहरों में शहरी हरित नौकरियों के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकियों तक फैले विभिन्न अवसरों की पेशकश करके उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए।

- झुग्गीवासियों और व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए सरकारी बैंकों से कम ब्याज वाले ऋण तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जाए। किफायती वित्तपोषण विकल्प प्रदान करके, यह पहल व्यक्तियों को शोषणकारी निजी ऋणदाताओं का सहारा लेने से रोकेगी, जिससे उनकी वित्तीय भलाई सुरक्षित रहेगी।

महिलाएँ और शहर

- ULB सहित सभी सरकारी संरचनाओं में महिलाओं का न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, सड़क पर उत्पीड़न के खिलाफ सक्रिय प्रथम–उत्तरदाताओं के रूप में मूक दर्शकों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जाए। समुदाय को हस्तक्षेप करने का अधिकार देकर, हम सभी के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बना सकते हैं।

- अंधेरे स्थानों को खत्म करने और दृश्यता बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग स्थापित की जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा होता है।

- लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों को व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में वन–स्टॉप संकट केंद्रों की स्थापना और रखरखाव किया जाए। इन केंद्रों में जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा, परामर्श और कानूनी सहायता सहित महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाए।

- महिला–अनुकूल सार्वजनिक परिवहन : परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की जाए, जैसे महिला ऑटो–चालकों, बस चालकों और ई–रिक्शा चालकों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी पिंक ऑटो योजना शुरू की जाए।

- कानून प्रवर्तन संवेदीकरण : शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गहन संवेदीकरण कार्यक्रम लागू किए जाएँ।

- स्थानीय शिकायत समितियों को मजबूत किया जाए : यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम के तहत गठित स्थानीय शिकायत समितियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित किया जाए।

संस्कृति और अस्मिता

- सार्वजनिक कलाकृति के विभिन्न रूपों को शामिल करके सार्वजनिक आधारभूत ढाँचे को बहाल करने और बढ़ाने की पहल की जाए।

- विविधता, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी समझ को मजबूत करने वाले ऐसे सामाजिक समारोह आयोजित किए जाएँ जहाँ लोग भोजन, कला और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत कर सकें।

- संगीत, कला प्रदर्शनियों और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए शहर में सामान्य क्षेत्र निर्दिष्ट किए जाएँ। ये स्थान सामुदायिक सहभागिता, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए गतिशील केंद्र के रूप में काम करेंगे।

- विचारों के आदान–प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न समुदायों, उम्र और लिंग के लोगों के लिए कई मंच बनाए जाएँ जो सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी समझ को मजबूत कर सकें।

स्थानीय शासन में भागीदारी

- 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को लागू किया जाए और कार्य, वित्त और पदाधिकारियों को स्थानीय सरकारों को सौंपा जाए।

- स्थानीय सरकारों के लिए अलग कैडर बनाया जाए, जो भारतीय और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के बराबर हो।

- नियोजन प्रक्रिया को इस तरह से संरचित किया जाए कि विकास योजनाएँ समुदायों द्वारा नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण से बनाई जाएँ।

- स्थानीय शासन के सभी स्तरों पर परामर्श, नीतियों, वित्त, गतिविधियों और सभी सार्वजनिक कार्यों और कार्यक्रमों के आउटपुट से संबंधित आँकड़ों की सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

- स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में प्रवासियों को शामिल करने के लिए शासन वास्तुकला को संशोधित किया जाए। प्रवासी आबादी की विविध आवश्यकताओं और योगदानों को चिन्हित किया जाए और निर्णय लेने वाले मंचों पर उनका प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित की जाए। स्थानीय निकाय चुनावों में प्रवासियों को मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। प्रवासियों को वोट देने का अधिकार देने से उन्हें स्थानीय शासन में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि नीति निर्माण प्रक्रियाओं में उनके हितों पर विचार किया जाएगा।

जनजातीय समुदाय

सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (SECC) आदिवासी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं पर प्रकाश डालती है। दलितों की तुलना में कम भूमिहीनता और शारीरिक श्रम पर कम निर्भरता के बावजूद, 79 प्रतिशत ग्रामीण आदिवासी परिवार वंचित हैं, जो राष्ट्रीय औसत और दलितों से भी अधिक है। शैक्षिक लाभ मौजूद होने के बावजूद भी असमानताएँ बनी हुई हैं। अनुसूचित जनजाति (ST) की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम 73.6 प्रतिशत है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच सीमित बनी हुई है और उनके बीच मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे विधायी प्रयासों के बावजूद, कार्यान्वयन में बाधाएँ बरकरार हैं। इस कारण आदिवासी राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। औपनिवेशिक विरासतें और भूमि अलगाव गरीबी को बढ़ाते हैं। उन्हें जीविका के लिए प्रवासन को मजबूर होना पड़ता है। सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों के बीच अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए जनजातीय स्वायत्तता और परंपराओं का सम्मान करने वाली समावेशी नीतियों की आवश्यकता है।

अत्याचार और दासता से रक्षा

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आदिवासी शोषण के मामलों के त्वरित समाधान के लिए तंत्र स्थापित किए जाएँ।

आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन द्वारा दासता की रोकथाम के लिए सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सहायता सुनिश्चित की जाए। साहूकारों द्वारा उनके शोषण को रोका जाए। आदिवासी संपत्तियों की रक्षा की जाए।

संभावित दासता क्षेत्रों में सतर्कता समितियों द्वारा शोषण के कार्यस्थलों की निगरानी की जाए। टास्क फोर्स कार्यस्थलों पर बंधुआ बनाए गए व्यक्तियों को तुरंत छुड़ाए।

छुड़ाए गए आदिवासी सदस्यों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021 के तहत प्रत्यावर्तन और पुनर्वास सहायता दी जाए।

खाद्य सुरक्षा, आजीविका और अर्थव्यवस्था

स्वतः शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए सभी आदिवासी परिवारों को च्वै में अंत्योदय श्रेणी के लिए योग्य माना जाए।

आवास और कृषि भूमि पर वनों में रहने वाले आदिवासी परिवारों का व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार को मान्यता दी जाए।

पारंपरिक खाद्य स्रोतों के संरक्षण में जनजातीय समुदायों का समर्थन किया जाए।

शोषणकारी ऋण प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु गाँव सभाओं को स्थानीय बाजारों के प्रबंधन का जिम्मा दिया जाए। उन्हें राजस्व उगाहने और ग्राम विकास के लिए सार्वजनिक संसाधनों को नियंत्रित करने का जिम्मा भी दिया जाए।

गाँव सभाओं द्वारा स्थानीय शराब उत्पादन को PESA निर्देशों के अनुरूप विनियमित किया जाए। ये उपाय जनजातियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएँगे और उनकी सांस्कृतिक अखंडता को संरक्षित रखेंगे।

भूमि और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण

वन संसाधनों पर आदिवासियों की निर्भरता को स्वीकारते हुए, वन अधिकार अधिनियम (FRA) प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों की नियुक्ति की जाए। स्व–खेती, आवास, चराई और मछली पकड़ने सहित व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

गाँव सभा की सहमति से स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु PESA प्रवर्तन महत्वपूर्ण है। भूमि संबंधी निर्णयों के परिचालन मामलों में गाँव सभा को सशक्त बनाया जाए।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (LARR) अधिनियम, 2013 के सुरक्षात्मक प्रावधान में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार (विशेष रूप से सामाजिक प्रभाव विश्लेषण) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी विस्थापन न हो, तथा आवास, भूमि और आजीविका प्रावधानों के साथ उचित पुनर्वास हो। आदिवासियों में विधवाओं को भूमि हस्तांतरण और बिना पट्टे के राजस्व भूमि पर मौजूद लोगों को दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। भूमि आवंटन हितग्राहियों को शीघ्र कब्जा एवं पट्टा प्राप्त हो सके।

स्थानीय शासन में भागीदारी और नियंत्रण तथा अस्मिता का संरक्षण

PESA अधिनियम, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में गाँव सभाएँ क्रियाशील हों। कुल मिलाकर, आदिवासी स्वायत्तता और विरासत को संरक्षित करने के लिए PESA के प्रावधानों को बरकरार रखा जाना चाहिए।

गाँव सभाओं को आदिवासी परंपराओं और संस्कृति की रक्षा करने, विवाह, तलाक और विरासत में प्रथागत कानूनों की अनुमति देने का अधिकार दिया जाए।

स्थानीय विवाद समाधान और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन को गाँव सभा की पारंपरिक प्रणालियों का सम्मान करना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण के लिए गाँव सभा से अनुमति लेनी होगी। सदस्यों को लघु वन उपज तक पहुँच होनी चाहिए।

गाँव सभाओं को भूमि बहाली, आदिवासी कल्याण गतिविधियों और स्थानीय विकास योजनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। सांस्कृतिक संवर्धन के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

जिला और राज्य प्रशासन को आदिवासी गाँवों में अलगाव और आवश्यक सेवाओं की कमी से निपटने के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित की जाए।

स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों को पूरा किया जाए। प्रत्येक बस्ती में प्री–स्कूलिंग और पोषण के लिए एक बाल केंद्र और एक आंगनवाड़ी केंद्र हो।

आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास आसानी से सुलभ हों। प्रभावित छात्रों के लिए गहन सर्वेक्षण और विकल्प चुनने के बाद स्कूल बंद किए जाएँ। अधिक आदिवासी स्कूल आश्रमों की आवश्यकता है।

शिक्षा में रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ आदिवासी इतिहास और संस्कृति भी शामिल की जाए। जनजातीय अध्ययन के लिए एक अनुसंधान केंद्र के साथ–साथ जनजातीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति संरक्षण उपायों को लागू किया जाए।

मोबाइल स्कूल घुमंतू समुदायों में लड़कियों की शिक्षा में सहायता कर सकते हैं। ताल्लुका स्तर पर निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करवाए जाएँ।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को पर्याप्त संसाधनों और कर्मचारियों के साथ प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।

घुमंतू चरवाहों के न्यायसंगत भविष्य की कार्यसूची

घुमंतू पशुचारण एक प्राचीन पेशा है, जो सहयोग, गतिशीलता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। भारत के घुमंतू पशुचारण की समृद्ध परंपरा में लाखों लोग शामिल हैं। उन्हें आज चारागाह भूमि की क्षति, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक हाशिए पर जाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चरवाहे आर्थिक कमजोरियों, गिरते बाजार मूल्यों और प्रतिबंधित प्रवास मार्गों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। पितृसत्तात्मक मूल्य महिलाओं को और अधिक हाशिये पर धकेल देते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक और आर्थिक भागीदारी सीमित हो जाती है। महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, उन्हें भेदभाव और मान्यता के अभाव का सामना करना पड़ता है। उनके लिए कानूनी और नीतिगत समर्थन अपर्याप्त है। इस कारण उनमें गरीबी और हाशिए पर रहने का चक्र कायम है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए घुमंतू चरवाहे समुदायों की स्थिरता और भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

भारत की सांस्कृतिक विविधता, सतत विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के लिए घुमंतू चरवाहों के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। घुमंतू पशुचारण लाखों लोगों का भरण–पोषण करता है, उन्हें सम्मानजनक आजीविका प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पारिस्थितिकीय रूप से, चरवाहे जैव विविधता का संरक्षण, खेती में सहायता और सहजीवी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक रूप से, पशुचारण सहयोग, एकजुटता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, जो टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक है।

गणना

- समर्पित गणना सहित चरवाहे घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के सटीक आँकड़े एकत्रित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है।

- घुमंतू समूहों को UID और अन्य ID जारी किए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को सक्रिय रूप से जाति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करने चाहिए। भौगोलिक रूप से अलग–थलग पड़े चरवाहे समुदायों के लिए सरलीकृत दस्तावेजीकरण प्रक्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रमों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों को जारी करने की व्यवस्था की जाए।

- विशेष पहचान पत्रों से प्रवास करने वाले चरवाहों के लिए गतिशीलता और सेवाओं तक पहुँच की सुविधा दी जाए।

विधायी उपाय

- SC और ST अत्याचार रोकथाम अधिनियम की तरह सुरक्षा प्रदान करने हेतु, प्रवासी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले विधायी उपायों का होना आवश्यक है।

- घुमंतू चरवाहों, चारागाहों और प्रवास मार्गों को कानूनी मान्यता और संरक्षण देने की आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय और राज्य कानूनों द्वारा पशुचारण को एक वैध भूमि उपयोग के रूप में स्वीकार तथा इसकी उत्पादकता और स्थिरता पर जोर देना चाहिए।

- चरवाहों को अपने पशुओं को चराने और पानी तक पहुँचने के लिए जिलों, राज्यों और सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होना चाहिए।

- सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कानून मौजूद हो जो चरवाहों की आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों, जैसे चरागाह भूमि और जल स्रोतों तक पहुँच की सुरक्षा करता हो।

घुमंतू चरवाहों के लिए आरक्षण

- घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियाँ भारत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और उपेक्षित समुदाय रही हैं। विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, घुमंतू समुदायों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, हम घुमंतू जनजातियों के लिए अलग 4 से 5 प्रतिशत कोटा के साथ एक नई श्रेणी की माँग करते हैं ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित नागरिकों के रूप में उनके लिए विशेष आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

- घुमंतू चरवाहे समुदायों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 4 से 5 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण किया जाए।

चरवाहों के लिए सामाजिक सुरक्षा

- उन क्षेत्रों में जहाँ घुमंतू चरवाहे पाए जाते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन सुविधाओं जैसी सामाजिक सेवाओं और आधारभूत ढाँचे में सरकारी बजट आवंटन और व्यय में वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

शिक्षा

- आवासीय और मोबाइल स्कूलों सहित घुमंतू चरवाहे समुदायों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।
- स्कूलों में लड़कियों के नामांकन और ठहराव के लिए एक केंद्रित अभियान की आवश्यकता है।
- पाँचवीं कक्षा से ऊपर के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, विशेषकर लड़कियों के लिए, स्थापित किये जाएँ।
- छात्रवृत्ति उन्हें शिक्षा में समर्थन करे। राष्ट्रीय वित्त और विकास निगमों के माध्यम से रियायती ऋण और कौशल विकास कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जाए।
- चरवाहे घुमंतू समुदायों के लिए जागरूकता अभियान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को स्थिरता देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। ये उपाय शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से घुमंतू चरवाहे समुदायों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान में मददगार साबित होंगे।

स्वास्थ्य सेवाएँ

- राज्य सरकारों द्वारा घुमंतू चरवाहे समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने और उनकी पहुँच सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जाए।
- घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और क्रेच प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो।

महिलाएँ और लड़कियाँ

- चरवाहे घुमंतू समुदायों के बीच बाल विवाह और दुल्हन खरीद को रोकने के लिए विशेष उपाय आवश्यक हैं।
- महिलाओं के समावेशन के लिए ऋण, प्रशिक्षण और संपत्ति निर्माण में प्राथमिकता दी जाए। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, विशेषकर लड़कियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और नेटवर्किंग अवसरों के माध्यम से महिलाओं की सूचना तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है।

- महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों का समर्थन करना, मूल्य श्रृंखलाओं को समझना और बाजारों तक पहुँच बनाना महत्वपूर्ण है।

बैंकिंग सेवाएँ

- बैंकों और डाकघरों द्वारा घुमंतू चरवाहे समुदायों के सदस्यों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।

- बैंकों द्वारा चरवाहे समुदायों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का उचित प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता है।

- वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु कमजोर वर्गों की सूची में चरवाहे खानाबदोश समुदायों को एक अलग श्रेणी के रूप में जोड़ा जाए।

पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा

- सभी पशुपालकों को उनकी मूल पंचायत के भीतर, स्रोत पर पंजीकृत किया जाए।

- उनके पशुओं को भी गाँवों और पंचायत ग्राम रजिस्टरों में दर्ज किया जाए।

- उन्हें शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, PDS, ICDS और PMAY सहित सार्वभौमिक आबादी और/या हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए बनाई गई सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच दी जाए।

- प्रवास के दौरान बच्चों के लिए मोबाइल शिक्षा और चरवाहे समुदायों और उनके पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाई जाए।

- दावों को उसी पंचायत में संसाधित किया जाए जहाँ वे पंजीकृत हैं, भले ही प्रवासी मार्गों पर कोई दुर्घटना हो।

आजीविका और आर्थिक चुनौतियाँ

- चरवाहे घुमंतू समुदायों की आजीविका में सुधार, बाजारों और पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।

- डेयरी फार्मिंग समूहों को स्थानीय यूनियनों में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

- समितियों को उचित लाभ सुनिश्चित करते हुए पशुधन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। राज्य एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य या इससे ऊपर इन उत्पादों की खरीद की जाए।

- विपणन कनेक्शन स्थापित किए जाएँ, और MSME योजनाओं के तहत ऊन काटने का समर्थन किया जाए। ऊन और दुग्ध संघ विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता की जाए।

- एक समर्पित बजट उप–योजना और व्यापक चारा नीति की आवश्यकता है। पशु स्वास्थ्य सेवाओं और प्रसंस्करण कौशल प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी जाए।

- विकास योजनाओं में खानाबदोश चरवाहे हितों को एकीकृत किया जाए और संरक्षण प्रयासों के लिए उनके पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाया जाए।

सामाजिक और सांस्कृतिक हाशिएकरण को संबोधित करना

- हमें घुमंतू चरवाहे समुदायों के सांस्कृतिक अधिकारों, भाषा और विरासत को पहचानकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। सांस्कृतिक आत्मनिर्णय के लिए कानूनी संरक्षण से उन्हें मानवाधिकार सम्मेलनों के अनुरूप पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने की अनुमति मिलनी चाहिए।

- नीतियों को भाषाओं और विरासत स्थलों सहित चरवाहे संस्कृति के संरक्षण का समर्थन करना चाहिए।

- उनकी अनूठी प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

- पशुपालन और संसाधन प्रबंधन प्रथाओं सहित पारंपरिक ज्ञान के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

- गतिशीलता नेटवर्क को कानून में सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालियों के रूप में मान्यता दी जाए।

- सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान की जाए।

- सरकारी विभागों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिए। पशुपालक विरासत और परंपराओं को समझने के लिए अनुसंधान और दस्तावेजीकरण पहल के लिए संस्थागत समर्थन महत्वपूर्ण है।

गतिशीलता सुरक्षित करना

- सुनिश्चित किया जाए कि कानून घुमंतू चरवाहों को भूमि, संसाधनों और पशुधन गलियारों तक पहुँच प्रदान करे, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी भूमि उपयोग वाले क्षेत्रों में।

- सरकार द्वारा आपात स्थिति के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन के साथ, निर्दिष्ट मार्गों और विश्राम स्थलों के जरिए प्रवासी यात्राओं के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

- चरवाहों को शामिल करते हुए भागीदारीपूर्ण योजना बनाना महत्वपूर्ण है। चराई पर प्रतिबंध की समीक्षा की जाए और स्थानीय संसाधन–साझाकरण व्यवस्था को मान्यता देने वाले कानूनों को अपनाया जाए।

- विकास के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ भूमि हस्तांतरण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा आवश्यक है।

- संसाधन पहुँच को नियंत्रित करने वाले सामाजिक संबंधों की मान्यता के साथ–साथ पशुधन और वन्यजीवों के लिए बफर जोन सुनिश्चित किया जाए।

- प्रथागत प्रणालियों पर जोर देते हुए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में चरवाहों का एकीकरण आवश्यक है।

- अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक उपायों के साथ चरवाहों के लिए हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून अनिवार्य है। गतिविधियों पर नजर रखना और विश्राम स्थलों पर विकासात्मक गतिविधियों पर रोक लगाना आवश्यक है।

भूमि अधिकार

- चरागाह और खेती क्षेत्रों सहित घुमंतू चरवाहों के उनकी भूमि पर अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विवादों और अतिक्रमणों को रोकने के लिए गौचर जैसी पारंपरिक चरागाह भूमि की पहचान और उसका दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण है।

- सामान्य भूमि की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय लागू किए जाएँ, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चरवाहों की सार्वजनिक भूमि तक पहुँच बनी रहे।

- संस्थागत प्रक्रियाओं द्वारा चरवाहों की जरूरतों को विकास योजना के साथ एकीकृत किया जाए। नीतियों द्वारा चरवाहों की जरूरतों को अन्य भूमि उपयोगकर्ताओं के साथ संतुलित किया जाए, जिससे उन्हें अपरिहार्य भूमि रूपांतरण के लिए मुआवजा मिल सके।

- चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रतिबंधित किया जाए। उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान हो। भूमि असमानताओं को दूर करने से चरवाहे महिलाएँ सशक्त होंगी।

- मनरेगा जैसी पहलों द्वारा समर्थित, चरवाहे मार्गों के किनारे देशी घास और झाड़ियाँ लगाने से स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

विवाद प्रबंधन

- भूमि और संसाधन विवादों को कुशलतापूर्वक संबोधित करने हेतु घुमंतू चरवाहों के लिए एक मजबूत विवाद समाधान प्रणाली स्थापित की जाए।

- उन्हें भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएँ। संघर्ष–संवेदनशील नीतियाँ सुनिश्चित की जाएँ।

- पारंपरिक प्रणालियों सहित सुलभ तंत्र द्वारा महिलाओं और कमजोर समूहों सहित सभी की जरूरतों को पूरा करना किया जाए।

- पारंपरिक प्रणालियों के विकेंद्रीकरण और एकीकरण से सहयोग बढ़ेगा।

- तंत्र को डिजाइन करने में चरवाहों की सक्रिय भागीदारी उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए। कानूनी समर्थन से चरवाहों को कानूनी ढाँचे के भीतर अपने अधिकारों को समझने में मदद मिलेगी।

पशुधन स्वास्थ्य और प्रबंधन

- घुमंतू चरवाहे क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवर कर्मचारियों और आवश्यक आपूर्ति से लैस पशु चिकित्सा अस्पतालों और क्लीनिकों की स्थापना की जाए।
- मृत्यु, बीमारी और चोरी जैसे जोखिमों को कवर करने वाली बीमा योजनाएँ शुरू की जाएँ।
- स्वदेशी ज्ञान को एकीकृत करते हुए आधुनिक पशुपालन तकनीकों और रोग प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान की जाए। नस्ल सुधार और बीमारी की रोकथाम के लिए अनुसंधान में निवेश किया जाए।
- निदान और उपचार के लिए विशेष पशु स्वास्थ्य देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आहार और पूरकों तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना

- घुमंतू चरवाहों के लिए जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जलवायु नीतियाँ बनाते समय उनसे परामर्श किया जाए।
- शमन और अनुकूलन प्रयासों में सहायता के लिए तत्काल जलवायु प्रभाव आकलन की आवश्यकता है।
- पशुधन और चारागाह में कमी सहित जलवायु–प्रेरित नुकसान के लिए मुआवजा महत्वपूर्ण है।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, सूखा प्रतिरोधी नस्लों और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से चरवाहा प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाया जाए।

संस्थागत ढाँचा

- घुमंतू चरवाहे समुदायों के लिए समर्थन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत संस्थागत तंत्र बनाया जाए। मौजूदा चरवाहे सेल को भविष्य की भूमिकाओं के स्पष्ट चित्रण

की आवश्यकता है।

- अलग–अलग राज्यों के वर्गीकरण के कारण समान सुरक्षात्मक उपायों का अभाव है। राज्य–स्तरीय कल्याण बोर्डों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए।

- चराई और घुमंतू समुदायों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, जिसमें निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए एक संस्थागत व्यवस्था हो।

- पारंपरिक ज्ञान और समुदाय–आधारित प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए प्रासंगिक सरकारी निकायों से तकनीकी सहायता आवश्यक है। जहाँ लागू हों, पारंपरिक संस्थानों को शामिल करते हुए प्राधिकरण का स्थानीय हस्तांतरण भी आवश्यक है। विभागों और ऊर्ध्वाधर स्तरों पर सख्त समन्वय आवश्यक है, जो पशुपालक प्रतिनिधित्व समावेशी निर्णय लेने को सुनिश्चित करता हो।

- सामुदायिक कल्याण के लिए राज्य–विशिष्ट कल्याण बोर्डों की सिफारिश की जाती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय पशुचारण को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पशुचारक इनपुट को शामिल करते हुए सहयोगी ढाँचे की आवश्यकता है।

घुमंतू और विमुक्त जनजातियाँ

सन् 1871 में ब्रिटिश शासन ने पंजाब, अवध, बंगाल और मद्रास जैसे क्षेत्रों में अपनी पहुँच का विस्तार करते हुए आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया। लगभग 200 घुमंतू समूहों पर 'आपराधिक जनजाति' का लेबल दिया गया। इन समूहों में व्यापारी, कलाकार, चरवाहे, कारीगर और चिकित्सक शामिल थे। इस अधिनियम ने बसावट वाले और घुमंतू समुदायों के बीच पारंपरिक संबंधों को बाधित करने का काम किया। इसके कारण संदिग्ध सदस्यों की रिपोर्ट और जबरन समझौता करना अनिवार्य हो गया। यूरोपीय पूर्वाग्रहों से प्रेरित इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाज को जड़ बनाना था। सन् 1949 में निरस्त इस कानून की विरासत 31 अगस्त, 1952 को आधिकारिक मुक्ति के बावजूद, गैर–अधिसूचित जनजातियों (DNT) और घुमंतू जनजातियों और गैर–अधिसूचित जनजातियों (NDNT) के खिलाफ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण बर्ताव में आज भी बरकरार है। उनके सामने सामाजिक कलंक, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और सामाजिक आर्थिक कमजोरियों के कारण आधुनिक बाजार–संचालित अर्थव्यवस्था को अपनाने में चुनौतियाँ जस की तस हैं।

भारत में घुमंतू और गैर–अधिसूचित जनजातियाँ (NTDNT) ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक–आर्थिक कारकों और अप्रभावी नीतियों के कारण स्थायी सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर हैं।

आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरस्त होने के बावजूद, कानून प्रवर्तन की नजर में उनका कलंक बरकरार है। नया कानून उनको हाशिये पर कायम रखे हुए है और NDNT नीति निर्माताओं के लिए वे 'अदृश्य' बने हुए हैं, जिससे उनकी मान्यता और लाभों तक पहुँच में बाधा आती है। उनके बहिष्कार और गरीबी के कारण, पहले से ही खंडित संसाधनों तक उनकी पहुँच और सीमित हो जाती है। हालाँकि, रेनके और उसके बाद इडेट आयोग जैसे प्रयासों ने सिफारिशें प्रस्तावित की हैं, लेकिन दस्तावेजीकरण की कमी और भूमिहीनता सहित सभी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इस संबंध में याचिकाएँ छज्क्छज् समुदायों के चल रहे संघर्षों को रेखांकित करते हुए आधारभूत ढाँचे, आवास, शिक्षा और मान्यता की तत्काल जरूरतों को उजागर करती हैं।

घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजातीय समुदायों के बीच विशेष रूप से कमजोर लोगों के लिए त्वरित विकास हस्तक्षेप

NTDNT के बीच विशिष्ट समुदायों के लिए फास्ट–ट्रैक विकास हस्तक्षेप की सख्त आवश्यकता है। भारत में NTDNT समुदायों के बीच असुरक्षा स्थान, सामाजिक–आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे कारकों के कारण भिन्न पाई जाती हैं। इनमें से कुछ को अत्यधिक गरीबी, सेवाओं की कमी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, NTDNT समूहों के भीतर लचीलापन और समर्थन नेटवर्क तक पहुँच भिन्न होती है। सरकार कृषि–पूर्व तकनीक, कम साक्षरता और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की पहचान करती है। NTDNT उप–समूहों के बीच विशिष्ट चुनौतियाँ अलहदा किस्म की हैं। उदाहरण के लिए पारधी, वासुदेव, म्हसनजोगी, मदारी, बूम बूम मट्टूकरन जैसे समुदाय और समुदाय–आधारित यौन कार्य में लगी जनजातियाँ। भेदभाव, गरीबी, विस्थापन, सांस्कृतिक विरासत का क्षरण और अस्थिर आजीविका पर निर्भरता आम मुद्दे हैं। परंतु समावेशी विकास के लिए लक्षित नीतियों की दरकार है। तमाम मान्यता प्रयासों के बावजूद, ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों और प्रणालीगत उपेक्षा के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस कारण व्यापक और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विधायी कदम

- अल्पसंख्यकों पर 1992 के कानून की तर्ज पर एक नया कानून बनाया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से गैर–अधिसूचित समुदायों को मान्यता दी जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के समान इस प्रस्तावित कानून को NTDNT समुदायों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों को संबोधित करना चाहिए।

- पुलिस अत्याचार और कलंक को रोकने हेतु आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 को निरस्त करने की आवश्यकता है।

- NTDNT के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1959 और इस तरह के कानूनों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

- इसी प्रकार, NTDNT के सतत संसाधन उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु वन्यजीव और वन संरक्षण कानूनों को संशोधित किया जाए।

- सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए NTDNT समुदायों द्वारा पारंपरिक शराब बनाने और बेचने पर रोक लगाने वाले उत्पाद शुल्क कानूनों पर फिर से विचार किया जाए।

घुमंतू और विमुक्त जनजातीय समुदायों की वैधानिक गणना

- गैर–अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के लिए एक विशेष जनगणना महत्वपूर्ण है।

- आगामी जनगणना और ID जारी करने में NTDNT समुदायों को प्राथमिकता दी जाए।

- घुमंतू समुदायों से अनभिज्ञ राज्यों को राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार अस्थाई सूचियों से परामर्श लेना चाहिए।

- जिला प्रशासन NTDNT समुदायों को सक्रिय रूप से जाति और जन्म प्रमाण पत्र जारी करे।

सभी चालू कार्यक्रमों और योजनाओं में घुमंतू और गैर–अधिसूचित जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाया जाए

विशेष NTDNT उप-योजना

NTDNT समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु केंद्र और राज्य बजटों में एक विशेष NTDNT उप–योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है। इस योजना के साथ धन के किसी भी विचलन या कम उपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएँ और NTDNT समुदायों के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित कर इसे विधायी शक्ति दी जाए।

शिक्षा एवं बाल अधिकार

- आवासीय विद्यालयों के माध्यम से NTDNT बच्चों को शिक्षित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्कूल में उपस्थिति का आँकड़ा आवश्यक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को ब्लॉक–स्तरीय शिक्षा योजना के साथ इस प्रयास का नेतृत्व करना चाहिए।

- लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत बहुभाषी शिक्षण, छात्रवृत्ति और व्यावसायिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं।
- प्रवासी मार्गों पर शिशुगृहों और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) केंद्रों तक पहुँच आवश्यक है।
- कलाबाजी और मनोरंजक समुदायों के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण और सहायता मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय कला विद्यालय और NTDNT बच्चों पर एक कार्य समूह की स्थापना महत्वपूर्ण है।
- NTDNT को सहायता देने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता के साथ–साथ रियायती ऋण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाएँ

- सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा घुमंतू समुदायों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु मोबाइल डिस्पेंसरी तैनात की जाए।
- NTDNT महिलाओं को ASHA कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाए।
- PDS के माध्यम से मुफ्त राशन पूरक के साथ–साथ गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों तक भी पहुँचाया जाए।
- ICDS के तहत NTDNT केंद्रित सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएँ सुलभ हों और निजी अस्पतालों में सरकारी सिफारिशों के साथ प्रवेश की सुविधा हो।
- NTDNT समुदाय के सदस्यों को चिकित्सा यात्रा के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करवाया जाए।
- परिवारों और पशुओं को कवर करने वाली एक चिकित्सा बीमा योजना लागू की जाए।
- पारंपरिक चिकित्सकों और प्रसव परिचारकों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण दिया जाए।

» मेडिकल कॉलेजों को NTDNT के बारे में जागरूकता के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

महिलाएँ और लड़कियाँ

» NTDNT महिलाओं को रोजी कमाने वाले के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए ऋण, प्रशिक्षण, संपत्ति निर्माण और भूमि वितरण में प्राथमिकता दी जाए।

» राष्ट्रीय और राज्य आयोगों में समर्पित विभाग के साथ महिलाओं की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

» यौन कार्य में संलग्न NTDNT महिलाओं के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम आवश्यक हैं। राज्य–स्तरीय कार्य योजनाओं को तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के पुनर्वास पर केंद्रित होना चाहिए।

» पुलिस स्टेशनों और संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वय, NTDNT महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा उपायों को बढ़ा, उनकी विशिष्ट चुनौतियों और अधिकारों का समाधान कर सकता है।

रोजगार एवं आजीविका

» सुनिश्चित किया जाए कि पंचायतें पते की आवश्यकताओं में ढील देते हुए NTDNT समुदायों के लिए मनरेगा कार्यान्वयन की निगरानी करें।

» वेतन वितरण के लिए लचीले बैंकिंग विकल्पों के साथ, मनरेगा नौकरियों में बेघर NTDNT समुदायों को प्राथमिकता दी जाए।

» DAY-NRLM द्वारा NTDNT समुदायों के स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए।

» स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत, NTDNT समुदायों को देश भर में वेंडिंग और सरकारी–संगठित बाजारों तक पहुँच के लिए विशेष लाइसेंस दिए जाएँ।

» भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम में वड्डर, पथरकटानी और लोढ़ा जैसे NTDNT समुदायों को पारंपरिक श्रमिकों के रूप में नामांकित किया जाए, जिससे उन्हें लाभ दिया जा सके।

बैंकिंग सेवाएँ

- बैंक और डाकघरों द्वारा NTDNT समुदायों के लिए खाते खोलने की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उनकी बैंकिंग पहुँच
- सुनिश्चित की जाए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का एक हिस्सा NTDNT समुदायों को आवंटित किया जाए।
- वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए NTDNT को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।

NTDNT *समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना*

- सुनिश्चित किया जाए कि ललित कला अकादमियों द्वारा NTDNT समुदायों की कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जादूगर और बाजीगर जैसे समुदायों के पारंपरिक प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिले।
- नृत्य समूहों को थिएटर समूहों के समान वित्तीय सहायता दी जाए।
- संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित वार्षिक NTDNT सांस्कृतिक उत्सव राज्य और केंद्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएँ, जिनमें प्रदर्शन और शिल्प कला शामिल हों।

घुमंतू और विमुक्त जनजातीय समुदायों के लिए विशेष आरक्षण

- मौजूदा पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण से अलग, NTDNT समुदायों के लिए एक अलग आरक्षण श्रेणी स्थापित की जाए। इससे उनकी अनूठी चुनौतियों को पहचाना जा सकेगा। वर्तमान में, एक समर्पित तीसरी अनुसूची बनने तक उन्हें SC (DNT), ST (DNT), और OBC(DNT) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे कमजोर गैर–अधिसूचित समुदायों के लिए उप–आरक्षण लागू किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत कोटा NTDNT समुदायों के लिए आरक्षित किया जाए, जिससे अवसरों तक उनकी पहुँच आसान की जा सके और अन्य समुदायों के साथ अंतर को कम किया जा सके।

घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजातीय समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु एक संस्थागत ढाँचे का गठन

- DNT और NT समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने हेतु राज्य और केंद्र स्तरों पर एक समर्पित मंत्रालय स्थापित किया जाए। यह मंत्रालय उनके विकास और सुरक्षा के लिए संसाधन सुनिश्चित करे।

- इसके अतिरिक्त, उनके सरोकारों को संस्थागत समर्थन प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य स्तरों पर स्थायी वैधानिक आयोग बनाने की आवश्यकता है।

- उनके सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को और सुविधाजनक बनाने हेतु राज्य–स्तरीय कल्याण बोर्डों के साथ–साथ निर्णय लेने वाले निकायों में NTDNT समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- इन संस्थाओं के बीच सहयोग समन्वित प्रयासों और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।

घुमंतू और विमुक्त जनजातीय समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण और उत्थान

- घुमंतू और गैर–अधिसूचित समुदायों द्वारा उत्पादित शिल्प को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। एजेंसियों द्वारा उनके कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएँ डिजाइन की जाएँ।

- इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय द्वारा इन समुदायों की पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा दिया जाए।

- प्रासंगिक NTDNT समुदायों के सदस्यों को वन मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए। वन वनस्पतियों में उनकी विशेषज्ञता संरक्षण प्रयासों में योगदान दे सकती है।

- NTDNT युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका विकल्प प्रदान किए जाएँ।

- विशेष रूप से शराब बनाने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष उत्पाद शुल्क नियम बनाए जा सकते हैं जिससे उनकी आजीविका के साधन कानून के दायरे में रहें।

वन क्षेत्रों में घुमंतू और विमुक्त जनजातीय समुदायों का संरक्षण और पुनर्वास

- वन अधिकारियों को NTDNT समुदायों के इतिहास, संस्कृति और चुनौतियों को समझने, उनकी आजीविका के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए।

- अवैध शिकार की घटनाओं के दौरान इन समुदायों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

- सुदूर वन क्षेत्रों में कार्यरत NTDNT महिलाओं और लड़कियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए।

- उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत विस्थापित घुमंतू समुदायों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिया जाए।

- इसके अतिरिक्त, वन संरक्षण प्रयासों के बीच स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए चरवाहे NTDNT समुदायों के अधिकारों, जैसे चराई और पानी तक पहुँच को मान्यता दी जाए।

आश्रय और आधारभूत ढाँचा विकास कार्यक्रम

- NTDNT समुदायों की अस्थायी और स्थायी बस्तियों की आवास आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है। इसके आधार पर आश्रय कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं।

- NTDNT समुदायों की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने हेतु, समर्पित उप–योजनाओं के साथ PMAY में एकीकृत कर एक समावेशी नीति डिजाइन तैयार करना महत्वपूर्ण है।

- लंबे समय तक तंबू में रहने वालों को प्राथमिकता देते हुए, योग्य परिवारों को मुफ्त या रियायती आवास प्रदान किए जाएँ।

- गाड़िया लोहारों के लिए बाजारों की निकटता जैसे कारकों पर विचार करते हुए, आवास योजना को NTDNT समुदायों की आजीविका के साथ संरेखित किया जाए।

- PMAY में धनराशि निर्धारित करने से NTDNT समुदायों के आवास के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सकती है।

- जल निकायों के पास घुमंतू मछली पकड़ने वाले समुदायों का पुनर्वास उनके पारंपरिक व्यवसायों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

» मौजूदा बस्तियों में बुनियादी सुविधाएँ और NTDNT समुदायों के लिए सम्मानजनक आवास स्थिति सुनिश्चित करने वाले एक एकीकृत ढाँचागत विकास कार्यक्रम की आवश्यकता है।

पुलिस संवेदीकरण और प्रशिक्षण

» जातिगत भेदभाव और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए NTDNT समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों को संबोधित करने हेतु पुलिस कर्मियों को अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए।

» राष्ट्रीय पुलिस अकादमियों में अधिकारियों को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएँ आवश्यक हैं।

» विकास कार्यक्रमों में पुलिस को शामिल करने से समझ विकसित होगी और मजबूत सामुदायिक रिश्ते बनेंगे।

» दुर्व्यवहार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अनुकरणीय अनुशासनात्मक कार्रवाई कदाचार को रोकने के लिए जरूरी है।

» NTDNT महिलाओं के लिए विशेष सेल स्थापित करने से उत्पीड़न के खिलाफ समर्थन और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

» जेल में बंद NTDNT व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार के लिए जाति–आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए देश भर में जेल मैनुअल को अपडेट किया जाए।

दलित समुदाय

अनुसूचित जाति (SC) या दलित समुदाय, भारत की आबादी का 16.6 प्रतिशत हैं। उन्हें सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर रखा गया है। इस आबादी में उन 2 प्रतिशत दलितों को भी जोड़ लिया जाए, जिनके ईसाई और इस्लाम मजहब अपनाने के बावजूद भी उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है।

संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, दलितों को व्यवस्थागत पूर्वाग्रह और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो उनकी उच्च गरीबी दर में साफ झलकता है। सनद रहे कि 33.3 प्रतिशत दलित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। मुख्य रूप से 71 प्रतिशत अनुसूचित जाति के किसान दूसरों की भूमि पर मजदूर के रूप में काम करते हैं। भूमि स्वामित्व 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों तक ही सीमित है। बंधुआ मजदूरी प्रचलित है। साल 2016 के बाद से श्रम बल भागीदारी दरों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। यह गिरावट विशेष रूप से SC और OBC को प्रभावित कर रही है। भेदभाव बदस्तूर जारी है। इसका प्रमाण अनुसूचित जाति के खिलाफ बढ़ती अपराध दर है। दलितों की साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अनुसूचित जाति के किसान देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सभी धर्मों के दलित समुदायों के लिए सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपाय महत्वपूर्ण हैं।

भूमि और आजीविका

- इस तथ्य के मद्देनजर कि अधिकांश दलित, कृषि श्रमिक या बटाईदार के रूप में काम करते हैं, उपलब्ध खेती योग्य बंजर भूमि या सार्वजनिक डोमेन के नाम पर राज्य द्वारा अधिग्रहित अप्रयुक्त या अधिशेष भूमि और जो किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं है, को भूमिहीन दलित परिवारों को आवंटित कर दिया जाना चाहिए। पति–पत्नी को संयुक्त स्वामित्व वाली न्यूनतम 5 एकड़ भूमि प्रदान की जाए।

- इसी प्रकार अनुसूचित जाति के सभी भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 10 डेसीमल आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जाए।

- शामलात भूमि/पंचायत भूमि की स्थिति को 'सार्वजनिक भूमि' के रूप में संरक्षित किया जाए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्थानांतरित होने से बचाया जाए। इस भूमि का एक हिस्सा दलित समुदायों के लिए आरक्षित किया जाए (उदाहरण के लिए, पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट द्वारा एक तिहाई) और उन्हें खेती के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया जाए।

- दलित परिवार जो पशुपालन के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं, उन्हें चारागाह भूमि तक पहुँच प्रदान की जाए।

- छोटे और सीमांत दलित किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए खेती पर प्रशिक्षण के साथ–साथ कृषि इनपुट के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाए।

- उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ऋण पर सब्सिडी की मौजूदा योजना को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।

- पारंपरिक व्यवसायों (जो जबरन और अमानवीय न हों) को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी या कम ब्याज दरों पर ऋण का प्रावधान किया जाए। दलित महिला SHGs को बाजार संपर्क के समर्थन के साथ समर्थन और बढ़ावा दिया जाए।

- कृषि सहित घोर उल्लंघन वाले उन सभी कार्यस्थलों पर न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए। दलित पुरुष और महिला कृषि श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए।

- चूँकि अधिकांश अनौपचारिक श्रमिक दलित हैं, इसलिए उनके लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रावधान किए जाएँ, जैसे कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा, आवास और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आजीविका।

- अंतरजातीय विवाह पर दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए और जोड़े को शादी के 2 साल बाद तक सुरक्षा मिले।

- संविदा श्रम प्रणाली को समाप्त किया जाए।

- आरक्षण को निजी क्षेत्र तक बढ़ाया जाए।

अत्याचार और भेदभाव से सुरक्षा

- इस तथ्य के मद्देनजर कि दलितों के खिलाफ अत्याचार और हमलों में वृद्धि हुई है, दलितों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। SC/ST POA अधिनियम की धारा 14 के अनुसार प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से विशेष अदालतें स्थापित की जाएँ। साथ ही, दलितों के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय के लिए जहाँ जरूरत हो वहाँ फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएँ।

- SC/STA POA अधिनियम को नियमित समीक्षा के प्रावधान के साथ और मजबूत किया जाए और इसके दायरे को दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाए।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्या 1) को संविधान की IX अनुसूची में शामिल किया जाए।

- दलित बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इससे सख्ती से निपटा जाए और POA अधिनियम के अनुरूप उचित सजा दी जाए।

मान्यता और कानूनी सुरक्षा

- यह एक तथ्य है कि विभिन्न संवैधानिक और विधायी सुरक्षाओं के बावजूद, अधिकांश दलित समुदाय गरीब बने हुए हैं और उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है। हालाँकि कुछ जातियाँ कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, लेकिन उनके बहुसंख्यक तबके ने समान विकास का अनुभव नहीं किया है। विभिन्न कमजोर और बहिष्कृत समुदायों पर सटीक और ताजे आँकड़े उपलब्ध करवाने के लिए जल्द से जल्द जातिगत जनगणना करवाई जाए। ये आँकड़े कल्याणकारी नीतियों और सकारात्मक कार्रवाई को बनाने और लागू करने मददगार होंगे। ये आँकड़े दलितों के मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए अनुकूलित बजट तय करने और लक्षित हस्तक्षेप करने में भी आवश्यक हो सकते हैं। कमजोर उपजातियों को दलितों के लिए निर्धारित व्यापक आरक्षण कोटा के भीतर आरक्षण मिलना चाहिए। समाज में मौजूद श्रेणियों के आधार पर अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक आँकड़ों की उपलब्धता, सामाजिक पदानुक्रम की गतिशीलता पर व्यापक राष्ट्रव्यापी विमर्श को प्रेरित करेगी, जिससे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना घटक (SCTSP) योजना को उनके कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट निगरानी तंत्र के साथ अनुसूचित जाति घटक और अनुसूचित जनजाति घटक के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए।

- केंद्र और राज्य सरकारों के SCTSP कानून सुनिश्चित करें कि समूह की बजट और व्यय आवश्यकताएँ उनकी जनसंख्या के अनुपात में हों और वे विशिष्ट समूहों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

- अंतरजातीय विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की जरूरत है। 'सम्मान' के नाम पर ऐसे जोड़ों की हत्या की साजिश रचने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

- विभिन्न संस्थानों में अनुसूचित जाति कोटे के तहत आरक्षित सीटें केवल अनुसूचित जाति द्वारा दाखिल की जानी चाहिए, किसी अन्य जाति द्वारा नहीं, भले ही वे कितने भी समय के लिए रिक्त रहें।

- समुदाय के लिए उपलब्ध विभिन्न विधायी सुरक्षा और प्रावधानों के बारे में पंचायत/ULBs कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में दलित समुदाय के नेताओं के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षित सीटें केवल दलित उम्मीदवारों द्वारा भरी जा रही हैं।

- भारत में मुसलमानों में दलित/अछूत हैं लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। उनकी जातियों को भी SC में शामिल किया जाए।

- शासन/प्रशासन के सभी स्तरों पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाए।

शिक्षा और सेवाओं तक पहुँच

- प्रक्रिया को सरल बनाकर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वाली कठिनाई जैसी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। माता–पिता में से किसी एक द्वारा प्राप्त जाति प्रमाण पत्र उनके बच्चों के लिए मान्य होना चाहिए। किसी भी योजना तक पहुँचने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

- दलित छात्रों को उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए।

- दलित बस्तियों के निकट विद्यालयों का अभाव है। इन क्षेत्रों में और अधिक स्कूल खोलने की जरूरत है ताकि दलित बच्चों, विशेषकर युवाओं को प्राथमिक शिक्षा मिल सके।

- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में तदर्थ शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के बजाय नियमित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

- दलितों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में विपणन संबंधों के लिए समर्थन भी शामिल किया जाए।

- भूमिहीन दलित परिवारों के लिए कम से कम 1000 रुपए प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रावधान किया जाए।

- दलित परिवारों को पानी के सार्वजनिक स्रोतों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दलित परिवारों को घरेलू स्तर पर पेयजल मिले, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अल्पसंख्यक समुदाय

भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और अन्य लोगों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार–प्रसार, हमारे संविधान में दिए गए देश के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने की रक्षा के लिए आवश्यक है। हमें देश में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को कायम रखने की जरूरत है। हमें अल्पसंख्यकों के सम्मुख पेश आने वाली ऐतिहासिक हाशिये की स्थिति और समकालीन चुनौतियों को पहचानने, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने, तथा भेदभाव, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार को रोकने एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और प्रतिभाओं का उपयोग करके देश की प्रगति में सभी नागरिकों के योगदान को सक्षम बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है।

समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना

- अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना : धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और धर्म के आधार पर भेदभाव रोकने सहित अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, जहाँ सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के डर से अपने विश्वास का पालन कर सकें।

- भेदभाव–विरोधी कानून बनाना : भेदभाव, अस्पृश्यता, अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार, सामूहिक हिंसा, घृणा अपराध और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ व्यापक कानून बनाए जाएँ। ये कानून सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जहाँ सभी के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाता है।

- मॉब लिंचिंग के खिलाफ केंद्रीय कानून का अधिनियमन : मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक केंद्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास उपाय, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, समर्पित फास्ट–ट्रैक अदालतों की स्थापना और जन जागरूकता अभियान के प्रावधान शामिल हों। यह कानून पीड़ितों के लिए न्याय, अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और कानून के शासन के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कार्यान्वयनः तहसीन एस पूनावाला बनाम UOI के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों, पुलिस कार्रवाई दिशानिर्देशों, निवारक उपायों और विधायी सिफारिश को रोकने और संबोधित करने का पालन किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढाँचा और दिशानिर्देश स्थापित करने हेतु इन निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण : सांप्रदायिक हिंसा के मामलों को प्रभावी ढंग से रोकने, जाँच करने और मुकदमा चलाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। इस प्रशिक्षण में प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने, कमजोर समुदायों की रक्षा करने और सांप्रदायिक हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- भेदभाव–विरोधी कानून बनाना : एक व्यापक भेदभाव–विरोधी कानून बनाना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना करना। यह कानून सभी नागरिकों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। समान अवसर आयोग की स्थापना यह सुनिश्चित करेगी कि कानून प्रभावी ढंग से लागू हो, सभी व्यक्तियों के लिए समानता और न्याय को बढ़ावा मिले।

- अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक कदम : धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में उनकी समान नागरिकता के बारे में आश्वस्त करके अल्पसंख्यकों को उपचारात्मक स्पर्श प्रदान किया जाना चाहिए। इसे राजनीतिक बयानों, कानूनी कार्रवाई, बचे लोगों को मुआवजा और सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

- मुसलमानों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना : एक उचित संवैधानिक तंत्र के माध्यम से मुस्लिम समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। यह उपाय समावेशिता और समतामूलक एवं निष्पक्ष समाज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

- विशेष अल्पसंख्यक विकास योजना लागू करना : अल्पसंख्यकों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध बजटीय आवंटन के साथ एक विशेष अल्पसंख्यक विकास योजना तैयार की जाए। इस योजना में सभी मुस्लिम बहुल गांवों, ग्रामीण बस्तियों और शहरी झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सड़क, विद्युतीकरण, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सेवाओं की विधायी गारंटी शामिल होनी चाहिए, जिससे समान विकास और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

- अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को पुनर्जीवित करना : बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की स्थिति और अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की स्थिति पर व्यवस्थित अपडेट के साथ अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाए। इसमें वर्ष–वार व्यय, योजना–वार लाभार्थियों की संख्या, निगरानी तंत्र और मुस्लिम नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी, बहिष्कार और पिछड़ेपन के प्रति पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने के कदम शामिल होने चाहिए।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए, अल्पसंख्यक नागरिकों तक इसकी पहुँच को मापने के लिए बजटीय खर्च की निगरानी की जानी चाहिए।

- सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करना : हमें मुसलमानों के हित के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। सच्चर समिति के निष्कर्षों ने भारतीय मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक असमानताओं पर प्रकाश डाला। ये सिफारिशें इन असमानताओं को संबोधित करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मुसलमानों की स्थिति में सुधार हो और उन्हें उन्नति के समान अवसर मिलें।

- सामाजिक कल्याण योजनाओं में समावेशिता को बढ़ावा देना : जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक कल्याण योजनाओं में मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों तक पहुँच बढ़ाने और उन्हें शामिल करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएँ। ICDS, स्वास्थ्य, आजीविका, छात्रवृत्ति और शिक्षा कार्यक्रमों सहित ये योजनाएँ व्यक्तियों और समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना

- मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की बहाली और विस्तार : न केवल बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति को फिर से कार्यात्मक बनाया जाए, बल्कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए। वित्तीय बाधाओं को कम करने में मदद की जाए और छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान हो सके।

- मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को पुनर्जीवित करना: अल्पसंख्यक समुदायों के शोधकर्ताओं के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (MANF) को बहाल करना। यह फेलोशिप यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों तक पहुँच जारी रहे, जो उनके व्यावसायिक विकास और उनके ज्ञान की उन्नति के लिए आवश्यक है।

- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू करना: सभी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की जाए। यह पहल छात्रों को प्रारंभिक चरण से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने और उच्च अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस प्रकार विभिन्न समुदायों के बीच शैक्षिक अंतराल को संबोधित किया जाएगा।

मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना

- गरीबी उन्मूलन योजनाओं में शामिल करना : मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में उनके लिए प्रावधान शामिल किए जाएँ। मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने, उन्हें अवसरों और लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह समावेशन आवश्यक है।

- घर–आधारित महिला श्रमिकों के लिए सहायता : घर–आधारित महिला श्रमिकों का समर्थन करने के लिए विशेष उपाय शुरू किए जाएँ, उन्हें जीवनयापन मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधाएँ और विपणन सहायता प्रदान की जाएँ।

- मुस्लिम इलाकों में बालिका विद्यालयों की स्थापना : मुस्लिम लड़कियों के बीच शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम इलाकों में महिला शिक्षकों के साथ अधिक सरकारी बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए। शिक्षा तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, और मुस्लिम इलाकों में स्कूल स्थापित करने से यह सुनिश्चित होगा कि मुस्लिम लड़कियों को एक सहायक और समावेशी वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

- शारीरिक स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा करना : शारीरिक स्वायत्तता, स्वतंत्रता और पसंद के संबंध में मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से सम्मान और सुरक्षा की जाए।

- मुस्लिम पारिवारिक कानून का अधिनियमन : महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा सक्षम करने हेतु एक मुस्लिम पारिवारिक कानून पारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके अधिकारों को कानूनी ढाँचे के भीतर पहचाना और बरकरार रखा जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और पारिवारिक कानून के मामलों में उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए कानूनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

- महिला स्वास्थ्य क्लीनिकों की स्थापना : मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को प्रजनन स्वास्थ्य सहित सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए, मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्रों में, महिला स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित किए जाएँ। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच एक बुनियादी मानव अधिकार है। इन क्लीनिकों की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त होगी।

- व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन : आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, उनकी

रोजगार क्षमता और उद्यमिता कौशल को बढ़ाने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए लक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएँ।

- कानूनी सहायता सेवाओं की शुरूआत : मुस्लिम महिलाओं को कानूनी मुद्दों से निपटने और न्याय हासिल करने में सहायता के लिए कानूनी सहायता सेवाओं की शुरुआत की जाए।

- समावेशी नीतियों को बढ़ावा देनाः ऐसी समावेशी नीतियों को बढ़ावा दिया जाए, जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं की विविध आवश्यकताओं को पहचानती हों। मुस्लिम महिलाओं के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशिता महत्वपूर्ण है।

- प्रतिनिधित्व और भागीदारी को प्रोत्साहित करना : स्थानीय शासन संस्थानों से लेकर राष्ट्रीय शासन संस्थानों तक, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

- सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना : मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवाओं और एकल माताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए, ताकि उनकी वित्तीय स्थिरता और कल्याण सुनिश्चित हो सके।

वक्फ संपत्तियों का संरक्षण

- वक्फ संपत्तियों के लिए कानूनी ढाँचे को पुनर्जीवित करना : वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिए वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक, 2014 को पुनर्जीवित किया जाए। यह पुनरुद्धार यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये संपत्तियाँ, जो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक–आर्थिक कल्याण के लिए हैं, अनधिकृत कब्जे और दुरुपयोग से सुरक्षित रहें।

- गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ प्रावधान लागू करना : वक्फ बोर्ड की भूमि पर गैरकानूनी कब्जे और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रावधान लागू किया जाए। इन संपत्तियों के संरक्षण को समुदाय के लिए सुनिश्चित किया जाए। ये प्रावधान वक्फ संपत्तियों की अखंडता और उद्देश्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, जो धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों के लिए समर्पित हैं।

- सुरक्षा के लिए कड़े उपाय लागू करना : अनधिकृत कब्जेदारों को रोकने और अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने, उन्हें उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखने के लिए कड़े उपाय लागू किए जाएँ। ये उपाय वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन और उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समुदाय की

जरूरतों को पूरा करते हैं।

- वक्फ भूमि विवादों का त्वरित समाधान : इन संपत्तियों के न्याय और प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड भूमि विवादों से संबंधित मामलों को शीघ्रता से हल किया जाए। लंबे समय तक चलने वाली कानूनी लड़ाई को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग सामुदायिक कल्याण और विकास के इच्छित उद्देश्यों के लिए हो, विवादों का समय पर समाधान महत्वपूर्ण है।

बच्चे

बच्चों को अपने बचपन का अधिकार है, अर्थात, सुरक्षित पालन–पोषण का अवसर। फिर भी जलवायु अन्याय जैसी चुनौतियाँ मौजूदा अनिश्चितताओं और असमानताओं में इजाफा कर रही हैं। भारत ने गरीबी उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। NFHS–5 बेहतर संकेतकों का खुलासा करता है : जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 929 हो गया, मृत्यु दर में कमी आई और मातृ देखभाल में वृद्धि हुई। इस प्रगति के बावजूद, मुद्दे बने हुए हैं : बाल विवाह और हिंसा जारी है, जो कि कोविड–19 के कारण और भी गंभीर हो गई है। NFHS–5 प्रसवोत्तर देखभाल में गिरावट और जन्म के समय स्थिर कम वजन दर पर प्रकाश डालता है। अपराध रिपोर्ट में बाल अपराधों में 8.7: की वृद्धि देखी गई है। डिजिटल पहुँच सीमित है, केवल 33.3 प्रतिशत लड़कियों के पास इंटरनेट तक पहुँच है। समग्र शिक्षा अभियान जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का उद्देश्य नामांकन में सुधार करना है, लेकिन विशेषकर लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर चिंताजनक बनी हुई है। विधायी ढाँचा अक्सर बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रहता है। बच्चों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए POCSO और PCMA जैसे कानूनों में सुधार आवश्यक है।

सुरक्षा

- 18 वर्ष की आयु तक बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाया जाए।

- अनाथों, एकल माता–पिता वाले बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, कूड़ा बीनने वालों और बाल श्रमिकों की गणना सुनिश्चित की जाए और समुदाय–आधारित दृष्टिकोण के जरिए उन्हें मुख्यधारा के समाज में वापस लाने हेतु रणनीतिक कार्य योजनाएँ विकसित की जाएँ।

- किशोरों के लिए एक सुरक्षित कानूनी स्थान प्रदान करने और किशोर गर्भवती और किशोर माताओं को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए POCSO अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाए जाएँ।

- सभी शहरी स्थानीय निकायों में बच्चों एवं किशोरों के लिए अलग–अलग नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएँ।

- किशोर गर्भवती और किशोर माताओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, संकट और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित बच्चों, घुमंतू और NTDNTs समुदाय के बच्चों, यौनकर्मियों के बच्चों और LGBTQIA++ जैसे विशिष्ट कमजोर समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप योजनाएँ विकसित की जाएँ।

- बाल अधिकार संबंधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा सुनिश्चित

करने हेतु बाल अधिकार निकायों जैसे आयोगों को सशक्त बनाया जाए।

- सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 'इको क्लब' का दायरा बढ़ाया जाए और पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा, प्रयोग और कार्य करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध किए जाएँ।

- सड़क और बाल–देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए विधायी संरक्षण बढ़ाया जाए। संस्थान के बाहर जाने पर जीवन बसर करने की पर्याप्त तैयारी पर ध्यान दिया जाए जैसे नौकरी प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन कौशल प्रशिक्षण, आदि।

पोषण और कल्याण

18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क भोजन एवं पोषण की व्यवस्था की जाए ।

शिक्षा

- पड़ोस के मोहल्लों के सभी बच्चों के लिए कम से कम माध्यमिक स्तर तक और लड़कियों के लिए स्नातकोत्तर और अन्य उच्च/तकनीकी शिक्षा तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए।

- शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजीकरण को रोकने के लिए निजी स्वामित्व वाले क्रेच, पूर्व–प्राथमिक शिक्षा केंद्रों, प्ले स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए कानून बनाना सुनिश्चित किया जाए। इस तरह का कदम गुणवत्ता, सुरक्षा उपायों और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा।

- मानसिक बीमारी और साइबर अपराधों से बच्चों को बचाने, जीवन कौशल और बेहतर करियर विकल्पों को बढ़ाने के लिए, सभी स्कूलों में साइको–सोशल और कैरियर परामर्श व्यवस्था, विशेष शिक्षकों और चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

- पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण में लिंग परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए, ड्रॉपआउट दरों की जाँच करने के लिए छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को बनाए रखने हेतु तंत्र का निर्माण किया जाए।

- नकद हस्तांतरण योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, विशेष रूप से STEM में रुचि दिखाने वाली अपनी शादी में देरी करने वाली लड़कियों के लिए।

बाल अधिकार और शासन

- ULBs और पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में स्थानीय सरकार द्वारा क्रेच स्थापित करने की नीति सुनिश्चित की जाए।
- किशोरों और युवाओं के लिए कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के लिए स्थानीय अवसर सुनिश्चित किए जाएँ।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण हब स्थापित करके सभी बच्चों के लिए डिजिटल सुविधाएँ सुनिश्चित के जाएँ।
- इन पंचायतों को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत संसाधनों का प्रतिशत बढ़ाया जाए।
- बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के लिए भूमि अधिकार का प्रावधान किया जाए।

महिलाएँ और लड़कियाँ

लैंगिक समानता, विशेषकर आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। हाल की वृद्धि के बावजूद महिला श्रम बल की भागीदारी कम बनी हुई है। कोविड महामारी के बाद कार्यालय–केंद्रित काम के कारण वेतनभोगी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी कम हुई है। वेतन असमानताएँ जस की तस बनी हुई हैं। महिलाएँ आकस्मिक काम में पुरुषों की तुलना में केवल 60 प्रतिशत वेतन कमाती हैं। अवैतनिक देखरेख का काम, महिलाओं पर ज़्यादा बोझ डालता है। इस काम में 28.9 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 92.3 प्रतिशत महिलाएँ संलग्न हैं। सीमित भूमि स्वामित्व कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित होकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं, हिंसा की उच्च दर और सामाजिक परित्याग के कारण एकल महिलाओं को बढ़ते जोखिम का भी सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। NCRB रिपोर्ट, 2023 में पाया गया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5) के अनुसार, भारत में 15–49 वर्ष की आयु के बीच की लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक, यौन या घरेलू हिंसा का अनुभव किया। पुरुष साथी की अनुपस्थिति औरध्या उनके परिवारों द्वारा त्याग दिए जाने की स्थिति में, एकल महिलाओं पर यौन और लिंग–आधारित हिंसा का खतरा बढ़ा है।

इन बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

लिंग-आधारित हिंसा से सुरक्षा

■ विधायी खामियाँ

जबकि हाल के अधिनियमों और संशोधनों ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत किया है, हमें महिलाओं को वैवाहिक बलात्कार से बचाने के लिए कानून की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें ऑनर किलिंग के खिलाफ एक केंद्रीय कानून की जरूरत है।

ऑनर किलिंग को लक्षित करने वाला एक समर्पित कानून प्रभावी निवारण के लिए आवश्यक है क्योंकि मौजूदा कानून इसमें शामिल जटिलताओं को दूर करने में अपर्याप्त हैं। इसको लेकर एक विशिष्ट कानून अविवाहित जोड़ों और यौन अल्पसंख्यकों सहित धर्म, जाति या समुदाय से बाहर शादी करने वाले जोड़ों की सुरक्षा करने का काम करेगा तथा उत्पीड़न, धमकी और हमले जैसे कृत्यों को दंडित करेगा। इसके अतिरिक्त, यह आँकड़ा संग्रह को सुव्यवस्थित करने का भी काम करेगा, जिससे ट्रैकिंग और विश्लेषण अधिक कुशल होगा।

तस्करी विरोधी कानून में सुधार

अवैध व्यापार के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है जिसमें अवैध व्यापार, प्रवास और बंधुआ मजदूरी के मुद्दों पर मौजूदा कानूनों के बीच मौजूद मतभेदों पर विचार किया जाए।

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए वैकल्पिक तंत्र

ग्राम स्तर पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की मध्यस्थता और शमन के लिए पंचायत और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ तंत्र बनाया जाना चाहिए।

■ प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाना

कानून प्रवर्तन अधिकारियों को लैंगिक समानता मूल्यों पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने में लिंग–संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु महिला पुलिसकर्मियों और महिला कानून निर्माताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।

महिला कार्यक्रमों में शामिल सामाजिक न्याय और शिक्षा विभाग के कर्मियों को लिंग–आधारित हिंसा को संबोधित करने में उनकी संवेदनशीलता और प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षित किया जाए।

प्रत्येक जिले में महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जाए ताकि महिलाओं के लिए न्याय या कलंक के डर के बिना हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जा सकें।

सभी राज्यों में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने हेतु समर्पित स्वतंत्र महिला अदालतें स्थापित की जाएँ, जो हिंसा से बचे लोगों के लिए एक सहायक और सुलभ कानूनी ढाँचा प्रदान करें।

सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय और बचे हुए लोगों के लिए समय पर समाधान प्रदान करने के लिए फास्ट–ट्रैक मोड में निर्णय लिया जाए।

यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम के प्रावधानों को सभी कार्यस्थलों पर सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। स्थानीय शिकायत समितियों को क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है। किसी भी उल्लंघन कर्ता पर फास्ट ट्रैक मोड में मुकदमा चलाया जाए।

मौजूदा कानूनों को लागू करने और दहेज से संबंधित हिंसा के नकारात्मक परिणामों के बारे में

जागरूकता बढ़ाने सहित दहेज प्रथा को खत्म करने के प्रयासों को मजबूत किया जाए।

■ बचे लोगों के लिए सहायता

हिंसा से बचे लोगों के लिए आश्रय, परामर्श, कानूनी सहायता और स्वास्थ्य देखभाल सहित व्यापक सहायता सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ये सेवाएँ सुलभ, उत्तरजीवियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और भेदभाव से मुक्त होनी चाहिएँ।

■ प्रत्येक जिले में वन–स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएँ

प्रत्येक जिले में वन–स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएँ। ऐसे केंद्र हिंसा, परित्यक्त या बेघर महिलाओं के लिए जीवन रेखा का काम करेंगे। इन केंद्रों को कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाओं से लैस किया जाए और सुरक्षित आश्रय बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, इन्हें सरकारी योजनाओं और अल्पकालिक आवास पर मार्गदर्शन प्रदान करने का काम भी करना चाहिए। इन आश्रय स्थलों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा तंत्र स्थापित किए जाएँ।

■ पुनर्वास के उपाय

तत्काल सहायता के अलावा, एक मजबूत पुनर्वास ढाँचा भी आवश्यक है। इसमें जीवित बचे लोगों को अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से समग्र हस्तक्षेप शामिल है। पुनर्वास प्रयासों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार के अवसर और मनोसामाजिक समर्थन शामिल किया जाए।

बाल विवाह और शीघ्र गर्भधारण

» लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाएँ लागू की जाएँ। सुनिश्चित किया जाए कि ये पहलें प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़ें और लड़कियों को कम से कम स्नातकोत्तर स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करने में सहायता करें।

» स्कूली पाठ्यक्रम में व्यापक यौन शिक्षा को एकीकृत किया जाए। इसमें सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भनिरोधक तरीकों जैसे विषयों को शामिल किया जाए। इन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में खुली और जानकारीपूर्ण चर्चा की सुविधा के लिए शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस किया जाए। छात्रों को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान के साथ सशक्त बनाया जाए।

- युवा लड़कियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए POCSO अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

- अस्पतालों को कम उम्र में गर्भधारण के लिए रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस और समाज कल्याण विभाग को सूचित करना चाहिए।

शासन के सभी रूपों में महिलाओं का समान और सक्रिय प्रतिनिधित्व

- शासन के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि सभी स्तरों पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

- नई जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता के बावजूद, विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत 33 प्रतिशत आरक्षण का तत्काल कार्यान्वयन किया जाए।

- सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। दुर्भाग्य से, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ सत्ता उनके पतियों या पुरुष रिश्तेदारों के पास होती है। यह महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सार को कमजोर करता है।

  - देश भर में अलग–अलग नामों से प्रचलित 'प्रधान–पति प्रणाली' को लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए रोका जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यालय में निर्वाचित महिलाएँ अपनी भूमिकाओं को प्रभावी और स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए सशक्त हों।

  - महिला पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के निर्वहन और उनकी शक्तियों का प्रयोग करने में मदद करने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण प्रयासों की आवश्यकता है।

लिंग उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाएँ

- सरकारों द्वारा घरेलू स्तर, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लिंग–उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने वाली व्यापक नीतियाँ विकसित और लागू की जाएँ। इन नीतियों में महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान हो।

- सार्वजनिक क्षेत्रों, कार्यस्थलों और घरों में महिलाओं के लिए निःशुल्क, स्वच्छ और कार्यात्मक शौचालयों तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाए।

- सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करके सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की गतिशीलता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल ली जाए। इसमें महिला ड्राइवरों के साथ गुलाबी टैक्सियाँ, केवल–महिलाएँ वाले सार्वजनिक परिवहन वाहन शुरू करना और परिवहन केंद्रों में प्रकाश व्यवस्था और निगरानी में सुधार शामिल हो सकता है।

- महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ और पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 'ट्रेन बाई स्टैंडर्स' की व्यवस्था की जाए और कानून प्रवर्तन कर्मियों को संवेदनशील बनाया जाए।

- महिला कार्यबल की भागीदारी का समर्थन करने के लिए क्रेच और डे–केयर केंद्रों सहित सस्ती और सुलभ बाल देखभाल और बुजुर्ग देखभाल सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। इस पहल को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को कम आय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल

- महिलाओं और लड़कियों को प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और मासिक धर्म स्वास्थ्य या प्रजनन कैंसर जैसे विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों के उपचार सहित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

  - मौहल्ला क्लीनिकों और PHCs में स्कैन और आवश्यक देखभाल प्रदान करने वाले कुशल पेशेवर महिला चिकित्सकों के साथ व्यापक स्त्रीरोग संबंधी सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।

  - महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की पेशकश की जाए। इसमें सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों के लिए नियमित जाँच भी शामिल है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल और शीघ्र पता लगाने को प्राथमिकता देकर, ये जाँचें स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार कर सकती हैं और महिलाओं में बीमारी के बोझ को कम कर सकती हैं।

  - BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएँ, बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।

प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर, विशेषकर किशोरियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

› किशोर गर्भावस्थाओं और किशोर माताओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सहायता सेवाएँ प्रदान की जाएँ।

सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना

›› परिवार के भीतर महिलाओं की स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इसमें महिलाओं पर रीति–रिवाजों और परंपराओं को जबरन थोपने से रोकने, अपने जीवन और भविष्य के संबंध में स्वतंत्र विकल्प और निर्णय लेने की उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं।

›› अवैतनिक देखभाल कार्य की मान्यता और पुनर्वितरण : बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों जैसे अवैतनिक देखभाल कार्यों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और महत्व देने के लिए नीतियों को लागू किया जाए। इसमें महिलाओं पर बोझ को कम करने और देखभाल की जिम्मेदारियों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने के लिए सहायता कार्यक्रम और प्रोत्साहन बनाना शामिल हो सकता है।

›› लिंग–पृथक सामाजिक सुरक्षा बजट : महिला श्रमिकों के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ लिंग के आधार पर सामाजिक सुरक्षा बजट का पृथक्करण किया जाए। महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, जिनमें मातृत्व लाभ, बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ, आश्रित लाभ, बेरोजगारी लाभ और भविष्य निधि और पेंशन शामिल हैं।

›› लक्षित कौशल निर्माण कार्यक्रम : औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कौशल–निर्माण पहल की स्थापना और विस्तार करना। एकल महिलाओं, हिंसा से बचे लोगों और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

›› स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए ब्याज मुक्त ऋण : SHGs को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करें, जिससे उन्हें उद्यमिता और आजीविका विकास के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके।

›› महिला उद्यमियों के लिए सहायता : महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जिससे व्यावसायिक उद्यमों में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित किया जाए कि ये उद्यमी अपने

उद्यमों को बनाए रखने के लिए बाजार पहुँच के अवसरों से जुड़े हुए हों।

- आवंटन में आरक्षण : दुकानों/साइटों/वेंडिंग मशीनों/खाने–पीने की दुकानों/ढाबों के आवंटन में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

एकल महिलाएँ

राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने भारत में विधवाओं की दुर्दशा को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामस्वरूप सन् 1829 में अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। हालाँकि, इसके बावजूद भी विधवाओं को समाज के हाशियों पर धकेले जाना और उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया जारी रहा, जिसके चलते 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन शुरू हुआ। वकीलों ने विधायी बदलावों पर जोर दिया और सन् 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। आधुनिक भारत में, कार्यकर्ता विधवाओं, अलग हो चुकी, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं सहित एकल महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डालते हैं। कुछ राज्यों द्वारा स्थानीय प्रयासों के बावजूद, एकल महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मान्यता नहीं मिलती है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में भी उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा, एकल महिलाओं को अक्सर अंधविश्वास और पितृसत्तात्मक मान्यताओं में निहित 'डायन' के ठप्पे की भयानक प्रथा का सामना करना पड़ता है। इसके चलते उन्हें सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और यहाँ तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ता है। इस अन्याय से निपटने और एकल महिलाओं को सशक्त बनाने एवं प्रतिगामी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए कानूनी सुधार, सामुदायिक शिक्षा और समर्थन नेटवर्क की आवश्यकता है।

एकल महिलाओं की पहचान

मौजूदा कानूनी ढाँचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा उचित मान्यता के बगैर एकल महिलाओं को नजरअंदाज किए जाने का खतरा है। इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीब एकल महिलाओं, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समूहों की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे सबंधित नीतियों को एकल माताओं की जरूरतों, पेंशन और आवास जैसे लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए। व्यापक समर्थन के लिए समर्पित फंडिंग, विशेष आयोग और जमीनी स्तर की समितियाँ स्थापित की जाएँ।

एकल महिलाओं की परिभाषा एवं पहचान

प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक क्षेत्रों में 'एकल महिला' शब्दावली को स्पष्ट किया जाए। इसमें विधवाएँ, तलाकशुदा, अलग हो चुकीं, परित्यक्त, कभी शादी न करने वाली और लापता पतियों वाली महिलाएँ शामिल की जाएँ। पहचान पत्र जारी करने वाले स्थानीय अधिकारियों के

साथ एक पंजीकरण प्रक्रिया स्थापित की जाए। परित्यक्त महिलाओं के लिए पात्रता अवधि का मानकीकरण किया जाए, जिससे स्थानीय शासन या NGO प्रतिनिधियों द्वारा प्रमाणीकरण संभव हो सके। 'अर्ध–विधवाओं' के लिए, पति की अनुपस्थिति के एक वर्ष के बाद अंतरिम प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इस संबंध में निर्णायक निर्धारण तक सहायता प्रदान की जाए। लापता जीवनसाथी की वापसी पर, सत्यापन के लिए स्थानीय निकायों को शामिल करते हुए, तदनुसार स्थिति को अपडेट किया जाए। ग्रामीण प्रमाणीकरण सामुदायिक पुष्टि या अनुपस्थिति के साक्ष्य पर निर्भर हो सकता है।

चालू कार्यक्रमों और योजनाओं में एकल महिलाओं को प्राथमिकता देना

एकल महिलाओं को कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं के कारण लाभ प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु में, परित्यक्त महिलाओं को पारिवारिक पेंशन से बाहर रखा गया है। राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की कमी उन्हें सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर देती है। उन्हें स्थानीय शासन निकायों के साथ पंजीकृत किया जाए। कल्याणकारी योजनाओं में एकल महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्हें राशन कार्ड जैसे अधिकारों के लिए एकल परिवार बनाने की अनुमति दी जाए। सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनके पहुँच सुनिश्चित की जाए। राजस्थान के मॉडल को प्रतिबिंबित करते हुए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए उप–वर्गीकरण लागू किया जाए। सरकारी योजनाओं और लाभों तक सुव्यवस्थित पहुँच के लिए एकल–खिड़की प्रणाली स्थापित की जाए।

महिलाओं के संपत्ति अधिकार

एकल महिलाओं को संपत्ति और विरासत के अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को कायम रखने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भेदभावपूर्ण कानून और सामाजिक दबाव, समस्या में और इजाफा करते हैं। प्रस्तावित सुधारों से बेटियों को समान विरासत अधिकार और पत्नियों के पति की संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ। पृथक्करण को उचित परिसंपत्ति विभाजन की गारंटी दी जाए। एकल महिलाओं के नाम पर संपत्ति के लिए स्टांप शुल्क कम किया जाए। इन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम प्रदान किए जाएँ। अपंजीकृत भूमि पर रहने वाली एकल महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों को स्पष्ट किया जाए। आश्रित महिलाओं से जुड़ी संपत्ति की बिक्री के लिए सहमति लागू की जाए। वित्तीय योगदान की परवाह किए बिना, विवाह के बाद के अधिग्रहण को संयुक्त संपत्ति के रूप में माना जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम एकल महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति प्रभावी ढंग से दावा करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण

एकल महिलाओं को सामाजिक पूर्वाग्रहों, सीमित संसाधनों और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं

के कारण रोजगार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर अनौपचारिक काम का सहारा लेती हैं, जिससे वे और अधिक असुरक्षित हो जाती हैं। नौकरी की प्राथमिकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता जैसे उपाय उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकते हैं। नीतियों को नौकरी योजनाओं और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में एकल महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

एकल महिलाओं के साथ हिंसा को संबोधित करना

एकल महिलाएँ यौन और लिंग–आधारित हिंसा के प्रति संवेदनशील होती हैं। पुरुष साथी के बिना उन्हें अक्सर कमजोर माना जाता है। उन्हें पारिवारिक घरों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन पर डायन होने का ठप्पा लगाकर निशाना बनाया जाता है। ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। देवदासी प्रथा जैसे विधवा उत्पीड़न को गैरकानूनी घोषित किया जाए। त्वरित न्याय के लिए प्रशिक्षण और फास्ट–ट्रैक अदालतों के जरिए कानूनी तंत्र और पुलिस संवेदनशीलता में सुधार लाया जाए।

कलंक और भेदभाव को संबोधित करना

एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी ताकत और लचीलेपन को पहचानने के लिए सामाजिक धारणाओं को बदलना होगा। रूढ़िवादिता से निपटने और लिंग–उत्तरदायी शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों और अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण के जरिए समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों की आवश्यकता है। लिव–इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिन्हें अक्सर मौजूदा कानूनों द्वारा अनदेखा किया जाता है। जागरूकता अभियानों को एकल महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सरकारी सहायता के बारे में सूचित करना चाहिए। सिविल सेवकों और हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लैंगिक मुद्दों की समझ को बढ़ाएंगे, जिससे लिंग–आधारित हिंसा और सांस्कृतिक मानदंडों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियों पर बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकेगी।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों की एकल महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा

हाशिए पर रहने वाले समुदायों की एकल महिलाओं को उनकी वैवाहिक स्थिति के कारण हिंसा और शोषण की अत्यधिक आशंका का सामना करना पड़ता है। उन्हें मजबूत समर्थन की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का कम से कम आधा हिस्सा पेंशन, पुनर्वास सेवाएँ और उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर शामिल हैं। उनकी समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंडों में सुधार आवश्यक है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने का प्रयास करते समय एकल महिलाओं को अक्सर महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख मुद्दा एकल महिलाओं तक पर्याप्त रूप से पहुँचने में सरकार द्वारा स्थापित राहत पैकेज और स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की विफलता है। लक्षित समर्थन की कमी के कारण कई एकल महिलाएँ स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित रह जाती हैं।

एकल महिलाओं और उनके बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ और गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। परामर्श और रेफरल के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जाए। खतरनाक व्यवसायों सहित एकल महिलाओं और उनके बच्चों के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ शुरू की जाएँ।

वासभूमि भूमि और आश्रय का प्रावधान

स्पष्ट कब्जा सुनिश्चित करते हुए, हाशिए पर रहने वाली एकल महिलाओं को कम से कम 15 सेंट ग्रामीण गृहस्थ भूमि आवंटित की जाए। भूमि वितरण में महिला प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाए। बिजली और पानी सहित एकीकृत आवास सहायता प्रदान की जाए। आवास योजनाओं में बेघर एकल महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, विलंबित पुनर्भुगतान के साथ आवास ऋण की पेशकश की जाए, और भेदभावपूर्ण किराये की प्रथाओं का मुकाबला किया जाए। निरंतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए रोटेशनल आवास लागू किया जाए। जरूरतमंद एकल महिलाओं के लिए आश्रय प्रदान किया जाए, जिनमें नशे की लत या तस्करी से उबरने वाली महिलाएँ भी शामिल हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जिला स्तर पर कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित किए जाएँ। प्रत्येक जिले में कम से कम एक हॉस्टल की व्यवस्था की जाए।

असुरक्षित स्थितियों में अकेली महिलाएँ

एकल महिला प्रवासी अक्सर अनिश्चित क्षेत्रों में काम करती हैं। उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है और अधिकारों तक उनकी पहुँच कम होती है। सहायता सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाए रखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। कृषि में पूर्ण समर्थन के लिए एकल महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता और भूमि आवंटन को प्राथमिकता दी जाए। यौनकर्मियों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करते हुए, तस्करी की रोकथाम, कल्याण, शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।

डायन का ठप्पा

डायन का ठप्पा एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में जारी है, जिसके परिणामस्वरूप हत्याएँ और अत्याचार होते हैं। इसमें अक्सर हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। अंधविश्वास, पितृसत्तात्मक मानदंड और जातिगत भेदभाव इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं, जिससे पीड़ितों को गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए विधायी कार्रवाई आवश्यक है। राज्यों में समान रूप से रोकथाम, सुरक्षा, पुनर्वास और दंड को संबोधित करने हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्च–शक्ति वाली जिला समितियों और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों की सक्रिय भागीदारी सहित संस्थागत तंत्र आवश्यक हैं। सुरक्षा उपायों में तत्काल पुलिस कार्रवाई, सामुदायिक प्रतिशोध तंत्र और कानूनी सहायता शामिल है। सामाजिक सुरक्षा उपायों में माइक्रोफाइनेंस पहल, परामर्श सेवाएँ और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सार्वभौमिक पहुँच शामिल है। इसके लिए कानून बनाने, बजटीय संसाधन आवंटित करने और इस घृणित प्रथा को खत्म करने और कमजोर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकारों पर है।

विकलांग लोग

भारत में लगभग 26.8 करोड़ विकलांग व्यक्ति (PWDs) रहते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान जैसी पहल के बावजूद, कई विकलांग बच्चे शिक्षा में संघर्ष करते हैं। इस कारण भविष्य में उनकी नौकरी की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। आरक्षित सीटों के बावजूद रोजगार में बाधाएँ बनी रहती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियाँ विकलांगता को बढ़ाती हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण हाशिए पर धकेले जाने और भेदभाव में योगदान देता है। कोविड–19 ने इन असमानताओं को और बदतर बनाया है। ILO मानक, श्रम बाजार नीतियों में विकलांग श्रमिकों को शामिल करने की वकालत करते हैं।

कामकाजी व्यवस्थाएँ सुलभ और समावेशी होनी चाहिए

किसी भवन के प्रवेश द्वार पर व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए महज रैंप बना देना भर ही सुगम्यता नहीं है, बल्कि इसका मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए काम या स्कूल जाने को सुगम बनाना; सुलभ या वैकल्पिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना; फुटपाथ के किनारे नीचे करना; लिफ्टों और इमारतों में ब्रेल संकेत जोड़ना; शौचालयों को विकलंगों के लिए सुलभ बनाना; व्हीलचेयर के चलने में बाधा उत्पन्न करने वाले कालीनों को हटाना; दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बड़े प्रिंट वाले मैनुअल और ऑडियो कैसेट जैसी तकनीकी सहायता प्रदान करना और, श्रवण बाधित व्यक्तियों को अन्य उपायों के साथ ऑप्टिकल सिग्नल प्रदान करना भी है।

वैकल्पिक कार्य व्यवस्थाओं को डिजाइन और कार्यान्वित या ऑनसाइट कार्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते समय, सुलभ वातावरण और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर उचित समायोजन सुनिश्चित किया जाएँ। डिजिटल स्थानों में सामग्री को सुलभ बनाया जाए और जहाँ संभव हो सांकेतिक भाषा उपलब्ध की जाए।

नियोक्ता की जवाबदेही

नियोक्ताओं को विकलांग श्रमिकों को काम पर रखने, पुनः काम पर रखने और उनके क्षमता निर्माण के लिए जवाबदेह होना चाहिए। नियोक्ताओं को अपने विकलांग श्रमिकों को लॉकडाउन चरणों के दौरान मुआवजा भुगतान देने और लॉकडाउन के बाद की अवधि में काम की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नियोक्ता को विकलांग व्यक्तियों के लिए संक्रमणकालीन भत्ते, कार्यस्थलों का तकनीकी अनुकूलन, आवास लागत का भुगतान, विशेष वाहन या अतिरिक्त विशेष उपकरण प्राप्त करने में सहायता जैसे विशेष लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता

विकलांगता समावेशी होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें उचित कार्यस्थल समायोजन और वेतन सब्सिडी से संबंधित लागतों को कवर करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाए। उन्हें विकलांगता समावेशी व्यावसायिक कदमों को उठाने के लिए प्राथमिकता दी जाए।

आजीविका एवं आय पुनर्वास कार्यक्रम

विकलांगों की बेरोजगारी का आकलन आवश्यक है। इसके लिए विकलांगता महासंघ के अनुरूप, सरकार को विकलांगों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम/ऑफलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। तदनुसार वे खुद को नौकरी बाजार के लिए तैयार कर सकते हैं। ऐसी नौकरियों की पहचान की जाए जिन्हें विकलांग घर पर रहकर कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें।

कौशल मानचित्रण और संवर्द्धन

देश भर के राहत शिविरों में फंसे और अपने मूल स्थानों पर पहुँच चुके विकलांग श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों के पुनर्निर्माण हेतु उद्योगों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए, उनके कौशल को मैप करने और एक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया निर्धारित करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने और बीच रास्ते में फंसे श्रमिकों को काम प्रदान करने की आवश्यकता है।

जिन श्रमिकों के कौशल को मैप कर लिया जाता है और जिनके लिए उपयुक्त काम की पहचान कर ली जाती है, उन्हें फिर कारखानों और कार्य स्थलों पर, उनके राहत शिविरों के नजदीकी क्षेत्रों में, या, राज्य परिवहन का उपयोग करके, उनके गृह स्थलों पर भेजा जा सकता है। अगर सावधानी और लगन से किया जाए, तो यह भारत में पूरी तरह से विकलांग श्रमिकों के आँकड़ो का एक उपयोगी भंडार साबित हो सकता है। इसका उपयोग पूरे देश में उनके कार्य पैटर्न पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है।

कौशल मानचित्रण का उपयोग विकलांग श्रमिकों के भीतर वर्तमान कौशल अंतराल का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। दक्षताओं और क्षमताओं के स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे उनके रोजगार अवसरों में सुधार होगा।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा का दायरा और पर्याप्तता बढ़ाने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज और विकलांग श्रमिकों को दी जाने वाली सामाजिक सहायता की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करना

महत्वपूर्ण है। विकलांगता लाभ में विकलांगता से संबंधित अतिरिक्त लागतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और काम से आय प्राप्त करने की भी अनुकूलता होनी चाहिए। इसके लिए विकलांगों को लक्षित करते हुए कार्य संबंधी सहकर्मी सहायता योजनाएँ शुरू की जा सकती हैं।

नकद हस्तांतरण

नकद हस्तांतरण के रूप में विकलांग श्रमिकों के लिए बढ़े हुए या अतिरिक्त भुगतान को नीतिगत अनिवार्यताओं में शामिल किया जाए। सरकार को नियोक्ताओं को लागत पर सब्सिडी देने की जरूरत है।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता

नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों की मानसिक स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें कलंक और भेदभाव से बचते हुए मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रमिक सहायता केंद्र

वार्ड स्तर पर महिला श्रमिकों पर विशेष ध्यान देते हुए विकलांग श्रमिकों के लिए श्रमिक सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ। विकलांग महिलाओं के लिए सुलभ रिपोर्टिंग तंत्र और पीड़ित सहायता सेवाएँ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

दीर्घकालिक :

विकलांग श्रमिकों के लिए नीतियों को अंतरराष्ट्रीय ढाँचे और श्रम मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

सार्वजनिक जीवन में भागीदारी सुनिश्चित करना

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित किया जाए।
- विशेष रूप से विकलांगता क्षेत्र के लिए बजट का 5 प्रतिशत आवंटित किया जाए आवंटित धनराशि का पूर्ण इस्तेमाल हो।
- अधिनियम के आदेश के अनुसार शीघ्रता से दिव्यांगों की राष्ट्रव्यापी जनगणना की जाए।

- निर्णय लेने में भागीदारी : सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में से 3 प्रतिशत उम्मीदवारी दिव्यांगों के लिए आरक्षित की जाए जाए।

- सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं के लिए विकलांगता ऑडिट अनिवार्य किया जाए।

- सार्वजनिक स्थानों की पहुँच : दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन तक पहुँच सुनिश्चित की जाए। सभी सरकारी भवन विकलांग व्यक्तियों के लिए हर तरह से सुलभ हों। सभी सरकारी भवनों का 'एक्सेस ऑडिट' तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी वास्तुशिल्प बाधाओं को दूर किया जा सके, और PWD की भागीदारी के साथ एक्सेस ऑडिट समिति बनाई जा सके।

आजीविका तक पहुँच

- सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सभी मौजूदा और बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कम से कम 3 प्रतिशत आरक्षण के साथ विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।

- सभी भूमि वितरण कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाए और रोजगार गारंटी योजनाओं में उनका समावेशन सुनिश्चित किया जाए।

- दुकानों/साइटों/वेंडिंग मशीनो/खाने–पीने की दुकानों/ढाबों/पीसीओ बूथों के आवंटन में आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए।

- सरकार द्वारा हर 3 महीने में एक बार ब्लॉक स्तर पर विकलांगों के लिए शिविर आयोजित किए जाएँ।

सामाजिक सुरक्षा

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार देखभाल करने वालों के लिए भत्ते का प्रावधान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देखभाल करने वालों के कवरेज का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, देखभाल करने वालों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श सेवाएँ भी प्रदान की गई हैं।

- PMAYG और PMAYU के तहत विकलांगों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण कोटा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और उन्हें निर्मित पक्के घरों का वैध हिस्सा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वसुलभ आवास सुनिश्चित किया जाए।

- न्यूनतम विकलांगता पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में पेंशन की राशि में व्यापक अंतर है। बिहार, छत्तीसगढ़ और नागालैंड जैसे राज्यों में विकलांग व्यक्तियों को सरकार की ओर से 500 रुपए से कम मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जबकि तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में यह 2000 रुपए प्रति माह है।

- सभी विकलांगों को समयबद्ध तरीके से अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किया जाए क्योंकि उनमें से अधिकांश अत्यधिक गरीबी और परित्याग के कारण असुरक्षित और संकटग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं और उनमें से कई हर दिन भोजन प्राप्त किए बिना भीख माँग रहे हैं।

- जीरो रिजेक्शन नीति अपनाते हुए सभी विकलांगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के तहत शामिल करना सुनिश्चित किया जाए।

विकलांग बच्चे

- आरक्षण लागू करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए बाल देखभाल प्रदान करना और सभी विकलांग बच्चों को ICDS में प्रभावी ढंग से एकीकृत करना।

- प्रत्येक विशेष स्कूल, सरकारी और निजी में एक सख्त निगरानी तंत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत पंजीकरण ID के साथ एक अनिवार्य बाल ट्रैकिंग प्रणाली होनी चाहिए।

- विकलांग बच्चों को वास्तव में समावेशी स्कूलों में बदलने के लिए सभी स्कूल भवनों को हर तरह से सुलभ होना चाहिए। सभी वास्तु संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु सभी स्कूलों का एक्सेस ऑडिट तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए।

बुजुर्ग लोग

भारत की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है और सन् 2050 तक कुल आबादी के पाँचवे हिस्से तक पहुँच सकती है। हालाँकि, उनमें से 40 प्रतिशत से अत्यधिक गरीब हैं। वे सामाजिक–आर्थिक असमानताओं से जूझ रहे हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच प्रभावित हो रही है। लगभग 18.7 प्रतिशत के पास आय का अभाव है, विशेषकर कुछ राज्यों में। कोविड–19 महामारी ने उनकी असुरक्षाओं को और बढ़ा दिया है। लंबी जीवन प्रत्याशा और कम मौतों के साथ, बुजुर्ग व्यक्तियों को हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ता है। देखभाल वितरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत किए जाने और भारत के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य में विकलांगताओं और संज्ञानात्मक गिरावट सहित उनकी अनूठी जरूरतों को संबोधित किए जाने की जरूरत है।

रणनीतिक हस्तक्षेप

- वृद्ध लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए।

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2018 को लागू किया जाए :
  - राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) के तहत पेंशन लाभार्थियों की पहचान की जाए और हर महीने की 7 तारीख तक नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
  - सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता।
  - भारत संघ को प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमों और चिकित्सा सुविधाओं पर डेटा एकत्र करना होगा और एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था देखभाल की उपलब्धता को रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

ये उपाय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बुजुर्ग नागरिकों के लिए समय पर पेंशन और आवश्यक सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करेंगे।

सक्रियता के साथ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देना

- आजीवन सीखना : संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाने, रचनात्मकता प्रोत्साहित करने और व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए वृद्ध वयस्कों की रुचियों और प्राथमिकताओं के

अनुरूप सुलभ सीखने के अवसर प्रदान किए जाएँ। कौशल प्रशिक्षण में निवेश किया जाए और सेवानिवृत्त और वृद्ध व्यक्तियों को पुनः कौशल प्रदान किए जाएँ, लाभकारी जुड़ाव के अवसरों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

- मनोरंजक गतिविधियाँ : अवकाश और मनोरंजन के अवसर प्रदान करने से सामाजिक मेलजोल, मानसिक उत्तेजना और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

- स्वयंसेवक/रोजगार के अवसर : वृद्ध वयस्कों के लिए सक्रिय और व्यस्त रहने के अवसरों को बढ़ावा देने से उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के साथ–साथ उनके उद्देश्य और अपनेपन की भावना में वृद्धि होगी।

सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच

वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और बिना सामाजिक सुरक्षा वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की आधी दर पर पेंशन मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए पात्रता आयु 50 वर्ष और पुरुषों के लिए 55 वर्ष होनी चाहिए। विधवाओं और विकलांगों की पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के निःसंतान दंपतियों को बुढ़ापे में सम्मान के लिए पेंशन के रूप में प्रत्येक को 5000 रुपए मिलने चाहिए। सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता को हटा दिया जाए। विशिष्ट दस्तावेजों के बिना पहुँच की अनुमति दी जाए।

आय सुरक्षा

एक सार्वभौमिक और गैर–अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली स्थापित की जाएं, जिसमें पेंशनभोगियों और करदाताओं को छोड़कर 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 3000 रुपए मासिक या न्यूनतम वेतन का आधा प्रदान किया जाए। मुद्रास्फीति के आधार पर हर 3 साल में पेंशन की समीक्षा की जाए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान की जाए।

बुजुर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा

बुजुर्गों के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) शुरू की जाए, जिसमें उन्हें एक कमजोर समूह के रूप में प्राथमिकता दी जाए। कमजोर समूहों के लिए पके हुए भोजन के साथ पोषण अनुपूरण को शामिल किया जाए। NFSA के तहत किसी भी अपर्याप्त अधिकार के लिए राज्यों को जवाबदेह ठहराया जाए।

स्वास्थ्य और भलाई

बुजुर्गों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ICDS के समान एक बुजुर्ग देखभाल नीति विकसित की जाए। समग्र समर्थन के लिए वार्ड स्तर पर डे केयर सेंटर और केयर होम स्थापित किए जाएँ। बिस्तर पर पड़े और अलग–थलग रहने वाले बुजुर्गों के लिए घर–आधारित देखभाल और सामाजिक जुड़ाव के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

स्वास्थ्य सुरक्षा

बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। MWPS अधिनियम, 2007 सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों के साथ–साथ प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धावस्था देखभाल सुविधा को अनिवार्य बनाता है। हालाँकि, देश भर में पूर्ण कार्यान्वयन का अभाव है। सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर विशेष कर्मचारियों और दवाओं के साथ मुफ्त वृद्धावस्था देखभाल सुविधाएँ आवश्यक हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) के लॉच के बावजूद, इसके उद्देश्य काफी हद तक अधूरे हैं। इस संबंध में कई राज्यों ने बजट में आवंटित धन के न खर्च होने की रिपोर्ट दी है। वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति में घरेलू देखभाल को शामिल करने से बुजुर्गों के बीच बढ़ती निर्भरता दर को संबोधित किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण के साथ समुदाय–आधारित वृद्धावस्था सेवाएँ, व्यापक बुजुर्ग देखभाल के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सुरक्षा

बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को शामिल करके सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। बुजुर्गों के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की आवश्यकता है। बुजुर्गों के अधिकारों और हेल्पलाइनों पर जागरूकता अभियान बुजुर्गों को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाएगा। शैक्षिक पहलों के माध्यम से अंतर–पीढ़ीगत समझ को बढ़ावा देने से बुजुर्गों के प्रति सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रयास एकजुट समुदायों के निर्माण में मदद करेंगे जहाँ वृद्ध वयस्कों को महत्व दिया और शामिल किया जाएगा, जिससे समाज में उनकी भलाई और योगदान में वृद्धि होगी।

आश्रय की सुरक्षा

- MWPSC अधिनियम, 2007 के तहत वृद्धाश्रम तक पहुँच देश के प्रत्येक बुजुर्ग का अधिकार है।
- अधिनियम के तहत राज्य के लिए देश के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में कम से कम एक

वृद्धाश्रम (OAH) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

- MWPSC अधिनियम, 2007 में अध्याय III की धारा 19 के तहत प्रत्येक OAH की क्षमता 150 बुजुर्गों के लिए होना अनिवार्य है।

आज की तारीख में 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 9 राज्यों में प्रति जिले न्यूनतम एक OAH है (बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPOP के तहत OAH सहित)। अधिकांश में अनिवार्य रूप से 150 बिस्तरों की क्षमता का अभाव है।

अल्पसंख्यक लैंगिकताएँ

भारत में LGBTQIA+ (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER, QUEER/QUESTIONING, AND OTHER DIVERSE SEXUAL ORIENTATIONS AND GENDER IDENTITIES) समुदाय लंबे समय से सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐतिहासिक रूप से, भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में समान–लिंग संबंध और गैर–बाइनरी लिंग पहचान विभिन्न रूपों में मौजूद रहे हैं। हालाँकि, औपनिवेशिक काल के कानूनों ने सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया था, जिसके कारण LGBTQIA+ व्यक्तियों को कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन कानूनों ने LGBTQIA+ व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा को कायम रखा और खुले तौर पर और सच्चाई से जीने की उनकी क्षमता को बाधित किया।

इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने हाल के वर्षों में LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों को चिन्हित और उनकी पुष्टि करने में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। साल 2018 के एक ऐतिहासिक फैसले में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 को निरस्त कर सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया और LGBTQIA+ व्यक्तियों को उत्पीड़न के डर के बिना प्यार करने और जीवन जीने के अधिकार की पुष्टि की। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के साथ–साथ, इसने LGBTQIA+ अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पिछले दशक से भारत ने LGBTQIA+ व्यक्तियों को सशक्त बनाने और इसमें शामिल करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले ने वयस्क समलैंगिक पुरुषों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटाकर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने LGBTQIA+ अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालाँकि, इस संबंध में कानूनी परिदृश्य तो विकसित हुआ है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मानदंड अभी भी पिछड़े हुए हैं। LGBTQIA+ व्यक्तियों को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में कलंक, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति, रोजगार भेदभाव, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तक पहुँच की कमी और सामाजिक बहिष्कार शामिल है।

कानूनी मान्यता

- भारत में समलैंगिक समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त किया जाए। विवाह, विरासत और आवास अधिकारों में समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए जाएँ।

- ट्रांसजेंडर और समलैंगिक व्यक्तियों की साझेदारी, रिश्तों और यौन पहचान की त्वरित कानूनी मान्यता और मान्यता सुनिश्चित की जाए। उन्हें लैंगिकता, रिश्तों और पार्ट्नर चुनने के विकल्पों में आत्मनिर्णय के उनके मौलिक अधिकार की गारंटी दी जाए।

- जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित सभी पहचान दस्तावेजों में नाम और लिंग मार्कर बदलने के लिए सुव्यवस्थित, गैर–भेदभावपूर्ण प्रक्रियाएँ स्थापित की जाएँ, जिससे समानता, सरलता और उत्पीड़न से मुक्ति सुनिश्चित हो सके।

- ट्रांसजेंडर समुदाय के स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए लिंग और यौन अल्पसंख्यक व्यक्तियों का सर्वेक्षण और सामाजिक–आर्थिक मानचित्रण अध्ययन किया जाए।

विवाह और परिवार

- LGBTQIA+ रिश्तों को कलंक मुक्त करना : परस्पर सहमति से होने वाले LGBTQIA+ वयस्कों के बीच रोमांटिक संबंधों को उनके विश्वास या धर्म के आधार पर अपराधी या कलंकित घोषित न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- LGBTQIA+ जोड़ों की मान्यता : LGBTQIA+ जोड़ों को विवाह के सामाजिक और कानूनी लाभों तक समान पहुँच प्रदान की जाए, जिसमें विरासत के अधिकार, गोद लेने के अवसर, बीमा कवरेज, पेंशन लाभ और विषमलैंगिक जोड़ों द्वारा प्राप्त अन्य विशेषाधिकार शामिल हैं।

- लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी (SRS)/लिंग पुष्टि सर्जरी के बाद सामान्य पारिवारिक जीवन जीने के लिए कानूनी रूप से विवाहित ट्रांसजेंडर जोड़ों को विवाह सहायता के रूप में न्यूनतम 75,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए।

- LGBTQIA+ जोड़ों की सुरक्षा : ट्रांसजेंडर और LGBTQIA+ जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

- घरेलू साझेदारियों में समावेशन : घरेलू साझेदारियों और लिव–इन संबंधों में LGBTQIA+ जोड़ों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान की जाए।

- पिता का नाम निर्दिष्ट करने और माता का नाम शामिल करने की आवश्यकता में संशोधन किया जाए।

- सड़क आधारित यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्रवाई के जाए।

रोजगार एवं आजीविका

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से काम सुनिश्चित किया जाए। सरकारी/ठेका/मनरेगा सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

- ट्रांसजेंडर लोगों के स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल किया जाए।

- स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना :

  - सहायता अनुदान प्रदान किया जाए।

  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष ब्याज मुक्त ऋण सुविधा, सूक्ष्म वित्तीय योजनाएँ और वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने की योजनाएँ डिजाइन और कार्यान्वित की जाएँ।

  - न्यूनतम ब्याज दर पर आर्थिक सहायता दी जाए।

  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाए।

- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के साथ–साथ जोनल और वार्ड स्तर पर कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँ।

- उम्मीदवारों को उनके दस्तावेजों में लिंग मार्करों में विसंगतियों के कारण नौकरी के अवसरों से अयोग्य न ठहराया जाए।

- सतत आय–सृजन कार्यक्रम, कौशल–निर्माण पहल और कार्यस्थल भेदभाव से निपटने के प्रयास एक समावेशी वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं जहाँ ट्रांसजेंडर लोग फल–फूल सकते हैं और पूर्ण जीवन जी सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा

- जिला ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की देखरेख में और राज्य बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में विशेष मासिक जन सुनवाई की व्यवस्था की जाए।

- ट्रांसजेंडर पहचान पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु एक राज्य–स्तरीय

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या पोर्टल स्थापित किया जाए।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और परिवार बीमा योजना में शामिल किया जाए।

सुरक्षित शरण

- संकटग्रस्त ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए सुरक्षित आश्रय गृह और सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ पौष्टिक भोजन और परामर्श सुविधाएँ मुफ्त या न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हों।

- घर में बहिष्कार की समस्या का सामना कर रहे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जिला स्तर पर वृद्धाश्रम और विश्राम गृह स्थापित किए जाएँ।

- हर जिले में गरिमा गृह की स्थापना की जाये.

आवास तक पहुँच

- प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 5 प्रतिशत मकान आरक्षित किये जाएँ।

- ट्रांसजेंडर समुदाय को हॉस्टल सुविधाएँ/आवास खोजने के लिए किराए के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए।

- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए घर बनाने हेतु न्यूनतम दरों पर ऋण की व्यवस्था की जाए।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में शामिल करना

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना जैसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं तक समान पहुँच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुफ्त बस परिवहन की पेशकश से उनकी गतिशीलता और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच हो सकती है।

PDS तक पहुँच

- सामाजिक–आर्थिक रूप से हाशिए पर मौजूद LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का हकदार होना चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय को अंत्योदय राशन कार्ड जारी किए जाएँ।

बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच

- ट्रांसजेंडर समुदाय को मुफ्त या न्यूनतम दरों पर पानी और बिजली कनेक्शन दिया जाए।
- परिवहन निगम की बसों में कम से कम दो सीटें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएँ।

राहत उपायों तक पहुँच

- LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकारी और गैर–सरकारी राहत उपायों तक समान पहुँच मुहैय्या करवाई जाए। सहायता वितरण में यौन रुझान या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
- सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित समूहों को लक्षित करने वाली सरकारी योजनाओं में ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से वंचित LGBTQIA+ समुदाय के सदस्य शामिल होने चाहिए।
- CSR फंडिंग का एक निश्चित हिस्सा समलैंगिक समुदाय पर काम करने के लिए रखा जाना चाहिए।

शिक्षा तक पहुँच

- स्कूलों और कॉलेजों में यौन रुझान और लिंग पहचान से संबंधित बदमाशी पर सख्त नीतियाँ बनाई जाएँ।
- जीवन कौशल शिक्षा (समलैंगिक लोगों से संबंधित मुद्दों सहित) को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली शैक्षिक चुनौतियों के समाधान हेतु कौशल विकास के लिए समावेशी सुविधाओं वाले स्कूल स्थापित किए जाएँ। इससे सहायक और समावेशी वातावरण की कमी के कारण ट्रांसजेंडरों के स्कूल छोड़ने की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- लैंगिक असमानता वाले बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की गारंटी अनिवार्य है।

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को, उसकी लिंग पहचान की परवाह किए बिना, एक समावेशी शैक्षिक सेटिंग तक पहुँच प्राप्त हो। यह समावेशिता उनके व्यक्तिगत विकास और उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू किया जाए।
- ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अलग छात्रवृत्ति पर विचार किया जाए।
- ट्रांसजेंडर छात्रों को नियमित शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएँ ताकि उन लोगों के लिए सीखने में निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिन्होंने स्कूल में कलंक और भेदभाव का सामना करने के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी थी।

स्वास्थ्य और भलाई

- सभी ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाए।
- लिंग पुष्टिकरण सर्जरी या तो मुफ्त या इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाए। PMJAY योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को SRS, MTF और FTF विधियों, परामर्श, लेजर उपचार, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और निजी अस्पतालों में अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार सहित सुरक्षित लिंग पुष्टिकरण सर्जरी के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी शामिल किया जाए।
- राज्यों में AIIMS और कम से कम संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेजों को ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी MTF और FTM तौर–तरीकों सहित सुरक्षित और पुष्टिकारक सर्जरी, परामर्श और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सुविधाओं से लैस किया जाए।
- सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग OPD और वार्ड सुनिश्चित किए जाएँ।
- लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद रिकवरी अवधि के दौरान परामर्श, भोजन, उपचार और अन्य

खर्चों के लिए कम से कम 12 महीने तक 5000 रुपए प्रति माह का प्रावधान किया जाए।

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल : संकट में LGBTQIA+ व्यक्तियों को आवश्यक सहायता और उन्हें जानकारी और परामर्श प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए। LGBTQIA+ व्यक्तियों के सामने आने वाली अद्वितीय मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध और किफायती बनाई जाएँ। यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों में आम तौर पर बाकी आबादी की तुलना में मानसिक रूप से बीमार होने की दर अधिक होती है।

- किसी व्यक्ति के यौन रुझान या लिंग पहचान को बदलने के उद्देश्य से रूपांतरण थेरेपी प्रथाओं को अपराध घोषित किया जाए। LGBTQIA+ व्यक्तियों को उन छद्म वैज्ञानिक और अनैतिक प्रथाओं के नुकसान से बचाया जाए, जो उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश करते हैं।

- चिकित्सा और कानूनी पाठ्यक्रम में LGBTQIA+ समुदाय पर अध्याय शामिल किए जाएँ।

- LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए HIV और अन्य यौन संचारित रोग सेवाओं तक कलंक–मुक्त पहुँच सुनिश्चित की जाए और सभी जिला अस्पतालों में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) सुविधाओं तक पहुँच भी प्रदान की जाए।

हिंसा और भेदभाव को संबोधित करना

- लिंग और लैंगिकता के मुद्दों पर आम जनता और सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएँ।

- मीडिया घरानों और पेशेवरों को समलैंगिक समुदाय के चित्रण के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

- LGBTQIA+ यक्तियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को संबोधित करने, त्वरित कार्रवाई और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभागों में सेल स्थापित किए जाएँ।

- एक ऑनलाइन ट्रांसजेंडर शिकायत पोर्टल बनाया जाए।

जलवायु न्याय के लिए

जलवायु परिवर्तन के बाजार–आधारित समाधान आम तौर पर कमजोर समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली असमान जिम्मेदारी और प्रभावों की अनदेखी कर देते हैं। शमन, अनुकूलन और मुआवजे के प्रयासों को इन समुदायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्सर्जन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार समृद्ध राष्ट्रों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उत्सर्जन में उनके योगदान और जलवायु उपायों के खिलाफ पैरवी को देखते हुए कॉर्पोरेट जवाबदेही महत्वपूर्ण है। कमजोर देश, विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य, अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में प्रकृति और मानव संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकासशील देशों की जरूरतों, विशेषकर प्रौद्योगिकी पहुँच पर ध्यान देने की जरूरत है। जलवायु घटनाओं के कारण होने वाला विस्थापन भारत में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से कमजोर समुदायों को। वैश्विक जलवायु कार्रवाई में जलवायु न्याय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जलवायु कार्रवाई के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा बनाई जाए

- पारिस्थितिकी दस्तावेजीकरण एवं निगरानी और भविष्य के विकास प्रयासों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और उनमें मानवीय गतिविधियों का आकलन करने हेतु एक व्यापक सर्वेक्षण आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

- हमें मुआवजे और पुनर्वास के लिए एक ढांचा तैयार करना चाहिएः हमें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति और सहायता करने की आवश्यकता है, जिसमें निवास स्थान का नुकसान, व्यवसाय विस्थापन, और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्वास और पुनर्वास शामिल हैं।

- आधारभूत संरचनाओं का मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जाए : सुनिश्चित किया जाए कि सभी आधारभूत संरचना परियोजनाएँ अंतरराष्ट्रीय मानकों और भारत के उत्सर्जन कटौती वादों को पूरा, पर्यावरणीय क्षति और उत्पन्न प्रदूषण का हिसाब रखती हों।

- प्रभावी पर्यावरणीय नियम सुनिश्चित किए जाएँ : निगमों और व्यक्तियों को पर्यावरणीय क्षति के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, ग्रीनवॉशिंग को रोकने के लिए 'कार्बन–न्यूट्रल' जैसी शब्दावली को विनियमित किया जाए।

- प्रकृति के अधिकारों को स्थापित किया जाए : इस सार्वभौमिक तथ्य को मान्यता दी जाए कि मूल्यवान प्राकृतिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नदियों, जंगलों और अन्य प्राकृतिक संपदाओं को बिना किसी नुकसान के अस्तित्व में रहने का अधिकार है।

- संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएँ : जलवायु कार्रवाई, निगरानी, मूल्यांकन और नीति अद्यतन

के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय मंत्रालय की स्थापना की जाए।

- जलवायु आयोग स्थापित किया जाए : नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने, जलवायु कार्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के अनुपालन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वैधानिक आयोग बनाए जाएँ।

- आपदा–प्रभावित आवास के लिए सरकारी सहायता : प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को आवास की मरम्मत के लिए आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु एक उत्तरदायी प्रणाली विकसित की जाए।

समुदायों और वर्गों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित किया जाए

- निर्माण मजदूर :

  भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 और उसके बाद के नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्रम विभाग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन को तुरंत संबोधित करने हेतु समर्पित निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति करके निर्माण स्थलों पर BOCW अधिनियम और इसके नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाए। मजदूरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, जैसे हीटवेव, को उचित तरीकों जैसे पर्याप्त पेयजल और छायादार इलाकों के जरिए संबोधित किया जाना चाहिए।

- तटीय मछुआरे

  वैश्विक कार्रवाई के अलावा जलवायु शरणार्थियों और तटीय और नदी कटाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन के कगार पर मौजूद लोगों का समर्थन करने के लिए स्थानीय जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

  प्रभावित व्यक्तियों का उचित पुनर्वास महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्रों में संपूर्ण नुकसान और क्षति के आकलन के आधार पर परिभाषित मुआवजे के साथ एक तटीय पुनर्वास पहल लागू की जाए।

  किसी भी गाँव के पुनर्वास प्रयासों में, हरित आवरण बनाए रखने और ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चरागाहों और जंगलों के लिए सामान्य भूमि के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

  मनरेगा के समान एक तटीय रोजगार कार्यक्रम स्थापित किया जाए। ऐसा कार्यक्रम इन क्षेत्रों में हरित आवरण और भूमि विकास पहल की सुविधा प्रदान कर सकता है।

वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए तटीय आजीविका कार्यक्रम लागू किए जाएँ।

सरकार द्वारा कमजोर क्षेत्रों में रहने वाली कमजोर आबादी के लिए पेंशन, आंगनवाड़ी सेवाओं और PDS जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए।

यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वासित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्हें अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित होने के बाद अपने नए परिवेश में ढलने के लिए पर्याप्त समर्थन और सहायता मिले।

हैंडहोल्डिंग पहल महत्वपूर्ण हैं और स्थानांतरण की प्रक्रिया से गुजरने वाले लोगों के लिए आराम और स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु इसे लागू किया जाए।

तटीय पेयजल आपूर्ति के प्रावधानों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

विस्थापित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को उचित सुविधाओं से लैस करने की आवश्यकता है। चूँकि विस्थापित लोग हमेशा मानसिक आघात झेलते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में मनोसामाजिक परामर्श इकाइयाँ बनाई जाएँ।

भारत में 1.6 करोड़ लोग मछली पकड़ने और उससे जुड़ी गतिविधियों में संलग्न हैं। कोविड–19 से पहले भी इस क्षेत्र को सुधारों की आवश्यकता थी क्योंकि छोटे पैमाने और पारंपरिक मछुआरे समुदाय लगातार वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों द्वारा हाशिए पर रखे जाने के खतरे का सामना कर रहे थे। अधिकांश समुदायों के पास ऋण सुविधा और आधुनिक तकनीक तक पहुँच नहीं थी। उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक समय ज्ञात मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में संकटपूर्ण प्रवासन एक आम बात थी।

इसलिए, इस क्षेत्र में ऋण सुविधाओं और अन्य राहत सहायता के अलावा नीतिगत बदलाव की भी आवश्यकता है।

कोविड–19 के दौर में मछली श्रमिकों, विशेष रूप से छोटे पैमाने के विक्रेताओं और मत्स्यपालकों को बड़ा नुकसान हुआ और वे गहरे कर्ज में डूब गए हैं। श्रमिकों के ऋण माफ किए जाएँ। निजी संस्थाओं और साहूकारों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाए।

मत्स्य कल्याण बोर्ड को फिर से सशक्त बनाने की जरूरत है और शासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी होनी चाहिए।

» गन्ना श्रमिक

अनुबंध श्रमिकों के रूप में औपचारिक दस्तावेज और चिकित्सा बीमा के बिना, ठेकेदारों या चीनी कारखानों में से कोई भी गन्ना श्रमिकों के साथ अपने संबंधों में किसी भी श्रम कानून का पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। गन्ना श्रमिकों की तेजी से बढ़ती संख्या, बार–बार होने वाली दुर्घटनाओं, जलवायु–संबंधित स्वास्थ्य जोखिम, अप्रत्याशित स्वास्थ्य देखभाल खर्च, और इन घटनाओं से काम और मजदूरी का नुकसान के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। विशेष रूप से गन्ना श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के अधिकारों को कवर करने वाला कानून लाया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित कानून में ऋण बंधन, मौसमी घटनाओं के कारण कम पैदावार के लिए श्रमिकों को जिम्मेदार ठहराए जाने से रोकने, प्रवासी श्रमिकों के लिए योजनाओं और लाभों का प्रावधान, घटना में चिकित्सा व्यय की कवरेज, काम के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान आश्रयों के प्रावधान पर जोर दिया जाए।

» चरवाहे समुदाय

घुमंतू चरवाहे समुदायों को होने वाले जलवायु परिवर्तन–प्रेरित नुकसान और क्षति का आकलन, क्षतिपूर्ति और समाधान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति का संबोधित करने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढाँचे का कार्यान्वयन, वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता, समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उबरने में मदद करना, जैसे कि पशुधन की हानि, चरागाहों में कमी, विस्थापन, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे गर्मी और शीत लहर के कारण होने वाली किसी भी मौत कलिए नुकसान और क्षति की रूपरेखा स्थापित किया जाना शामिल है।

कार्य की दुनिया में जलवायु कार्रवाई

» जो लोग जलवायु परिवर्तन से प्रतिदिन पीड़ित होते हैं, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उदाहरण के लिए, दलित और कृषि श्रमिक, जो अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों के कारण अपनी दैनिक मजदूरी खो देते हैं।

» कार्यस्थल स्तर पर, ऑन–साइट मौसम की स्थिति, काम के समय पहने जाने वाले कपड़ों और उपकरणों के अनुकूलन और तकनीकी सुधारों के बारे में उन्नत जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए उच्च तापमान का सामना करना आसान हो सके।

- सामाजिक सुरक्षा उपकरण अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली आय के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, जिसमें सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता (उदाहरण के लिए, मौसम सूचकांक–आधारित बीमा और नकद हस्तांतरण) शामिल हैं। स्वास्थ्य देखभाल तक पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- आसन्न जलवायु संकट का सामना करने हेतु स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी और ग्रामीण शासन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

- प्रयासों में भागीदारी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत और अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों को दूर करती है।

शहरों के लिए जलवायु कार्रवाई

- शहरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और शहरीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, न कि स्थिर स्थल के रूप में।

भारत में पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से शहरीकरण हुआ है वह अपेक्षाकृत गैर–सामंजस्यपूर्ण और ऊर्जा–अक्षम रहा है। देश के अपशिष्ट और प्रदूषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में शहर भी आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ सुझाव हैं :

- शहरों में जलवायु कार्य योजनाएँ, विशेष रूप से असुरक्षित क्षेत्रों से संबंधित, बनाई जाएँ, जैसे आपदा शमन, अनुकूलन और विकास संबंधी, जिन्हें जोखिम–सूचित प्रतिमान में शामिल किया जाए।

- गैर–प्रदूषणकारी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ बनाई जाएँ : शहरों में यातायात प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। इसलिए, अधिक अनुकूल के लिए शहरी पर्यावरण की गतिशीलता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह काम ईंधन–कुशल और पर्यावरण–अनुकूल सार्वजनिक परिवहन पर जोर देकर, छायादार साइकिल पथ बनाकर और प्राकृतिक छाया और अधिक पेड़ लगाकर किया जा सकता है।

- शहरी कॉमन्स को पुनर्जीवित किया जाए : भारत के सभी शहरों और कस्बों में, प्राथमिकता के आधार पर, शहरी जल निकाय, शहरी वनों और प्राकृतिक हरित क्षेत्रों जैसे शहरी कॉमन्स को बहाल करने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए, स्थानीय निकाय के नेतृत्व वाले कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। यह काम जनता और शहर निर्माताओं के सर्वोत्तम हितों

को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

- वायु प्रदूषण के सभी स्रोतों की निगरानी की जाए : नियंत्रण कार्यक्रमों को निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल वाहनों के उत्सर्जन पर। निर्माण स्थलों को ढकने के लिए पर्याप्त तिरपाल, औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त नियम और पर्याप्त निगरानी के साथ प्रणालीगत अपशिष्ट निपटान प्रणाली जैसे सरल उपायों के जरिए इनसे निपटा जा सकता है।

- बिल्डिंग डिजाइन की समीक्षा में रेड फ्लैग ऊर्जा खपत : जब इमारतों का निर्माण किया जाता है, तो उनकी ऊर्जा खपत और दक्षता को निर्माण के बाद और निर्माण के दौरान अनुकूलित किया जाना चाहिए।

- कृषि–जलवायु क्षेत्रों के आधार पर हरित योजनाएँ बनाई जाए : जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और शहरों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कृषि–जलवायु क्षेत्रों के आधार पर शहरी कृषि के लिए भूमि को बढ़ावा देने और आरक्षित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

- आधारभूत ढाँचे का समर्थन : बिजली उत्पादन धीरे–धीरे नवीकरणीय स्रोतों में परिवर्तित हो जाएगा। इस काम को सौर छत योजना के सामान्यीकरण, पंचायतों और व्यक्तिगत घरों के नियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी के विकेंद्रीकरण के जरिए किया जा सकता है।

- ऊर्जा परिवर्तन : शहरी हरित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से नवीकरणीय स्रोतों में परिवर्तन सर्वोपरि है। ऐसे मामलों में, शहरी स्थानीय निकायों को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे अन्य स्रोतों में निवेश करना चाहिए और धीरे–धीरे उनमें बदलाव करना चाहिए।

- गर्मी से निपटने के लिए हरित स्थान : सुनिश्चित करें कि अधिक हरित सार्वजनिक स्थान बनाए जाएँ जो विक्रेताओं और अन्य लोगों के लिए समावेशी और सुलभ हों।

- शहरी श्रमिकों के लिए पेयजलः शहरी क्षेत्रों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए निःशुल्क और स्वच्छ पेयजल का प्रावधान किया जाए।

- शेड और आश्रयों का निर्माण : अस्थायी रूप से गर्मी या बारिश से बचने के लिए शहरी क्षेत्रों में आश्रयों का निर्माण किया जाए।

- तापमान–प्रभावित काम के घंटों का कानून बनाना : एक ऐसा कानून लागू किया जाए जो नियोक्ताओं को चरम गर्मी के घंटों के दौरान श्रमिकों से काम कराने से रोकता हो।

- लोगों के बीच जलवायु लचीलापन बनाने के लिए शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें आपदा तैयारी, जोखिम शमन और आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। तटीय आवासों को प्राथमिकता देते हुए इसे शहर और कस्बे के स्तर पर अनुकूलित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई

- जलवायु लचीली कृषि : जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विस्तार समर्थन, बजट और सब्सिडी पर जोर दिया जाना चाहिए।

- कृषि सहायता : रियायती लागत पर उचित बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए; जलवायु के अनुकूल सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए; किसानों को नई तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए; फसलों का चयन जलवायु लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए; और जलवायु–लचीली कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए पारिस्थितिकी मूल्यांकन प्रक्रियाएँ अपनाई जानी चाहिए।

- डेटा–संचालित नीतियाँ बनाने के लिए कृषि, मछली पकड़ने के पैटर्न, चरवाहों की गतिविधियाँ और मौसम तथा अन्य कारकों के मिजाज के बारे में गाँव स्तरीय जानकारी होना आवश्यक है।

- जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर, कृषि और बागवानी को अधिक टिकाऊ बनाने हेतु स्थिति के अनुकूल पारंपरिक ज्ञान और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

- गतिविधियों के संचयी प्रभाव को जानने के लिए उन क्षेत्रों की वहन क्षमता का परीक्षण करने के बाद पर्यावरण–नाजुक क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में निगरानी एजेंसियों द्वारा व्यापक कार्य किया जाना शामिल होगा।

- तटीय और हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रभावित समुदाय जो लगातार विस्थापन के खतरे में हैं, उन्हें सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित करने की आवश्यकता है।

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ बनाई और लागू की जानी चाहिए।
- किसानों, वनवासियों, चरवाहों और आदिवासी समुदायों को प्रकृति की रक्षा और उसका पोषण करने के लिए प्राकृतिक संसाधन अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

आपदा लचीलेपन के लिए

भारत का विविध भूगोल इसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और सुनामी सहित तमाम प्राकृतिक आपदाओं के लिए उजागर करता है। भूकंपीय क्षेत्र और इसकी विस्तृत तटरेखा इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। दुनिया जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना कर रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर बाढ़, सूखा और गर्मी की लहर जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। तेजी से शहरीकरण और आधारभूत ढाँचे के विकास के कारण प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान और आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, अनियोजित निर्माण और कमजोर बिल्डिंग कोड के कारण, चुनौतियों का सामना करते हैं। इन कारणों से वे बाढ़, शहरी बाढ़ और अन्य आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। भारत ने जनवरी–सितंबर 2023 में लगभग हर दिन एक आपदा देखी। 'भारत 2023: एक आकलन' के अनुसार, इन आपदाओं ने 2,923 इंसानो को मौत के घाट उतारा, 1.84 मिलियन हेक्टेयर हेक्टेयर फसल क्षेत्र को प्रभावित किया, 80,563 से अधिक घर नष्ट किए और करीब 92,519 पशुधन को नुकसान पहुँचाया। 'डाउन टू अर्थ' (DTE) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा चरम मौसम की घटनाओं को उजगार किया गया।

आपातकालीन स्थितियाँ और आपदाएँ कमजोर समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करती हैं। इन समुदायों की सामान्य जीवन स्थितियाँ और अनिश्चितताएँ अक्सर उन्हें सबसे पहले प्रभावित करती हैं और इसका प्रभाव अधिक विनाशकारी होता है। अक्सर आपदा प्रतिक्रिया, प्रयास -बचाव, राहत और पुनर्वास - या तो उन तक पहुँचते ही नहीं या तुरंत नहीं पहुँच पाते। हाल के वर्षों में, आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया में सामुदायिक लचीलेपन और स्थानीय स्तर की पहल के महत्व की मान्यता बढ़ रही है।

तैयारी

- असुरक्षित आबादी की मैपिंग : असुरक्षित आबादी, विशेषकर एकल महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग लोगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मैपिंग की जानी चाहिए। बचाव और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करने में तदनुसार प्राथमिकता दी जाए। इस आबादी को आपदा तैयारी समितियों में शामिल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के साथ आगे जोड़ा जाए।

- प्राथमिक चिकित्सा, तैराकी, इलेक्ट्रिशियन और नाव चलाने जैसे हुनर मंद लोगों, विशेष रूप से युवाओं की मैपिंग की जानी चाहिए, ताकि उन्हें अपने हुनर में सुधार करने के लिए और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और उन्हें आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से काम में लाया जा सके।

- राज्य सरकारों को चक्रवात आश्रयों का समय–समय पर ऑडिट और असुरक्षित आश्रयों

को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना चाहिए। मरम्मत लायक आश्रयों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। जहाँ आबादी चक्रवात आश्रयों की क्षमता से अधिक हो गई है वहाँ नए चक्रवात आश्रयों का निर्माण किया जाए। चक्रवात आश्रयों की ओर जाने वाली सड़कों को आपदाओं के प्रति लचीला बनाया जाए, जिससे आपात स्थिति के दौरान लोगों के लिए सुरक्षित पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके। चक्रवात आश्रयों को महिलाओं की जरूरतों के अनुसार डिजाइन करने की आवश्यकता है।

बचाव

- विकलांग लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बचाव पर ध्यान दिया जाए। आपदाओं के दौरान इन वर्गों को अधिक नुकसान होता है। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8 (1 से 4) के अनुरूप है।

पुनर्वास

- एकल खिड़की (6 महीने के भीतर) फास्ट ट्रैक प्रणाली के माध्यम से त्वरित पुनर्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऐसा कदम आपदा से सुरक्षित बचे लोगों के बीच जबरदस्त संकट और परिणामी मजबूरन प्रवासन को रोकने में मददगार साबित होगा।

- परिवार की मुखिया के रूप में महिलाओं को मुआवजा पैकेज प्रदान किया जाए। एकल महिलाओं के मामले में नकद मुआवजा अधिक होना चाहिए।

- आजीविका मुआवजा कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों जैसे मछली सुखाना, सब्जी बेचना और छोटी दुकानें चलाना आदि को सुनिश्चित किया जाए। महिलाएँ छोटी आर्थिक गतिविधियों में असमान रूप से शामिल होती हैं।

- कई क्षेत्रों में मानव–पशु संपर्क बढ़ रहे हैं। विमर्श के दौरान, फसल क्षति को सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया गया, जो समुदायों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसके अलावा, मानव मृत्यु, पशु मृत्यु और संपत्ति क्षति की भी खबरें सामने आई हैं और लोगों को इसके लिए उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए, नुकसान को कम करने और जानवरों के लिए बेहतर आवास और पारिस्थितिकीय लाभ प्रदान करने के लिए इस मुद्दे से उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है।

- आपदा के बाद उचित सूचना साझा करने और समन्वय प्रणाली (गांव/पंचायत तक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) होनी चाहिए। एक आपातकालीन संचालन केंद्र को

कार्यात्मक बनाया जाए, जिसे प्रभावित समुदायों के बड़े उपयोग के लिए सभी जानकारी सौंपी जा सकें। क्षति और नुकसान का आकलन करने, लोगों को मुआवजा प्रदान करने और पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।

- पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र स्थापित किए जाएँ। बेहतर पारदर्शिता के लिए साइन बोर्ड लगाने और आपातकालीन कार्यों के बारे में व्यय विवरण साझा करने की प्रथा ग्राम पंचायत स्तर पर की जाए।

लचीलापन

- सुनिश्चित किया जाए कि आपदा तैयारी योजनाएँ दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों की किशोर लड़कियों और महिलाओं की चिंताओं पर विचार करें। आपात स्थिति से निपटने के लिए गाँव और जिला स्तरीय समितियों में महिलाओं का कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- शहरी क्षेत्रों में लचीलापन निर्माण कार्य, असंगठित श्रमिकों की कमजोरियों और जरूरतों पर केंद्रित होना चाहिए। सुरक्षित आश्रय, कौशल निर्माण के साथ आजीविका विकल्प और सामाजिक सुरक्षा आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। अस्थायी आश्रयों की क्षति को मुआवजे के तौर पर शामिल नहीं किया जाता है, जिससे प्रभावित परिवारों पर बोझ पड़ता है। इसलिए, मुआवजे में क्षति की सीमा के बजाय कमजोर आबादी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- बच्चों के अनुकूल स्थान बनाने और लचीलापन निर्माण प्रक्रिया में योगदान देने के लिए बच्चों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है। सुरक्षित आधारभूत ढाँचे के विकास के माध्यम से बच्चों के अनुकूल सुरक्षित स्कूल सुनिश्चित किया जाए, जो किसी भी आपदा के लिए लचीला हो। बच्चों को आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया जाए। स्कूल पाठ्यक्रम के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति और अभ्यास को बढ़ावा देना स्कूल को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आपदाओं से सुरक्षित बचे बच्चों के लिए सामुदायिक देखभाल तंत्र को मजबूत करने की भी आवश्यकता है।

- लचीलेपन के निर्माण के लिए दीर्घकालिक पद्धति के हिस्से के रूप में टिकाऊ आजीविका और जलवायु के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना : सूखे की स्थिति को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में वर्षा जल संचयन के उपाय किए जाएँ। भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रासंगिक स्थानीय जलवायु प्रतिरोधी बीजों की किस्मों और सूखा प्रतिरोधी बाजरा

आधारित मिश्रित फसल को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को अपनी पूर्वानुमान प्रक्रियाओं को बढ़ाकर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूखे की स्थिति में सक्रिय रूप से तत्काल मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपदा के बाद सूखे की घोषणा और त्वरित कार्रवाई के लिए फंड जारी करने जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए।

- समुदाय की आपदा लचीलापन बनाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दीर्घकालिक आपदा तैयारी कार्यों में स्थानीय नागरिक समाज संगठनों को शामिल करना चाहिए।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण घटक को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे आधारभूत ढाँचे के विकास कार्यों की योजना और बजट प्रक्रिया में एकीकृत करने की आवश्यकता है, ताकि आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके।

- आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत कार्यालयों और सामुदायिक केंद्रों जैसे ग्रामीण स्तर के संस्थानों को महिलाओं, बच्चों और सबसे कमजोर आबादी के लिए सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए एक सख्त निगरानी तंत्र होना चाहिए। किसी आपदा के साथ–साथ सामान्य समय में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाना दीर्घकालिक होना चाहिए।

- जल स्वच्छता और स्वच्छता (WASH) एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। महिलाओं और युवाओं को शामिल करके दीर्घकालिक कार्य करने की आवश्यकता है। किशोर लड़कियों और महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जब तक कि इससे लोगों का एक बड़ा हिस्सा आश्रय तक पहुँचने से हतोत्साहित न हो जाए और उन्हें कई कमजोरियों का सामना न करना पड़े।

- उड़ीसा पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2022 जैसे पंचायत कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए, जो ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन की शक्ति देता है और जो स्थानीय जलवायु कार्रवाई, आपदा प्रतिक्रिया और आपदा के बाद नुकसान के आकलन में राजस्व अधिकारियों के साथ PRI सदस्यों और समुदाय के नेताओं को शामिल करता है।

- NDRF और SDRF के तहत दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप से कमजोर तटीय क्षेत्रों में कमजोर समुदायों के लिए भूमि, आश्रय और आजीविका के नुकसान और क्षति के आधार पर मुआवजा शामिल किया जाना चाहिए।

- जलवायु अनुकूल और टिकाऊ देशज ज्ञान और कौशल पर आधारित वैकल्पिक आजीविका

विकल्प, एकल खिड़की फास्ट ट्रैक प्रणाली, कौशल निर्माण, और कम लागत और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उपयोग की स्थापना के माध्यम से सबसे कमजोर आबादी के लिए बनाई जानी चाहिए।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्यों को नियमित अंतराल पर दिया जाना चाहिए। विभिन्न समितियों में सदस्यों से दोबारा मिलकर सुनिश्चित किया जाए कि जो कैडर विकसित किया गया है वह आपदा के दौरान लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध है।

- जिन लोगों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों से पुनर्वासित किया जा रहा है, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुँच के साथ सुरक्षित क्षेत्रों में तब तक रखा जाना चाहिए जब तक कि आपदा का खतरा कम न हो जाए।

- राष्ट्रीय और राज्य–स्तरीय आजीविका मिशन के संसाधनों का उपयोग कमजोर आबादी के साथ–साथ आपदा–प्रवण लोगों को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए आपदा तैयारी योजना को संदर्भित कर उसे जवाबदेही के साथ प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की जरूरत है।

- आश्रय प्रबंधन एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, अन्यथा पहले से निर्मित संरचनाएँ जर्जर और आपदा के दौरान सुरक्षित नहीं रहेंगी। आश्रय स्थलों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे कमजोर लोगों के लिए सचेत रूप से एक सुरक्षित स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- कॉमन्स पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के लिहाज से कॉमन्स महत्वपूर्ण हैं। नदियों और समुद्री तट के किनारे मैंग्रोव का संरक्षण, पुनर्जीवन और विकासय भू–माफिया द्वारा अतिक्रमण से बाढ़ के मैदानों, जल निकासी धाराओं और जल निकायों की सुरक्षाय तथा, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए लचीले निर्माण कार्य के रूप में वृक्षारोपण की आवश्यकता है।

शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और जलवायु प्रवासियों के अधिकार

- शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) और जलवायु प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून लाए जाने की आवश्यकता है। जैसे–जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएँ और संघर्ष बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित के लिए नीतियाँ बनाना आवश्यक हो गया है :

- सुनिश्चित किया जाए कि शरणार्थी, IDPs और अन्य जबरन विस्थापित समुदायों को पर्याप्त पहचान प्रदान की जाए, जो उन्हें सब्सिडी वाले अस्पतालों और स्कूलों तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाएगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं को बैंक खाते उपलब्ध कराए जाएँ, जिसके माध्यम से वे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बना सकें और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकें।

- सुनिश्चित किया जाए कि शरणार्थी, IDPs और अन्य जबरन विस्थापित समुदायों, विशेष रूप से उनमें से महिलाओं को कौशल निर्माण के माध्यम से समर्थन दिया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए बाजार लिंकेज जैसी सहायक सहायता प्रदान की जाए।

हिमालय के लिए एक वैकल्पिक मॉडल

करीब 2,500 किलोमीटर में फैली हिमालय पर्वत ऋंखला, जलवायु को नियंत्रित करती है और महत्वपूर्ण औषधीय और खाद्य पौधों सहित विविध वनस्पतियों और जीवों की मेजबानी करती है। हिमनद और बर्फ के आवरण आवश्यक जल स्रोत हैं, जो लाखों–लाख लोगों का भरण–पोषण करते हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र को पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए सतत विकास हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। वैश्विक प्रयास पर्वतीय क्षेत्रों में मानव और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में, प्राकृतिक संसाधनों पर भारी निर्भरता के साथ–साथ अस्थिर प्रथाओं और जनसंख्या वृद्धि ने गरीबी को बढ़ा दिया है। सतत विकास में भविष्य के विकल्पों की सुरक्षा करते हुए वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पारिस्थितिकी प्रणालियों का उपयोग करना, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना मानव कल्याण को बढ़ाने के लिए व्यापक डेटा और पारंपरिक ज्ञान पर भरोसा करना शामिल है।

हिमालय क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूपरेखा

- सतत विकास, राज्यों को हस्तांतरण और तृतीय–स्तरीय शासन के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ें।

- विशाल आधारभूत संरचना परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। बड़े आधारभूत संरचनाओं पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने को मजबूत किया जाए। इलाके–विशिष्ट आपदा और जलवायु जोखिम अध्ययन का संचालन किया जाए।

- भूमि सुधार लागू किए जाएँ और संसाधन अधिकारों की रक्षा की जाए। विकेंद्रीकृत शासन का समर्थन करने वाले कानूनों को मजबूत किया जाए। चरवाहों और हाशिए पर रहने वाले

समुदायों की रक्षा की जाए। सामुदायिक वन अधिकारों के माध्यम से जैव विविधता को बढ़ाया जाए।

- आपदा प्रशासन में स्थानीय निकायों को शामिल किया जाए।
- जलवायु परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- वित्तीय रूप से व्यवहार्य कृषि–पारिस्थितिकी आजीविका और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
- कचरा प्रबंधन नियम लागू किए जाएँ।
- सामूहिक संसाधन प्रबंधन प्रणालियों को पुनर्जीवित किया जाए।
- राज्य जलवायु कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँ।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाए और जल विभाजक सीमाओं के आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन की संभावनाओं का पता लगाया जाए।

आपदा तैयारियाँ

एक समर्पित आपदा प्रतिक्रिया कोष बनाया जाए। आपदा के बाद राहत और पुनर्वास को सुदृढ़ किया जाए। चरम घटनाओं के दौरान हिमालयी राज्यों को समय पर केंद्र सरकार का समर्थन सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रभावित भूमि के उपचार के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत समयबद्ध छूट लागू की जाए और विकेंद्रीकृत आपदा प्रतिक्रिया पहल का समर्थन किया जाए। बांध सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से जवाबदेही लागू की जाए और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मानदंडों को मजबूत किया जाए।

शरणार्थियों के लिए

भारत ने, पड़ोसी और अफ्रीकी देशों के शरणार्थियों को ऐतिहासिक रूप से स्वीकार करने के बावजूद, शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के कन्वेंशन और इसके 1967 प्रोटोकॉल का अनुमोदन नहीं किया है। शरणार्थियों की इसकी परिभाषा को यूरोप केंद्रित माना जाता है, और संबंधित अधिकार व्यवस्था को भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अत्यधिक बोझ के रूप में देखा जाता है। फिर भी, भारत विभिन्न एशियाई और अफ्रीकी देशों के शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है, जिनमें श्रीलंकाई तमिल, तिब्बती, अफगान, चिन और म्यांमार के रोहिंग्या भारत में सबसे प्रमुख शरणार्थी समूह हैं।

भारत में शरणार्थी आमतौर पर भारतीय विदेशी अधिनियम, 1946 और नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें कई बार संशोधित किया गया है। इसमें सबसे हालिया संशोधन साल 2019 में किया गया। ये कानून शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को उनकी नागरिकता दस्तावेजों या कमी के आधार पर विदेशी, अप्रवासी या पर्यटक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इस वर्गीकरण के बावजूद, भारत ने विशिष्ट शरणार्थी समूहों, जैसे तिब्बती समुदाय और श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं।

1951 कन्वेंशन का भाग न होते हुए भी, भारत ने मानवाधिकारों और शरणार्थी मुद्दों पर विभिन्न संयुक्त राष्ट्र और विश्व सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शरणार्थियों के प्रति उसके दायित्वों को आकार देते हैं। 1995 से उच्चायुक्त कार्यक्रम (EXCOM) की कार्यकारी समिति में भारत की सदस्यता शरणार्थियों के मामलों में इसकी महत्वपूर्ण रुचि और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाकर और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन की पुष्टि करके मानव अधिकारों के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि की है। .

भारत में शरणार्थियों के लिए व्यापक कानूनी ढाँचे के अभाव के कारण उनके लिए शिक्षा, पोषण, आवास और स्थायी आजीविका जैसे मौलिक मानवाधिकारों तक पहुँचने में कई चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। कई शरणार्थी बाल श्रम और कार्यस्थल हिंसा सहित कठोर परिस्थितियों में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार खोजने के लिए मजबूर हैं। व्यवहार्य आजीविका विकल्पों का अभाव समुदाय के शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थता के कारण शरणार्थी COVID–19 महामारी से असमान रूप से प्रभावित हुए।

आमतौर पर भारतीय नागरिकों को जारी किए जाने वाले कानूनी दस्तावेजों के अभाव के कारण भारत में शरणार्थियों को औपचारिक रोजगार और शिक्षा तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार मामले–दर–मामले आधार पर शरणार्थी की स्थिति का आकलन

करती है, जिसके लिए शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को भारत में UNHCR कार्यालयों में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। हालाँकि, पंजीकरण के बावजूद, शरणार्थियों को UNHCR से केवल एक 'नीले रंग का' दस्तावेज प्राप्त होता है जो दर्शाता है कि उनकी शरणार्थी स्थिति पर विचार किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, UNHCR द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज आवास, वित्तीय सहायता या संचार सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच की सुविधा नहीं देते।

संरक्षण और मान्यता

- एक मॉडल शरणार्थी कानून या घरेलू शरण कानून का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है जैसा कि 1990 के दशक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया गया था। इस कानून में स्वागत, पुनर्वास और स्वैच्छिक स्वदेश वापसी के पहलू शामिल किए जाने चाहिए।

- NHRC को शरणार्थी संबंधी मामलों का सक्रिय रूप से संज्ञान लेना चाहिए और संभवतः उन्हें अपने शिकायत निवारण पोर्टल पर शामिल करके शिकायत निवारण पर काम करना चाहिए। इसके अलावा, एक शरणार्थी बोर्ड या ऐसा कोई अन्य संस्थागत तंत्र बनाया जा सकता है। यह बोर्ड विभिन्न शरणार्थी समूहों के सामने आने वाले मुद्दों को गहराई से और मामले दर मामले समझने में मदद करेगा।

- एक शरणार्थी मंच स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न समूहों के शरणार्थी मिल सकें और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें। यह मंच दस्तावेज प्रक्रियाओं में बदलाव से संबंधित शरणार्थियों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में भी कार्य कर सकता है। इससे गलत सूचना के प्रसार और शरणार्थियों के शोषण को रोका जा सकेगा, जैसे कि पाकिस्तान के शरणार्थियों के मामले में, जो अक्सर रिपोर्ट करते थे कि उन्हें उन दलालों को बड़ी रकम देनी पड़ी, जिन्होंने नागरिकता दस्तावेजों के अधिग्रहण को तेजी से पूरा करने का वादा किया था।

- NHRC द्वारा शरणार्थी संबंधी शिकायतों के लिए एक कार्य समूह का गठन किया जा सकता है। इस समूह में UNHCR के अधिकारी, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि, शरणार्थी प्रवक्ता, शिक्षाविद और साथ ही शरणार्थियों वाले जिलों के स्थानीय प्रशासन के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

- शरणार्थियों को मानवाधिकारों, सेवाओं तक पहुँच, सरकारी स्कूलों, सरकारी स्वास्थ्य देखभाल और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए लाभों से संबंधित सलाह में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अध्ययन से पता चलता है कि शरणार्थियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत आजीविका के स्रोत के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है।

- राष्ट्रीय स्तर के आयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह गृह मंत्रालय के समन्वय में विशिष्ट शरणार्थी समूहों पर मानक संचालन प्रक्रियाओं और संक्षिप्त विवरण का मसौदा तैयार करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शरणार्थियों के साथ बातचीत करने वाली सभी एजेंसियाँ, जैसे कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, नवीनतम विकास के साथ अपडेट हों। शरणार्थियों को प्रभावित करने वाले कानून. तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 पर गृह मंत्रालय द्वारा तिब्बती शरणार्थियों के लिए ऐसा किया गया है। इससे शरणार्थियों को कानून से परेशानी होने की संभावना कम हो जाएगी।

- निकास परमिट की प्रक्रिया और उसमें तेजी लाने तथा लंबी अवधि के वीजा के साथ–साथ उपयुक्त समूहों के लिए नागरिकता जारी करने हेतु गृह मंत्रालय को एक सिफारिश की जा सकती है।

- विदेश मंत्रालय से शरणार्थियों द्वारा दस्तावेजों की सुचारू प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में सूचना डेस्क, हेल्पलाइन और सूचना प्रसार के अन्य स्रोत स्थापित करने का आग्रह किया जा सकता है। इससे शरणार्थियों को अनावश्यक हिरासत या निष्कासन से बचाया जा सकेगा।

- विदेश मंत्रालय से उन शरणार्थियों को यात्रा परमिट जारी करने का आग्रह किया जा सकता है जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है। इससे तिब्बती और अफगान शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों में कमी आएगी, जो इस के लिए साक्षात्कार के दौरान काफी भागदौड़ करते पाए गए थे।

- NHRC सूचना प्रसार, राहत कार्य, शिक्षा और कौशल के लिए शरणार्थी समुदायों के साथ काम करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और जिला प्रशासन या राज्य सरकारों के बीच सहयोग को संस्थागत बनाने की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय को सिफारिश कर सकता है।

- गृह मंत्रालय को रोहिंग्या, अफगान और अफ्रीकी शरणार्थियों जैसे शरणार्थी समूहों को अस्थायी और नवीकरणीय ID कार्ड जारी करने के लिए कहा जा सकता है ताकि वे अपने अधिकारों तक पहुँच बना सकें।

- राजस्थान में रहने वाले पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों के पासपोर्ट संग्रह के लिए एक मध्य एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान उच्चायोग और पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों के बीच कोई मध्य एजेंसी होनी चाहिए ताकि उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने या एकत्रित करने में इतना पैसा खर्च न करना पड़े।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

गृह मंत्रालय से शरणार्थियों के लिए चिकित्सा बीमा को मंजूरी देने का आग्रह किया जा सकता है, जब वे भारत में हों। शरणार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान कार्ड पर आधारित समकक्ष पर विचार किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार में सुधार होगा और शरणार्थी आबादी पर लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव पड़ेगा।

शिक्षा मंत्रालय को यूडीआईएसई पोर्टल में आधार कार्ड नंबरों के स्थान पर यूएनएचसीआर कार्ड नंबर शामिल करने की सिफारिश की गई है ताकि शरणार्थी बच्चों को भी स्कूल रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके और स्कूल प्रमाण पत्र, मध्याह्न भोजन और दिए जाने वाले नकद प्रोत्साहन के लिए पात्र हो सकें। विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और शिक्षा के लिए वित्तीय सब्सिडी भी संभव हो रही है।

शिक्षा मंत्रालय एक शैक्षिक योग्यता परीक्षण डिजाइन करने और स्थापित करने पर विचार कर सकता है ताकि शरणार्थियों की उत्पत्ति के देशों की शैक्षिक योग्यता को मान्यता दी जा सके। इससे वे उच्च शिक्षा जारी रख सकेंगे।

आजीविका तक पहुँच

- श्रम मंत्रालय अस्थायी, नवीकरणीय कार्य परमिट जारी करने पर विचार कर सकता है, ताकि शरणार्थी अपने हुनर के अनुरूप अवसर सुरक्षित कर सकें और औपचारिक क्षेत्र से जुड़ सकें, जैसा कि अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश शरणार्थी समूहों को हुनर के बावजूद आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

- गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा और अधिकार देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में शरणार्थियों के सामने आने वाली नौकरी की सुरक्षा की कमी जैसे मुद्दों से बचा जा सकेगा और उन्हें शोषण और दुर्व्यवहार से भी बचाया जा सकेगा।

- श्रम मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा एक योग्यता पासपोर्ट या योग्यता मैट्रिक्स विकसित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हुनरमंद शरणार्थी अपने हुनर के अनुरूप अवसरों लाभ उठा सकें। ऐसा कदम अफगान शरणार्थियों जैसे कुछ समूहों के लिए बेहद उपयोगी होगा।

- गृह मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय शरणार्थियों के लिए किफायती घरों को विनियमित करने पर विचार कर सकते हैं। जबकि शिविर राज्य के हस्तक्षेप के कारण सेवाओं तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करते हैं, वे अपनी प्रकृति में प्रतिबंधात्मक भी होते हैं। शिविर जैसी स्थितियों से शरणार्थियों की पसंद के सुरक्षित और किफायती आवास की ओर तेजी से, सुचारू और किफायती परिवर्तन किया जाना चाहिए।

- गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय शरणार्थियों के लिए ब्रिज शिक्षा कक्षाओं के साथ–साथ भाषा कक्षाएँ शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को मंजूरी/सलाह देने पर विचार कर सकते हैं। कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ–साथ अंग्रेजी भी शामिल होनी चाहिए।

- गृह मंत्रालय को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए निर्दिष्ट वर्षों के लिए वैध दीर्घकालिक वीजा की आवश्यकता को हटाने की सिफारिश की गई है। उदाहरण के लिए, अफगान शरणार्थी LTV के हकदार हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। इसलिए, जब दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में है, तो शिक्षा तक पहुँच में बाधा नहीं आनी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच

- शरणार्थी आबादी को प्रत्येक समूह के पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि तिब्बतियों के मामले में भारत सरकार द्वारा किया गया था।

- प्रशासन से शरणार्थी समुदायों के विभिन्न दस्तावेजों और स्थितियों पर विभिन्न स्तरों पर अपने अधिकारियों को नियमित रूप से अद्यतन और प्रशिक्षित करने का आग्रह करें। इससे शरणार्थियों को अधिकारों तक निर्बाध पहुँच मिल सकेगी।

- NHRC राज्य सरकारों से शरणार्थियों के लिए विनियमित और किफायती किराये के आवास का प्रावधान सुनिश्चित करने का आग्रह कर सकता है। यह उपाय शरणार्थियों को मकान मालिकों के शोषण और दुर्व्यवहार से बचाएगा जैसा कि अफगान और अफ्रीकी शरणार्थियों ने बताया था।

- वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, पुलिस और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े अन्य हितधारकों को शरणार्थियों और महिला शरणार्थियों के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इससे शरणार्थी महिलाओं को यौन या घरेलू हिंसा का सामना करने पर निवारण या सुरक्षा उपाय करने में मदद मिलेगी।

- राज्य सरकारें मुख्यमंत्री निःशुल्क वर्दी वितरण योजना (राजस्थान) जैसी योजनाओं के तहत

शरणार्थी बच्चों को चेक के प्रावधान पर विचार करना चाह सकती हैं, जिसके लिए अन्यथा छात्रों को सीधे बैंक हस्तांतरण की आवश्यकता होती है।

- सरकारों को उन क्षेत्रों का आकलन करने की सिफारिश की जाती है जहां शरणार्थी बसना चुनते हैं और घटनाओं को मापते हैं और इन क्षेत्रों में वेक्टर जनित बीमारियों से निपटते हैं। फिर लक्षित रोकथाम और जागरूकता होनी चाहिए जैसा कि दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू विरोधी अभियान में किया गया था। अभियान में आरडब्ल्यूए की भागीदारी ने डेंगू के उन्मूलन की दिशा में प्रयासों को स्थानीयकृत किया। शरणार्थी समुदायों के नेताओं और मौजूदा ग्राम परिषदों का समान उद्देश्यों के लिए लाभ उठाया जा सकता है।

- जिला प्रशासन की सिफारिशों में शरणार्थियों की अनौपचारिक बस्तियों, विशेष रूप से दूरदराज के स्थानों पर स्थित बस्तियों के पास नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना या मोबाइल वैन पार्क करना शामिल है।

मानवाधिकार रक्षक

भारत में एक सक्रिय और जीवंत नागरिक समाज है, जिसमें लाखों मानवाधिकार न्याय कार्यकर्ता जमीनी स्तर के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय और मौलिक स्वतंत्रता को पहचानने, सम्मान, सुरक्षा, बढ़ावा देने और पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत में सामाजिक आंदोलनों का सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने का एक समृद्ध इतिहास है, और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, सुरक्षा और मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मानवाधिकार रक्षक सरकारों को उनके निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए काम कर रहे हैं और उन नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों की वकालत कर रहे हैं जो मानवाधिकारों को आगे बढ़ाते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और बहिष्कार को चुनौती देते हैं।

भारतीय संविधान ने मानव अधिकारों और स्वतंत्रता, सामाजिक–आर्थिक और पारिस्थितिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी दी है और संबंधित शासन संस्थान और अभिनेता सभी के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जवाबदेह हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मानवाधिकार रक्षक स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित और सक्षम वातावरण में अपना काम करने में सक्षम हों। यह सरकार का कर्तव्य भी है कि वह उन प्रवृत्तियों से निपटे जो मानवाधिकार रक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रतिबंधित, कलंकित या अपराधीकरण करते हैं। भारत के पास मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए इस विशिष्ट संबंध में संविधान और संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के जनादेश को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए विशिष्ट कानून या नीतियां नहीं हैं।

मानवाधिकार रक्षकों और सीएसओ की सुरक्षा के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढांचा सुनिश्चित करने की भी तत्काल आवश्यकता है। सरकार को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और मानकों के अनुरूप मानव संसाधन विकास और सीएसओ के सदस्यों के अधिकारों को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक कानून हो

- समूह, संघ और संगठन बनाने का अधिकार : संघ या यूनियन बनाने के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक और विविध है, जिसमें सभी प्रकार के संघ शामिल हैं — राजनीतिक दल, क्लब, समाज, कंपनियां, संगठन, उद्यमिता और ट्रेड यूनियन। मानवाधिकार रक्षकों को समूह, संघ और संगठन बनाने के लिए कानूनी विशिष्टता और शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता

है। इसलिए, मानवाधिकार रक्षकों के सहयोग के लिए विशिष्ट कानून पर विचार किया जाना चाहिए।

- ये प्रस्तावित कानून/नियम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एसोसिएशन को कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत या शामिल करने के लिए स्पष्ट, सुसंगत और सरल मानक निर्धारित हों। सभी निर्दिष्ट सरकारी मानदंडों को पूरा करने वाले ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स संघ कानूनी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होने के लिए उपयुक्त हों। समाज में मानवाधिकारों और न्याय के लिए माहौल तैयार करने हेतु यह बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कदम होगा।

- संघ की स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा डालने से बचने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी, कम दीर्घकालिक और कम बोझिल तरीके से लागू किया जाए।

- पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रियाएँ शीघ्र और आसानी से सुलभ होनी चाहिए। आवेदनों की सरकारी समीक्षा के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ और समय–सीमाएँ स्थापित की जाएँ। कामकाज को प्रभावित करने वाली लंबी, बोझिल और अत्यधिक नौकरशाही पंजीकरण/नवीनीकरण प्रक्रियाओं से बचना चाहिए।

- आवेदन की किसी भी अस्वीकृति के खिलाफ प्रभावी और त्वरित उपाय और पंजीकरण प्राधिकरण के निर्णयों के संबंध में स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करे कि पंजीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों का उपयोग, संघ की स्वतंत्रता के अधिकार में बाधाओं के रूप में न किया जाए।

निजता का अधिकार

» मानवअधिकार रक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों की निजता की रक्षा, घरों और कार्यस्थलों पर पत्राचार पर (ऑनलाइन और ऑफलाइन) 'एन्क्रिप्शन' सहित, मनमानी घुसपैठ और गैरकानूनी हस्तक्षेप से मुक्ति सुनिश्चित की जा सके। उनके निजता के अधिकारों की रक्षा हेतु इसकी तत्काल आवश्यकता है।

धमकी या प्रतिशोध से मुक्ति

» मानवअधिकार रक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों को धमकी या प्रतिशोध से मुक्ति हेतु कानूनी रूप से सुरक्षा दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है। असुरक्षित समुदायों के लिए न्याय और विकास के किसी भी कार्य या मामले के परिणामस्वरूप कई बार समाज में वर्चस्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा मानवअधिकार रक्षकों

और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों प्रति शत्रुता के मामले सामने आते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मिलकर, मानवाधिकार रक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के रूप में उनकी स्थिति, गतिविधियों या कार्य के आधार पर, किसी भी प्रकार की धमकी या प्रतिशोध का शिकार न बनाया जाए। किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसकी स्थिति, गतिविधियों या मानवअधिकार रक्षकों या नागरिक समाज संगठन के सदस्य के रूप में काम के आधार पर या उससे जुड़े किसी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति द्वारा धमकी या प्रतिशोध एक अपराध माना जाए। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

मानवाधिकार रक्षकों के समर्थन के लिए एक संस्थागत प्रक्रिया की आवश्यकता

- संसाधनों को माँगने, प्राप्त और उपयोग करने का अधिकार : भारत में नागरिक समाज संगठनों और मानवअधिकार रक्षकों के लिए संसाधनों को माँगने, प्राप्त और उपयोग करने के अधिकार को मजबूत करने के लिए कानूनी और संस्थागत सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

- केंद्र और राज्य सरकारों को भारत में कमजोर समुदायों के मानवाधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से विदेशी स्रोतों सहित धन तक पहुँचने के लिए मानवअधिकार रक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित और सुविधाजनक बनाया जाए।

- फंडिंग तक पहुँच के अधिकार के लिए कानूनी ढाँचा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अनावश्यक विनियामक और प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को रोका जाना चाहिए। यदि मानवअधिकार रक्षक और नागरिक समाज संगठन शांतिपूर्ण तरीकों से मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए घोषणा में स्पष्ट रूप से स्थापित उद्देश्यों का अनुपालन कर रहे हैं, तो सरकार को धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने से बचना चाहिए।

- राज्य और केंद्र सरकारों को कर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक और विधायी आवश्यकताओं से परे जाँच और राजकोषीय प्रक्रियाओं के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।

- मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के अधिकारों का सम्मान, प्रचार, सुरक्षा और पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक अधिकारी का

दायित्व लें।

- सार्वजनिक प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए कि मानवाधिकार रक्षक और नागरिक समाज संगठन अपनी गतिविधियों और प्रतिबंधों से मुक्त सुरक्षित और सक्षम वातावरण में काम करने में सक्षम हों।

- सार्वजनिक प्राधिकारियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और मानकों के अनुरूप, अपनी स्थिति, गतिविधियों या कार्य के कारण धमकी या प्रतिशोध का सामने करे रहे मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर रहकर सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

- सार्वजनिक प्राधिकरणों को मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय नीतियों और पारिस्थितिकी स्थिरता और मानवाधिकार रक्षकों की भूमिका के बारे में देश के नियंत्रण वाले सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों में प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों और मानवाधिकार रक्षकों के वैध कार्य के महत्व के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

- सार्वजनिक अधिकारियों को मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों की उनके परिवार, घर, कार्यस्थल, संपत्ति और पत्राचार (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) में मनमाने करने या गैरकानूनी घुसपैठ और हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए।